खण्ड-257, अंक-2
बुधवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1887
(21 अप्रैल, 1965 ई0)

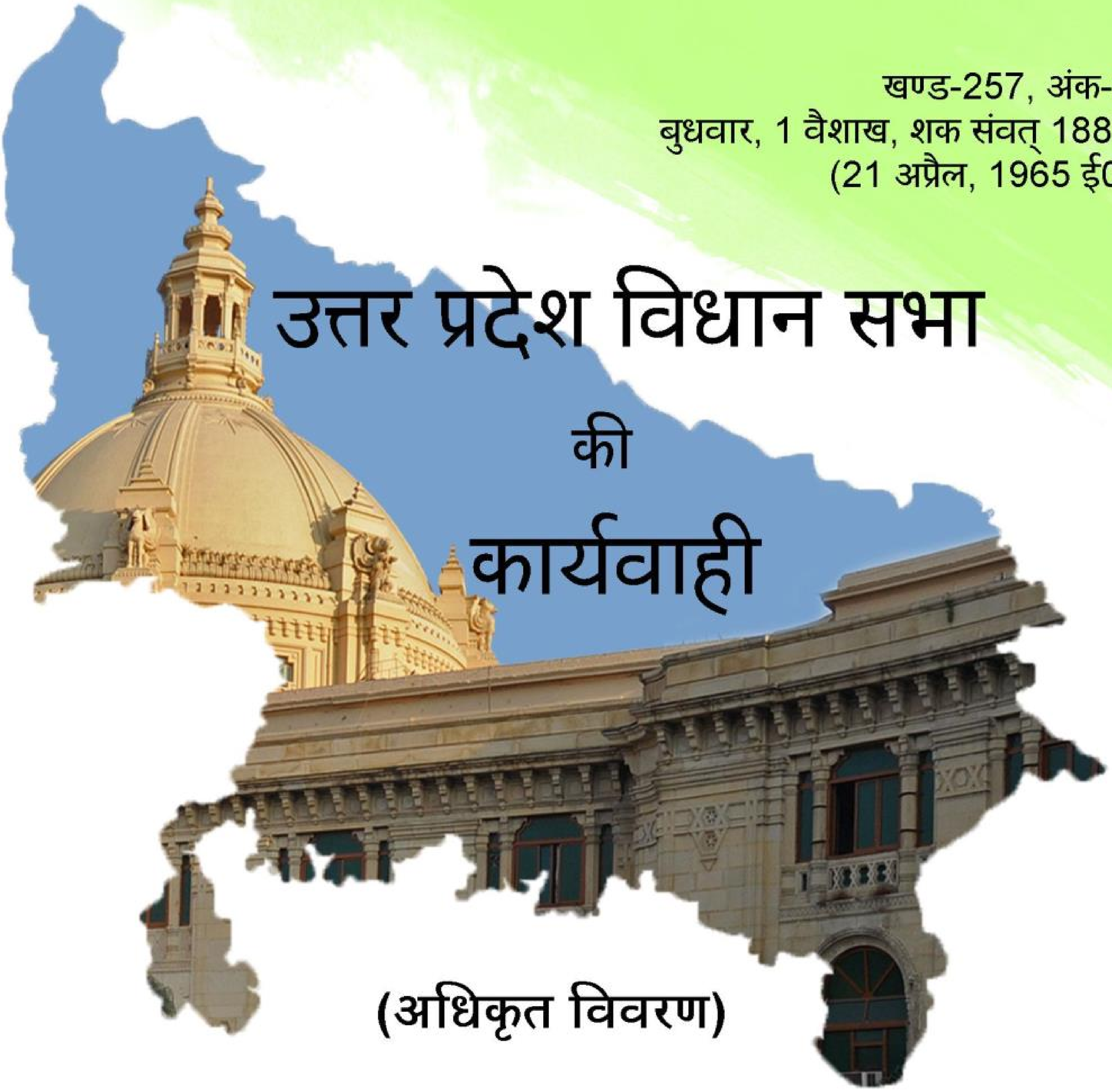

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २१ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम खकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह ,श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २१ अप्रैल, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर में म्योर मिल के श्रमिकों पर जुर्माना

*१---श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या यह सत्य है कि कानपुर स्थित म्योर मिल के श्रमिकों पर आजकल ७ हजार रुपया का सामूहिक जुर्माना करके उसे जबरदस्ती निर्दयता पूर्वक वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या वह वसूली अविलम्ब रोकने की कृपा की जायगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

जी नहीं ।

१६ जनवरी, १९६५ से म्योर मिल के श्रमिकों द्वारा अवैधानिक हड़ताल की जाने पर सेवा-योजकों ने उन्हें काम पर बुलाया और न आने पर उनका ८ दिन का वेतन काटने और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की नोटिस लगायी । दोनों पक्षों ने इस मामले की श्रमा-

युक्त के निर्णय पर छोड़ दिया । श्रमायुक्त के निर्णय के अनुसार सेवायोजकों द्वारा निर्धारित दंड बहुत कम कर दिया गया और हड़ताल में सक्रिय भाग लेने वाले श्रमिकों पर केवल एक रुपया प्रति मजदूर अर्थदंड किया गया और उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सेवायोजकों ने ऐसी थ्रेट का स्टेटमेंट निकाला जो प्रेस में भी छपा है और मजदूरों के सामने भी कहा गया कि जुर्माना वसूल किया जायगा ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, इसका सवाल नहीं होता है । कोड आफ कंडक्ट के मुताबिक अगर कोई हड़ताल अवैधानिक होती है तो ८ दिन का जुर्माना किया जा सकता है और तनख्वाह काटी जा सकती है ।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, यह जो १०१ रुपया मजदूरों पर जुर्माना हुआ है, यह जुर्माना ऐसा तो नहीं है कि उनकी चरित्र पंजिका पर प्रभाव डाले या उनका कोई नुकसान हो ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, यह तो रोजाना होता है और कोड आफ कंडक्ट के मुताबिक होता है । क्योंकि लेबर के प्रतिनिधियों ने और मालिकों ने इस मामले को श्रमायुक्त के सुपुर्द किया था तो उन्होंने वेतन न कटवाकर यह कहा कि एक दिन का सांकेतिक वेतन काटा जाय । फिर मिल मालिकों ने यह भी किया कि इस दौरान में जो एक दिन के लिये भी गये उनका जुर्माना खत्म कर दिया । इसमें ३०० रुपये कम जुर्माना हुआ । कुल रकम सात हजार रुपये की है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी फरमाया कि श्रमायुक्त ने जुर्माना कम कर दिया तो क्या उनको सूचना है कि यह हड़ताल प्रबन्धकों की जिद से हुई थी तो उन पर कितना जुर्माना किया गया ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, इस तरह की इत्तला नहीं है कि प्रबन्धकों की जिद से यह हड़ताल हुई थी । इसका मुख्य कारण यह था कि बिना नोटिस दिये छोटे से मामले को लेकर हड़ताल की गई जिसमें मजदूर सेवा निवृत्त किये गये थे । ग्रेचुयेटी के संबंध में भूख हड़ताल की थी । पहले वह १२ तारीख को खत्म हो गई थी । लेकिन मजदूरों ने १६ तारीख से फिर हड़ताल शुरू कर दी थी बिना नोटिस के इसलिये वह अवैधानिक थी ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मजदूरों ने इसमें सक्रिय भाग लिया उनकी संख्या कितनी थी ?

बनारसीदास---

श्रीमन्, यह तो पूरी हड़ताल थी ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने ग्रेचुयेटी की बात कही। मजदूरों, मिल मालिकों और श्रमायुक्त के बीच में यह तय हुआ था कि जो अपंगु और असहाय हैं उनको ग्रेचुयेटी जल्द से जल्द मिल जायगी और अभी तक नहीं मिली। क्या ऐसी हालत में मंत्री जी जुरमाना वापस करायेंगे ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, हड़ताल शुरू की थी तो ५ में से ३ को ग्रेचुयेटी दिला दी थी। ग्रेचुयेटी दिलाने का बराबर उद्योग हो रहा है। जिनको ग्रेचुयेटी नहीं मिली उनके केसेज को सामने लेकर प्रयास किया जाता हैकि उनको ग्रेचुयेटी अदा की जाय और पिछले दिनों में काफी प्रगति हुई है।

प्रत्यावर्तित सहायक विकास अधिकारी

*२--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच) तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में सैकड़ों सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप विभाग में अशान्ति की भावना फैल गई है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

जी नहीं। केवल १६४ अस्थायी स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) अपने मूल पदों पर प्रत्यावर्तित किये गये हैं जिसके फलस्वरूप विभाग में कोई अशान्ति की भावना फैलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य--

यदि हां, तो क्या कारण है तथा क्या यह सही है कि इनमें ऐसे भी कर्मचारी हैं जो आठ साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

नियमानुसार बिना लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) के पदों पर स्थानापन्न पदोन्नतियां दीर्घकालीन अवधि के लिये नहीं की जा सकतीं। इसी नियम के अनुसार पदोन्नति पाये हुए अस्थायी स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत तथा समाज शिक्षा) को प्रत्यावर्तित किया गया। इसमें से ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) के पद पर लगातार ८ साल से अधिक समय से कार्य कर रहा हो।

*४--श्री रामअधार कनौजिया तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य--

क्या यह सही है कि प्रत्यावर्तित कर्मचारियों से जूनियर विभागीय अन्य सहायक विकास अधिकारी अब भी कार्य कर रहे हैं ? उसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) के पदों पर प्रत्यावर्तित कर्मचारियों में से पुनः स्थानापन्न नियुक्तियों के कर दिये जाने के फलस्वरूप अब प्रश्न में उल्लिखित स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

श्री रामआधार कनौजिया--

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, निदेशक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश के पत्र, दिनांक १८ दिसम्बर, १९६२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और जिसके कुछ अंश में आपके आदेशानुसार सुनाकर प्रश्न पूछना चाहता हूं--वह यह पहला पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) के अस्थायी पदों पर पदोन्नति के लिये पंचायत मंत्री, पंचायत लिपिक तथा ग्राम सेवक को समान अधिकार है तथा दूसरा कि जो पंचायत मंत्री, लिपिक, पंचायत निरीक्षक पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा दीर्घ कालीन अवधि के लिये स्वीकृत हैं उन्हें पदोन्नति के लिये वरीयता दी जायेगी। तो ऐसी दशा में जो पंचायत मंत्री और पंचायत लिपिक सन् ६२ के पहले के हैं, इन १६४ अस्थायी स्थानापन्न सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दीर्घकालीन अवधि के लिये लोक सेवा आयोग से स्वीकृति न लेने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पहले लोकसेवा आयोग से स्थायी करने के लिये क्यों स्वीकृति नहीं ली गयी थी, ऐसी बात नहीं है। पहले वी० एल० डब्लू०, पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत लिपिक सभी को पंचायत निरीक्षक पद के लिये प्रमोशन दिया जा सकता था, लेकिन बाद में सरकार ने पुनः विचार किया और उसमें यह तय किया जिसके अनुसार अब पंचायत लिपिक की उस पद पर पदोन्नति नहीं की जा सकती है, केवल पंचायत सेक्रेटरी और वी० एल० डब्लू० प्रमोट होंगे और नियमानुसार एक साल से अधिक की जो वैकेन्सी होगी उस पर पोस्टिंग के लिये हमें लोक सेवा आयोग से पूछना पड़ेगा कम के लिये नहीं। चूंकि इन १६४ आदमियों को १ साल से अधिक हो गया था, इसलिये हमें उनसे पूछना पड़ा और इन्हें प्रत्यावर्तित करना पड़ा। चूंकि अब इन १६४ को फिर से रख लिया गया है इसलिये अब यह कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत तथा समाज शिक्षा) के पदों पर प्रत्यावर्तित कर्मचारियों में से पुनः स्थानापन्न नियुक्तियों के कर दिये जाने के फलस्वरूप अब प्रश्न में उल्लिखित स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि इसमें से कितने लोगों को उन्होंने पुनः स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर दिया है और जो शेष रह गये हैं, उनके न करने का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा कम्पलीकेटेड सवाल है। पहले हमारे यहां पंचायत इंस्पेक्टर हुआ करते थे, ए० डी० ओ० (पंचायत) और ए० डी० ओ० (समाजशिक्षा), बाद में वह तीनों सर्विसेज मर्ज कर दी गयीं। इस कारण से आज भी सरकार के पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये हैं कि हमारे यहां कितनी पोस्ट्स रिक्त हैं। हमारे यहां के कुछ आदमी विभिन्न डिपार्टमेंन्टस् में डेपूटेशन पर भी हैं इसलिये भी यह कठिनाई है। इस बारे में सूचना एकत्र करने के लिये जो कार्यवाही की जाती है अन्य डिपार्टमेंट्स में इसपर कोई वरीयता तो दी नहीं जाती है, वे रूटीन में डील होती हैं। और जब हमारे पास पूरी फिगर नहीं थी इसलिये हम यह नहीं तय कर पाये कि कितनी पोस्टें रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिये २/३ प्रमोशन के लिये जाते हैं और १/३ बाहर के लिये जाते हैं। तो १/३ में किसको लिया जाय यह भी नहीं तय कर पाये, अब लिपिक तोड़ दिये गये तो खाली सेक्रेटरी और बी० एल० डब्लू० रह गये। इस माने में यह बड़ा कम्पलीकेटेड सवाल है।

एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं। यह कायदा है कि टैम्परोरी सरविसेज में १ साल के लिये तो हमको पब्लिक सरविस कमीशन से पूछने की जरूरत नहीं है एक साल के बाद पूछना चाहिये। जब १० महीने हो जाते हैं तो यह ख्याल होता है कि पब्लिक सरविस कमीशन को भी रेफर किया

जाय और हम कर देते हैं। परन्तु वहां से भी ८, १० महीने से पहले उत्तर नहीं आता। नतीजा यह होता है कि काम बन्द। इससे भी खराबी पैदा होती है। इसलिये वाकया यह है कि काम चलाने की वजह से यह सब किया नहीं जाता है और उसी वजह से हमारे आफिसरान भी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं करते। मैंने स्पष्ट रूप से सब बातें बतला दीं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

ग्राम सभा, बिजईपुर को खड़ंजा के लिए अनुदान

*१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ ई० में ग्राम सभा बिजईपुर, विकास क्षेत्र बिजईपुर, जिला फतेहपुर में खड़ंजा निर्माण हेतु कितना-कितना रुपया किन-किन मार्गों के लिये स्वीकृत हुआ ? उसमें से कितना-कितना रुपया किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब उठाया गया तथा उसमें से कितना-कितना लम्बा खड़ंजा निर्माण किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*२—श्री रक्षपालसिंह—

क्या उक्त रुपया प्रस्तावित योजना को पूरा कर सका ? यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त सम्बन्ध में भविष्य में क्या योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, अनुदानग्रहीता श्री रामगोपाल त्रिपाठी, जो इन समय क्षेत्र समिति के प्रमुख हैं, को कई नोटिसें पहिले इस आशय की दी गयीं कि वह कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर बाऊचर प्रस्तुत करें अन्यथा दी गई धनराशियां वापस कराई जायेंगी किन्तु श्री त्रिपाठी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके जिला नियोजन अधिकारी फतेहपुर ने सूचित किया है कि श्री त्रिपाठी ने अप्रैल, १९६५ में कार्य प्रारम्भ कराकर पूर्ण करा देने का आश्वासन दिया है। जिला नियोजन अधिकारी को यह आदेश दिये गये हैं कि यदि वे अब उक्त कार्य पूरा नहीं कराते अथवा धन वापस नहीं करते तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३६ के उपबन्धों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री रक्षपालसिंह—

सन् ५५ में यह रुपया स्वीकृत हुआ था और आज १९६५ है। १० साल के अन्दर काम नहीं हुआ, तो इसके पूर्व सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

५५ में तो स्वीकृत हुआ लेकिन आप देखेंगे कि जो उनको काम दिया गया था उसमें ७७० फीट के मुकाबले में १९६ फीट और ८५० फीट के मुकाबले में २९३ फीट बन भी चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अगर अब इस आश्वासन के बाद वह नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हमने लिखा ही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

जो धनराशि निर्माण कार्य के लिये दी गयी है क्या वह उसी दिन खजाने में जमा कर दी गयी या डाकखाने में जमा करके पासबुक उसकी ली गयी, या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें कई बार, ३०१, १००१, ३०१ इस प्रकार से रकमें ली गयी हैं । कुछ निर्माण कार्य में उन्होंने लगा भी दिया और उन्हें आशा थी कि शेष निर्माण कार्य करेंगे लेकिन किन्हीं कारणों से काम रुक गया और वह रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ । उसे पासबुक में जमा करने का प्रयास नहीं किया गया और इसमें कोई मुख्य रूप से अनियमितता नहीं हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह नियम है कि ऐसे अनुदान का पैसा जब किसी व्यक्ति को मिले तो उसका पहला कर्त्तव्य होता है कि वह उसे खजाने में जमा कर दें । काम में ज्यों ज्यों रुपये की आवश्यकता हो खजाने से रुपया लेता जाय और भुगतान करता जाय । ईमानदार आदमी यही करता है । अगर प्रमुख ने नहीं किया तो क्या वहां के बी० डी० ओ० या प्लानिंग आफिसर या सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये थी या नहीं ? और अगर हां, तो सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री राममूर्ति--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पांडेय जी ने जो बात कही है वह सही है । कायदा यही है और सरकार का इरादा भी यही रहता है कि उसका पूर्ण रूप से पालन हो लेकिन पंचायत राज्य की इकाई में यह होता है कि जहां पर हम हस्तक्षेप अधिक करते हैं, हमारे कार्य में बाधा आती है और फिर पंचायत राज्य में स्वावलम्बन नहीं हो पाता है । इसलिये हमारी तरफ से कोई कमी न होते हुये भी जो होना चाहिये वह पूर्णतया हम कर नहीं पाते । ७३ हजार गांव सभायें हैं और हर एक के बारे में हम इतने डिटेल में चेकिंग कर भी नहीं पाते हैं ।

ग्राम सभा, नगरिया जवाहर के प्रधान की मुअत्तली

*३--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने तथा कौन-कौन ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के प्रधान हैं जिनको दो वर्ष से अधिक हुआ वे निलम्बित हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक निलम्बित रखने के विवरण सहित क्या क्या कारण हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला फर्रुखाबाद के केवल एक गांव सभा नगरिया जवाहर के प्रधान दो वर्ष से अधिक अवधि से निलम्बित हैं । निलम्बन के पश्चात पंचायत राज्य एक्ट की धारा ९५ के अधीन अनेक कार्य-विधि का पालन करना पड़ता है जिसके कारण अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब हुआ है ।

श्री महरामसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस बात पर विचार करके उसकी जांच करने के लिये तैयार हैं कि उस प्रधान को जिस अधिकारी ने मुअत्तल किया है उसने पार्टीबन्दी में पड़कर मुअत्तल किया है ? ५ वर्ष का पीरियड होता है जिसमें २।। वर्ष वह मुअत्तल रहा और उसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है ?

श्री राममूर्ति--

इस मामले में मुझे खुद बहुत अफसोस है और माननीय सदस्य ने जिस बात को कहा है वह बात ठीक है । इसलिये सम्बन्धित अफसर को यह आदेश दे दिया है कि जिस अफसर की गलती थी उसको सख्त सजा दी जाय ।

देवरिया सदर अस्पताल में टिटेनस तथा प्रसव पीड़ा से मृत्युएं

*४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया सदर अस्पताल के टिटेनस कक्ष में सन् १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ क्रम में से कितने रोगी भर्ती हुये और उनमें कितने मरे, मरने का कुल प्रतिशत क्या है और क्या टिटेनस से मरने के प्रतिशत में कमी करने की ओर कोई विशेष कदम उठाया जायेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
भर्ती हुए रोगियों की संख्या ..	१५८	१८४	१६५
मृतकों की संख्या	६४	६८	५२
प्रतिशत	४०.५०	३६.९५	३१.५१

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि टिटेनस से मरने वालों के प्रतिशत में कमी हुई है ।

उक्त अस्पताल में टिटेनस के रोगियों के उपचार के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं ।

*५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया सदर अस्पताल के महिला कक्ष में सन् १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ के साल में कितनी महिलायें क्रम से प्रसव हेतु आयीं, उनमें कितनी बच्चा सहित, कितनी स्वयं और कितने के सिर्फ बच्चे मरे ? क्रम से साल ब साल मरने का प्रतिशत बताते हुये क्या प्रसव हेतु आई महिलाओं की मौत की संख्या घटाने की ओर कोई कदम उठाया जावेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है :

	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
प्रसव हेतु आई महिलाओं की संख्या ..	७५६	८३५	८०२
उनमें बच्चा सहित रने वाली महिलाओं की संख्या	४	६	५
प्रतिशत	०.५२	०.७१	०.६२
प्रसव हेतु आई केवल महिलाओं की मृत्यु संख्या	६	५	४
प्रतिशत	०.७९	०.५९	०.४९
उन महिलाओं की संख्या जिनके सिर्फ बच्चे मरे	४५	४३	४१
प्रतिशत	५.९५	५.१४	५.११

प्रसव हेतु चिकित्सालय में आई महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या घटाने का सभी सम्भव प्रयत्न किया जाता है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

जब से सरकार ने टिटेनस के बीमारों की उचित देखरेख के आदेश दिये हैं तब से उनकी मृत्यु के प्रतिशत में काफी कमी हुई है जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है, तो अगर मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे दें कि जो मरीज टिटेनस के अस्पताल में आयेंगे उनको बाजार से दवा खरीद कर लाने के लिये न कहा जायगा अथवा वह यह बात न सुनेंगे कि अस्पताल में दवा नहीं है, तो मेरा खयाल है कि प्रतिशत और ज्यादा घट जायगा। क्या मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था वहां करेंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

टिटेनस के मर्ज को आराम देने के लिये केवल दवा की ही जरूरत नहीं होती बल्कि इस बात की जरूरत होती है कि वह वक्त पर पहुंच जाय । अगर मर्ज बढ़ जायगा तो कितनी भी दवा दी जाय फायदा नहीं हो सकता । तो इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि दवा समय से आ जाय और अस्पताल में साधन उपलब्ध हैं और मरीजों की उचित सेवा की जाती है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या मंत्री जी मरीजों को जल्दी से जल्दी दवा उपलब्ध हो सके इस के लिये सदर अस्पताल के अलावा जिले के जो दूसरे अस्पताल हैं वहां भी वे क्या टिटेनस की दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

टिटेनस के मरीज जैसा कि मैंने निवेदन किया अगर अस्पताल में समय के अंदर आ जायं तो दवा देने से फायदा जरूर हो सकता है ।

श्री उग्रसेन---

इस बात को देखते हुये कि देवरिया में, जहां टिटेनस के मरीज रहते हैं, ऐसी जगहें हैं कि जहां इन्सान अच्छी हालत में नहीं रह सकता । तो क्या मंत्री जी वहां टिटेनस के मरीजों के लिये अलग वार्ड बना देने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

वहां एक वार्ड ६ बिस्तरों का है । उसी वार्ड में टिटेनस के मरीज भी रखे जाते हैं ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

यह रोग क्या अन्य जिलों में भी है और इसकी रोकथाम के लिये क्या कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मैं अर्ज कर चुका हूं कि हर अस्पताल में जो टिटेनस के रोगी आयेंगे और समय से आ जायेंगे वह जरूर अच्छे हो जायेंगे लेकिन अगर समय के बाद आयेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी उनको अच्छा करना ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, देवरिया बहुत बड़ा जिला है, इसलिये माननीय चन्द्रबली जी चाहते हैं कि मुख्य मुख्य अस्पतालों में टिटेनस की दवा जरूर रखी जाय ताकि १००, २०० मील दूर से जो मरीज आते हैं वह जिस अस्पताल में भी पहुंच जायं उनकी दवाई की जा सके । क्या इस बात पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जरूरी दवायें सब जगह रखी जाती हैं हर बड़े अस्पताल में ।

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)--

टिटेनस एक छूत का मर्ज है और जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे मालूम होता है कि काफी संख्या में टिटेनस के मरीज देवरिया के अस्पताल में पहुंचते हैं । तो मंत्री जी को इस बात में क्या परेशानी है कि वहां टिटेनस के मरीजों के लिये एक अलग वार्ड ही खोल दिया जाय क्योंकि यह छूत की बीमारी है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि वार्ड अलग है ।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

आपत्ति कुछ नहीं है, वार्ड अलग है जहां छूत के मरीज रखे जाते हैं ।

श्री उग्रसेन--

अलग नहीं है, सब तरह के मरीज उसी में रहते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मुझे केवल इतना कहना है कि थोड़ा भ्रम पैदा हो गया है । टिटेनस कोई छूत की बीमारी नहीं है । चोट लगने पर अगर टिटेनस का इंजेक्शन दे दिया गया तो ठीक है, लेकिन जब देर हो जाती है यानी ४ दिन के अन्दर अगर मरीज को अस्पताल नहीं ले जाया गया तो ठीक नहीं हो सकता । तीन दिन के अन्दर हो जायगा, तीन दिन के बाद नहीं होगा । टिटेनस की दवा हर अस्पताल में रहती है । मगर फिर भी क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि टिटेनस की दवा है, या नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जब भी कहीं चोट लग जाये या आपरेशन हो तो वहां पर ए० टी० एस० का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बीमारी न हो, लेकिन जब रोगी आ गया तो छूत के ही वार्ड में रखा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय श्रीपाल सिंह का कहना यह है कि जितने अस्पताल हैं सब जगह टिटेनस की दवा रहे, ऐसी व्यवस्था है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैंने अर्ज कर दिया कि जितने बड़े-बड़े अस्पताल हैं सभी जगह रहती है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हाटा, बरहज, पड़रौना, कथौली आदि अस्पतालों में टिटेनस की दवा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस वक्त नहीं बता सकता । जांच करके बता दूंगा ।

क्षेत्र समिति, दातागंज में प्लान बनाने में अनियमितता

*६--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में क्षेत्र समिति, दातागंज में वार्षिक प्लान बनने के आदेश थे ? दिनांक २२ जून, १९६४ की क्षेत्र समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या १० में यह निश्चय हुआ था कि योजना अपूर्ण है । अतः पास नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां, क्षेत्र समिति दातागंज में वार्षिक प्लान बनाने के आदेश थे और २२-६-१९६४ की बैठक में प्रसंगत प्रस्ताव में यह निश्चय हुआ था कि योजना अपूर्ण है। अतः पास नहीं की जा सकती तथा इन्हें पूर्ण कराया जाये। वार्षिक योजना जिला परिषद् की ३०-६-६४ की बैठक में पारित हुई।

*७---श्री सुरेन्द्रविक्रम--

खण्ड विकास अधिकारी, दातागंज ने १६ मई, १९६४ की कार्यवाही में दूसरी स्याही से प्रस्ताव नं० १० में लिखा है और प्रस्ताव १० को काटकर बाद में ११ किया है? इस विषय में जिला नियोजन अधिकारी, बदायूं को पत्र संख्या १४८४ II, दिनांक २९ जून, १९६४, ५ जुलाई, १९६४ तथा उप विकास आयुक्त द्वारा स्मृति-पत्र भी दिये गये, किन्तु आज तक कोई उत्तर नहीं भेजा गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय---

इस विषय में जांच जारी है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बी०डी०सी० की मीटिंग में यह योजना किस तारीख में पारित हुई?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह ३० जून को जिला परिषद् में पास हुआ। पहले क्षेत्र समिति की मीटिंग २-६-६४ को बुलाई गयी थी और पं० जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण स्थगित हो गयी और २२-६-६४ की बैठक में पास करके कि यह अपूर्ण है फिर ३०-६-६४ को जिला परिषद् की बैठक में पास किया गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी को सूचना है कि रजिस्टर में जाल किया गया इसकी शिकायत कृषि उत्पादन कमिश्नर और कमिश्नर, बरेली और डेवलपमेंट कमिश्नर, बरेली और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को की गयी? यदि हां, तो तब से आज तक काम क्यों नहीं सम्पन्न हुआ?

श्री राममूर्ति---

यह सही है कि रजिस्टर में तारीख बदली गयी है लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा तो कोई बदनीयती नजर नहीं आती। उसका खयाल यह था कि अगर यह प्लान पास होने से रह गया तो काम रुक जायगा इसलिये अधूरा भेज दिया। जिला परिषद् के अन्दर इस हद तक तो बदनीयती नहीं थी, हां यह गलत था। फिर बी० डी० सी० बीमार पड़ गये, यह डिले की वजह हुई।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तारीख क्या थी?

श्री राममूर्ति---

इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं, इस वक्त पता नहीं है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या यह सही है कि ब्लाक की वार्षिक रिपोर्ट बी० डी० सी० से बिना स्वीकृति कराये ही जिला परिषद् के समक्ष स्वीकृति के लिये रखी गयी?

श्री राममूर्ति--

यह तो हम लोगों ने माना ही है ।

श्री उग्रसेन--

क्या कारण है कि विकास खंड अधिकारी योजना बना कर समय से क्षेत्र समिति के समक्ष नहीं रख सके और उसे पास नहीं करा सके ?

श्री राममूर्ति--

इसी की तो जांच हो रही है । जब यह पता चल जायेगा कि उनकी गलती है तो उनको सजा दी जायगी ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

वार्षिक प्लान बनाने के आदेश क्या २१-५-६४ को प्राप्त हुए थे ?

श्री राममूर्ति--

मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

जब बी० डी० ओ० को प्लान बना कर भेजने के लिये २१-५-६४ को आदेश भेजे गये तो उसके पूर्व १६-५-६४ को ही प्लान कैसे पास करा ली गयी ?

श्री राममूर्ति--

इसकी इत्तला तो नहीं है । २१ मई को जब खबर मिली कि २ जून को मीटिंग बुलायी गयी है, वह स्थगित हुई, उसके बाद फिर २२ को बुलाई गयी । जो प्लान बनी थी उसके लिये क्षेत्र समिति ने कहा कि वह अधूरी है । इसलिये फिर प्लान बना कर भेजी गयी । जांच उसकी होगी ।

श्री शिवराजसिंह--

क्या यह सही है कि १० महीने बीत जाने के बाद अभी तक जांच शुरू भी नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति--

जांच के लिये बाकायदा आर्डर हो गये हैं ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच में अभी कितना समय और लगेगा ? रजिस्टर में १० की जगह ११ कर दिया गया है, यह तो रजिस्टर से ही पता चल जायेगा, इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री राममूर्ति--

यह तो छोटी-सी बात है, असल बात तो यह है कि यह प्लान अधूरी क्यों रही और उसको समय से पहले कैसे भेज दिया और तारीख बदल दी आदि यह बातें हैं जिनकी जांच होनी चाहिये ?

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनको सामने रख कर ऐसा करने के लिये तैयार हैं कि एक मीटिंग बुला कर उसमें बी० डी० ओ० तथा ब्लाक प्रमुख और जो जांच अधिकारी हैं उनको बुलाकर यह सब जांच कर लें और एक महीने में उसे समाप्त कर दें ?

श्री राममूर्ति--

जांच में शीघ्रता करने के लिये दुबारा फिर हिदायत भेज दी जायेगी ।

गाजीपुर जिले के विकास खंडों में निर्माण-कार्य

*८--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर जनपद में किन-किन विकास खण्डों में क्वार्टर्स और विकास कार्यों का अब तक निर्माण नहीं हुआ है और उनके निर्माण हो जाने की कब तक आशा है ? किन विकास खण्डों में अब तक प्रारम्भिक चिकित्सालयों की स्थापना नहीं हुई है ? कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

गाजीपुर जनपद के मनिहारी, जखनिया, भदौरा, बाराचवर, सादत, भावरकोल, खेतीपुर, करण्डा तथा विरनो विकास खण्डों में क्वार्टर्स एवं विकास कार्यालयों का अब तक निर्माण नहीं हुआ है । विकास खण्ड मनिहारी तथा जखनिया के भवनों का निर्माण दिसम्बर, १९६६ तक तथा शेष विकास खण्डों के भवनों का निर्माण कार्य उनकी बारी आने पर सम्पन्न कराया जा सकेगा ।

जखनिया, भावरकोल, भदौरा तथा मनिहारी विकास खण्डों में प्राथमिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिये सरकार के आदेश जारी हो चुके हैं पर अभी यह स्थापित नहीं हो पाये हैं । इनके शीघ्र काम करने के बारे में प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री राजनाथसिंह---

आज से ५ वर्ष पूर्व मनिहारी, जखनिया आदि कुछ विकास खंडों के क्वार्टर्स तथा कार्यालयों के निर्माण के लिये आदेश हो चुके थे, लेकिन उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ब्लाकों के क्वार्टर तय करने की एक नियमावली है । कभी कभी शासन की स्वीकृति के बाद भी जमीन एक्वायर करने में, टेंडरों में देर हो जाती है ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन ब्लाकों को कायम हुये १०, १२ वर्ष हो चुके हैं तो इनके लिये योजना बनाने की कब बारी आवेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब ब्लाक प्रथम प्रक्रम में आता है तो उसके बाद हम सेंटर, चिकित्सा इत्यादि के भवन बनाने का कार्य करते हैं । तेजी से कार्य करने के आदेश सरकार ने दिये हैं और आशा है कि अब जल्दी काम हो जायगा ।

(अगले प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णानन्दराय---

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं, एक तो चिकित्सा संबंधी और दूसरी ब्लाक संबंधी । इसमें पूरक और प्रश्न करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष----

यह विस्तृत सवाल पूरे जिले भर के ब्लाकों और क्षेत्रों का है । तरीका यह है कि किसी विशेष क्षेत्र सम्बन्धी प्रश्न हो और उस पर ३, ४ सप्लीमेंटरी हो जावें अन्यथा पूरे जिले का प्रश्न तारांकित रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिये ।

कानपुर मेडिकल कालेज में फार्मेसी के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा जो शिक्षार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी की ट्रेनिंग के लिये मेडिकल कालेज, कानपुर में भेजे गये हैं उन्हें अब तक छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में ४३ शिक्षार्थी फार्मेसी में डिप्लोमा की ट्रेनिंग के लिये मेडिकल कालेज, कानपुर में भर्ती किये गये थे। इनमें से १६ शिक्षार्थियों को, जिन्होंने बांड भर दिया था, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में ही छात्रवृत्ति दे दी गयी थी। शेष २७ शिक्षार्थियों को, जब वे बांड भर देंगे, छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिक्षार्थियों के छात्रावास में चौकीदारों की नियुक्ति भी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। इस छात्रावास में राज्य सरकार की मितव्ययिता की नीति को दृष्टि में रखते हुये चौकीदार की नियुक्ति नहीं की गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन २७ विद्यार्थियों ने बान्ड क्यों नहीं भरा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो वही बता सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या दफ्तर के क्लर्कों ने या अधिकारियों ने उनसे बान्ड भरवाने के लिये सम्बन्ध स्थापित किया जिससे वे भर सकते ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं बान्ड फार्म हाजिर कर सकता हूं और वह भरवा दें या जो और सुविधा चाहें उसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री उग्रसेन—

क्या उनको फार्म उपलब्ध किये गये थे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फार्म उपलब्ध नहीं किये गये ऐसी बात नहीं है। चूंकि ५ वर्ष तक सरकार की सेवा करने की शर्त है, शायद इसलिये नहीं भरे गये होंगे।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह प्रश्न कानपुर के बारे में है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह फार्मेसी का इंस्टीट्यूट अकेला प्रदेश में है और इसी की सफलता पर सारे प्रदेश की फार्मेसी का भविष्य निर्भर है तो इसे फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया की मान्यता है या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

धुरवारा ग्राम में बाग लगाने के लिए अनुदान

*११—श्री पितईराम (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको दिनांक १७ अगस्त, १९६४ व २७ अक्तूबर, ६४ को जिला रायबरेली, विकास खंड, डलमऊ, ग्राम धुरवारा का इस आशय का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि सन् १९५७ में नियोजन विभाग से बाग लगाने के लिये कुछ लोगों ने धन लेकर उसका दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । उचित पूछ ताछ के बाद भी श्री माता प्रसाद से कुल रुपया नियमानुसार मय ब्याज के एक किस्त में वसूली के आदेश जिलाधीश के द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं ।

*१२—श्री पितईराम (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५७, १९५८, १९५९ तथा १९६० में जिला रायबरेली, विकास खंड, डलमऊ, ग्राम धुरवारा के किन-किन व्यक्तियों को बाग लगाने तथा पम्पिंगसेट लगाने के लिये कितना-कितना रुपया विभाग से दिया गया और उन्होंने कार्य पूरा किया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम धुरवारा, विकास क्षेत्र डलमऊ में श्री माता प्रसाद पुत्र श्री शीतला सहाय को कुल ४५०.०० रुपया १९५७ में, तथा श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह को कुल ३००.०० रुपया १९५८ में बाग लगाने हेतु कर्ज दिया गया था परन्तु इनमें से किसी ने भी नियमानुसार कर्ज का उपयोग नहीं किया । इनके अतिरिक्त पम्पिंग सेट लगाने के लिये ग्राम धुरवारा में १९५७ से १९६० तक किसी को भी रुपया नहीं दिया गया है ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, बनीपारा के प्रशासक द्वारा गबन

*१३—श्री उग्रसेन—

क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, बनीपारा, जिला कानपुर के प्रशासक पर २० हजार रुपये के गबन का आरोप है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

प्रशासक के निलम्बन का निर्णय यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन ने नवम्बर १९६४ में लिया था परन्तु वह कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि उप निबन्धक इलाहाबाद ने उसे संस्था के हित में नहीं समझा । यह मामला अब भी यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के विचाराधीन है ।

*१४—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि समिति संचालक मंडल, १९६२ से मुअत्तल है मगर अभी तक दूसरा चुनाव नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि कौन सी हित की बात थी जिससे उसे निलम्बित नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास--

सरपंच के विरुद्ध भी मामला अदालत में चल रहा है । उन्होंने २० हजार रुपये तक कुछ लोगों के नाम फर्जी लिखकर दे दिया जिसकी वसूलयाबी की उनसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। इसलिये प्रबन्धक का कहना है कि यदि उनको निलम्बित कर दिया गया तो रुपये की वसूलयाबी में दिक्कत होगी ? यह सवाल यूनियन के सामने अभी भी विचाराधीन है, चूंकि कोआपरेटिव यूनियन ही प्रशासन की दृष्टि से निलम्बित कर सकती है ।

श्री उग्रसेन--

क्या कारण है कि उसकी जगह कोई दूसरा चुनाव भी नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास--

जब उस सोसाइटी का निलम्बन किया गया तो उस वक्त डी० एम०, कानपुर को उसकी रिपोर्ट की गई। पुलिस के सुपुर्द मामला हुआ। सी० आई० डी० को जांच दी गई । चूंकि केस अदालत में था इसलिये चुनाव कराना सम्भव नहीं था । अभी भी यह मामला अदालत में है । सरपन्च का मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है और एक रिट पेटीशन भी सरपन्च ने हाई कोर्ट में दायर कर दी है । जब तक इन तमाम का फैसला न हो जाय तब तक कोई चुनाव कराना सम्भव नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

जब जांच होकर मामला कोर्ट में पहुंच गया तो फिर भी निलम्बन न करने का क्या कारण है ? यह कहां तक उचित है ?

श्री बनारसीदास--

निलम्बित करने में कोई कठिनाई नही है । लेकिन सोसाइटी का रुपया वसूल करने में दिक्कत होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गबन करने का चार्ज है वे उसी सोसाइटी में अधिकारी हैं ?

श्री बनारसीदास--

जिनके खिलाफ यह शिकायत थी कि उन्होंने यह रुपया लिया जैसा मैंने अपने पहले उत्तर में निवेदन किया, यह सरपंच के विरुद्ध थी और उस सोसाइटी को ही निलम्बित कर दिया गया और ये मामले अदालत के अन्दर चल रहे हैं ।

मैनेजिंग डाइरेक्टर, जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद द्वारा स्टेट बैंक से रुपया निकालना

*१५--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) तथा श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुछ दिन हुये मैनेजिंग डाइरेक्टर जिला कोआपरेटिव बैंक, फैजाबाद ने स्टेट बैंक, फैजाबाद से तीस हजार रुपये की एक मुश्त रकम निकाली ? यदि हां, तो क्या उसका कहीं इन्दराज है ?

श्री बनारसीदास--

मैनेजिंग डाइरेक्टर, जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद ने ३०,००० रु० की कोई रकम हाल में स्टेट बैंक फैजाबाद से नहीं निकाली बल्कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, फैजाबाद से २६-६-६४ को स्वयं निकाली ।

उक्त रकम का इन्दराज जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद में है ।

*१६—श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम—

क्या यह सही है कि उक्त तीस हजार रुपया बिना सुरक्षा की किसी व्यवस्था के अनियमित ढंग से जिला कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर अपने साथ टान्डा ले गये ? यदि हां, तो वह रुपया किस कार्य में खर्च किया गया ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, उक्त रकम में से १०,००० रु० मैनेजिंग डाइरेक्टर टांडा ले गये और बाकी २०,००० रु० अकबरपुर ले गये । उक्त दोनों रकमें समितियों को ऋण देने में खर्च की गयीं ।

श्री सुखरामदास—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव के मैनेजिंग डाइरेक्टर को बैंक से रुपया ले जाने और दूसरे बैंक में जमा करने का अधिकार है ?

श्री बनारसी दास—

यह मैंने कहा कि यह अनियमित है । गार्ड के साथ में खजांची को रुपया ले जाना चाहिये था ।

श्री सुखराम दास—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिना रजिस्टर में इन्दराज कराये हुये ३० हजार रुपया निकालकर क्यों ये टांडा और अकबरपुर ले गये बिना सुरक्षा के ?

श्री बनारसीदास—

इसका उत्तर मैं दे चुका हूं । वह रुपया जो ले गये वह तो समितियों को बांट भी दिया गया और पहले यह उत्तर मैं दे चुका हूं कि मैनेजिंग डाइरेक्टर को स्वयं रुपया नहीं ले जाना चाहिये था । गार्ड की संरक्षता में खजांची को ले जाना चाहिये था ।

मढ़पुरा ग्राम सभा के प्रधान, श्री चुन्नीलाल वर्मा का निलम्बन

*१७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद में कितने प्रधान निलम्बित हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कब से निलम्बित किये गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद में केवल श्री चुन्नीलाल वर्मा, प्रधान गांव सभा, मढ़पुरा दिनांक २७-६-६४ से परगनाधीश के आदेशानुसार निलम्बित हैं ।

*१८—श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र, हसरेन, जिला फर्रुखाबाद में कौन-कौन ग्राम सभा के उपप्रधानों को एक साल से अधिक काम करते हो गया है और वहां नियमानुसार एक साल बाद चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद में ऐसा कोई भी उपप्रधान नहीं है जो एक साल की अधिक अवधि से अपने पद पर कार्य कर रहा हो । अतः एक वर्ष बाद चुनाव न कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री होरीलाल यादव--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मढ़पुरा गांव सभा के प्रधान श्री चुन्नीलाल वर्मा किस कारण से निलम्बित किये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इसमें यह तो विस्तृत नहीं है । यह है कि २७-६-६४ से निलम्बित कर दिये गये और बड़ा प्रयत्न किया गया कि वह उप प्रधान को चार्ज दे दें, लेकिन उन्होंने चार्ज वगैरह नहीं दिया । फिर बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और अब उन्होंने चार्ज दे दिया है ।

श्री होरीलाल यादव--

मैं कारण जानना चाहता हूं कि किस कारण से निलम्बित किया गया ? चार्ज न देना तो दूसरी बात है ।

श्री राममूर्ति--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय सदस्य से माफी चाहता हूं कि इसका कारण हमारे पास नहीं है, अगर वह चाहेंगे तो फिर दोबारा मालूम करके बता देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

इस बात को देखते हुये कि हमारे प्रदेश में जब से हाकिम परगना लोगों को प्रधानों को निलम्बित करने का अधिकार दिया गया तब से इन अधिकारों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस अधिकार को किसी अन्य के जिम्मे देंगे या डाइरेक्टर, पंचायत राज को सौंपेंगे ताकि इसका दुरुपयोग न हो ?

श्री राममूर्ति--

इस मसले पर हम विचार कर रहे हैं और जो अमेंडिंग बिल आने वाला है उसमें हम सोच रहे हैं कि यह अधिकार किसी और को दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, प्रश्न संख्या १७ में बिलकुल साफ दिया है कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद में कितने प्रधान निलम्बित हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कब से निलम्बित किये गये हैं, तो इसका कारण माननीय मंत्री जी को मालूम करके आना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

उसमें क्यों नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मढ़पुरा के उपप्रधान जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनको चुने हुये एक साल से अधिक हो गया और उनका चुनाव नहीं कराया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जो इस वक्त वर्तमान प्रधान हैं वह उप प्रधान रहे और चूंकि उन्हें कागजों का चार्ज नहीं दिया गया उस बीच में निश्चित अवधि में उनका चुनाव नहीं हो पाया था लेकिन अब उनका चुनाव हो चुका है ।

सेनीटोरियम

*१९---श्री विजयसिंह (जिला जालौन), श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में टी० बी० के मरीजों के इलाज के लिये कहां-कहां सेनीटोरियम हैं और उनमें भर्ती किये जाने का आधार क्या हैं ? क्या राजकीय कर्मचारियों, अर्ध राजकीय तथा जिला बोर्डों के कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस समय उत्तर प्रदेश में टी० बी० के मरीजों के इलाज के लिये निम्नलिखित सेनीटोरियम हैं :--

(१) किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम, भुवाली, जिला नैनीताल ।

(२) टी० बी० सेनीटोरियम, गेठिया, जिला नैनीताल ।

(३) सरोजिनी नायडू स्मारक टी० बी० सेनीटोरियम, फिरोजाबाद, जिला आगरा ।

(४) टी० बी० सेनीटोरियम, सहारनपुर ।

(५) श्री बृज सेवा समिति टी० बी० सेनीटोरियम वृन्दावन, जिला मथुरा (गैर-सरकारी)

टी० बी० के रोगियों की भर्ती सम्बन्धित सेनीटोरियमों में बनी रोगियों की प्रतीक्षा सूची में लिखे नामों के आधार पर क्रमानुसार होती है । राजकीय कर्मचारियों, अर्धराजकीय तथा जिला बोर्डों के कर्मचारियों को उपर्युक्त सेनीटोरियमों में भर्ती होने के सम्बध में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

*२०---श्री विजयसिंह, श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार टी० बी० के इलाज के लिये डोमीसीलियरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो उसमें क्या लाभ होगा और प्रतिवर्ष कितना व्यय होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां । डोमीसीलियरी ट्रीटमेन्ट के अन्तर्गत टी० बी० के रोगियों के इलाज की व्यवस्था उनके घर पर ही कर दी जाती है । जैसे ही टी० बी० क्लीनिक में उपचारार्थ आये रोगी के सम्बन्ध मे क्लीनिक के डाक्टर यह निर्णय लें लेते हैं कि अमुक रोगी टी० बी० का रोगी है उसका इलाज तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा उसे १०.१५ दिन की दवा देकर घर भेज दिया जाता है । टी० बी० क्लीनिक से सम्बन्धित हैल्थ विजिटर्स ऐसे रोगियों के घरों पर जाकर समय समय पर उन्हें इलाज के बारे में सलाह देती रहती हैं तथा रोगी के बारे में क्लीनिक के डाक्टरों को सूचना देती रहती हैं और निर्धन रोगियों को दवा आदि क्लीनिक से निःशुल्क मिलती रहती है । इस योजना से सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ओर तो रोगी का इलाज उसके घर पर ही हो जाता है तथा वह अस्पताल की भागदौड़ से बच जाता है और दूसरी ओर सरकार अस्पतालों में शैय्या वृद्धि पर होने वाले व्यय से बच जाती है । प्रत्येक टी० बी० क्लीनिक को १०,००० रुपया दवाइयों तथा एक्सरे प्लेट्स के लिये दिया जाता है । इसके अतिरिक्त गत वर्ष सरकार ने १ १/२ लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया था जो विभिन्न टी० बी० क्लीनिकों को उनकी आवश्यकतानुसार बांट दिया गया ।

श्री विजयसिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर यह दिया गया कि राजकीय कर्मचारियों और अर्द्ध राजकीय कर्मचारियों तथा जिला बोर्डों के कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता भर्ती होने में नहीं दी जाती है। तो क्या सरकार बताएगी कि वहां पर राज्यपाल की ओर से सरकारी कर्मचारियों का कोई खासतौर से रिजर्वेशन रखा गया है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

आवश्यकता अगर कोई विशेष पड़ती है तो उस के लिए आदेश दे दिये जाते हैं कि उनको वरीयता देने का प्रयत्न किया जाय।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, टी० बी० ३ स्टेजेज में होती है। जैसा कि मंत्री जी ने प्रश्न सं० २० के उत्तर में कहा है कि घर पर भी चिकित्सा की जाती है। मान्यवर, भर्ती होने के लिये यह व्यवस्था है कि जब पहली स्टेज में मर्ज होता है और देखने पर अगर मालूम हो जाय कि मरीज को फर्स्ट स्टेज की टी० बी० है तो उसको घर पर व्यवस्था हो सकती है। परन्तु जब उसकी परिस्थिति खराब हो जाती है यानी सेकन्ड स्टेज के लास्ट स्टेज पर हो जाती है, या थर्ड स्टेज पर पहुंच जाती है, तो उसके लिये डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कैसे लाभप्रद सिद्ध होगा। उसका तो भर्ती के अलावा और कोई इलाज नहीं है, क्या यह सत्य है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ही आज सबसे बेहतर तरीका है टी० बी० का क्योंकि जितने मरीज हैं, उस के लिहाज से कभी भी सेनीटोरियम में इतनी शय्याएं नहीं हो सकेंगी। और अगर दवा तथा इन्जेक्शन मरीज समय से लेता रहे, लगातार लेता रहे, तो घर पर ही रह कर निश्चय ही ठीक हो सकता है, चाहे उसको टी० बी० प्रथम स्टेज की हो या दूसरे स्टेज की हो।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इस बात को देखते हुए कि टी० बी० का मर्ज हमारे देश में भी और प्रदेश में भी दिनो दिन अधिक फैलता जा रहा है और सेनेटोरियम की तादाद बहुत कम है, इसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह सम्भव नहीं है कि सबका सैनिटोरियम में इलाज हो। तो क्या सरकार एक हाई पावर कमीशन इस बात के लिए नियुक्त करना चाहेगी जिससे जांच की जा सके कि क्यों यह बीमारी फैल रही है और कौन ऐसे उपाय किये जायं, जिनसे इसके फैलने में रुकावट पैदा हो ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इसमें हाई पावर कमीशन की जरूरत नहीं है। इस रोग की किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री मुन्नू सिंह --

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि टी० बी० अस्पताल आगरा में भी है ? यदि हां, तो उसका नाम सूची में क्यों नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्षय का रोग प्रत्येक जिले में काफी मात्रा में है, उसके हिसाब से सेनीटोरियम स्थापित नहीं किये जा सकते। तो इस बात को देखते हुए प्रत्येक जिला अस्पताल में टी० बी० की विशेष दवाएं मुफ्त देने के लिए व्यवस्था करेंगे ताकि जिनके नाम यहां से जायं, उनको आसानी से दवा मिल सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक हर जिले के अन्दर टी० बी० क्लीनिक स्थापित कर दें।

श्री लखपतराम शर्मा--

जिन लोगों को घरों पर दवाई देते हैं, टी० बी० के केसेस में उनके लिये अच्छी खूराक की आवश्यकता रहती है। तो क्या सरकार उनके लिये दवाई के अतिरिक्त अच्छी खूराक के लिए कोई आर्थिक सहायता देगी कि नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

असली चीज यह है कि दवा समय पर आदमी खाता रहे, और जो ऐसे केसेज माननीय सदस्यों द्वारा या सीधे हमारे पास आते हैं, कि वह गरीब हैं, और उनको मदद की जरूरत है, तो भी पौष्टिक आहार के लिए भी थोड़ी सी सहायता दे देते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक आइसोलेशन वार्ड की जरूरत पड़ती है, ताकि जिनको टी० बी० हो जाती है, उनको अलग रखा जाय। तो क्या सरकार विचार करेगी कि जहां जहां डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की प्रणाली चल रही है, वहां आइसोलेशन वार्ड भी खोले जायं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

टी० बी० आईसोलेशन वार्ड्स कई डगहों पर हैं। जैसे बस्ती, हरद्वार, मिर्जापुर, वृन्दाबन और कानपुर में हैं। इस तरह से आइसोलेशन वार्ड जहां मुमकिन हो पाता है, जरूर बनाने की कोशिश करते हैं।

श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैनपुरी शहर में जो सरकारी अस्पताल हैं, उसमें टी० बी० वार्ड है, लेकिन वह वार्ड नाले के किनारे बना हुआ है, जो एक गंदी जगह है। तो क्या मंत्री जी योजना बनाएंगे कि वह वार्ड वहां से शिफ्ट हो कर दूसरी जगह बन जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि टी० बी० की रोकथाम के लिए एक नई योजना चल रही है जिसमें बहुत से डाक्टर ट्रेन्ड हो कर बंगलौर या मंगलौर से आ भी गये हैं और उसमें से बहुत से आगरे में और कुछ एकाध जगह काम कर रहे हैं। बाकी बेकार इसलिए हैं कि न तो सरकार ने उनके लिये कोई साधन की व्यवस्था की है और दवा और औजारों की कोई व्यवस्था वहां नहीं हुई है तो क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो लोग ट्रेन्ड हो कर आयें उनके लिये सब समान मुहैया करा दिया जाय ताकि मर्ज को रोकने में कामयाबी मिल सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह सत्य नहीं है, जो ट्रेन्ड लोग आते हैं उनको हम टी० बी० क्लिनिक में भेजते हैं और वह इलाज में मदद देते हैं।

मानसिक चिकित्सालय, आगरा के निकट सरकारी भूमि

*२१--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पागलखाने के पास सरोजिनी नायडू अस्पताल की कितनी जमीन कबसे बेकार पड़ी है ? और उस पर कोई निर्माण कार्य करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मानसिक चिकित्सालय, आगरा के समीप सन् १९४६ में लगभग १५५ एकड़ भूमि सरकार ने अध्याप्त की थी। उसमें से २० एकड़ भूमि इस चिकित्सालय के प्रयोग में लाई जा चुकी है। इस प्रकार करीब १३५ एकड़ भूमि अब भी खाली पड़ी है जिसमें से ५ एकड़ भूमि पशु चिकित्सालय बनाने के लिये निर्धारित कर दी गई है। शेष भूमि में से १०० एकड़ भूमि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में उक्त चिकित्सालय के विकास कार्यों तथा सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण-कार्यों के लिये निर्धारित की गई है शेष ३० एकड़ भूमि मानसिक चिकित्सालय, आगरा के पंचम पंच वर्षीय योजना काल में किये जाने वाले विकास कार्यों के लिये निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

आजमगढ़ जिले में क्षेत्र समितियों द्वारा ऋण वितरण

*२२—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख तथा ज्येष्ठ उप प्रमुख, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ ने, जब से पदासीन हुये हैं, ब्लाक के अन्तर्गत कितना अनुदान और लोन बांटा है और अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम कितना अनुदान और लोन लिये हैं?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्रों में, अनुदान तथा ऋण समितियों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, जिनके सभापति प्रमुख ही होते हैं। स्वीकृति हो जाने पर ऋण तथा अनुदान क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा जो उक्त समिति का सचिव होता है, बांटे जाते हैं।

हरपालपुर ब्लाक में तकावी वितरण

*२३—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में किन-किन लोगों ने कुयें, पम्पिंग सेट तथा ट्यूबवेल की तकावी के लिये ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई में प्रार्थना-पत्र दिया और क्या यह सत्य है कि १९६२–६३ में प्रार्थना-पत्र देने वालों को तकावी न देकर जब कि उनकी पूरी जांच हो चुकी थी, १९६४–६५ में प्रार्थना-पत्र देने वालों को तकावी दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२४—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या यह बात सत्य है कि बी० डी० सी० में जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं उसकी प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु उक्त अधिकारियों के पास नहीं भेजी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है।

विकास क्षेत्र, हसेरन में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन

*२५—श्री होरीलाल यादव—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु डी० पी० सी० ग्रान्ट की मांग १९६२–६३ तथा १९६३–६४, १९६४–६५ में की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री राममूर्ति--

विकास क्षेत्र हसेरन ने १९६२-६३ में कोई मांग नहीं की। सन् १९६३ में विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये परिपत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण के लिये कोई अनुदान डी० पी० सी० से न दिया जाय अतः सन् १९६३-६४ व १९६४--६५ में कोई ग्रान्ट देने का प्रश्न नहीं उठता।

*२६--श्री होरीलाल यादव--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा खरगपुर, बिलन्द, ब्रायमपुर, सरगौली के सभापतियों को २,००० रुपया पाठशाला भवन निर्माण हेतु दिया जा चुका है? यदि हां, तो कब और क्या उपरोक्त सभापति भवन निर्माण करा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

विकास क्षेत्र हसेरन के अन्तर्गत ग्राम सभा खरगपुर बिलन्दपुर को २०००) शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक ११-११-१९५६ को स्वीकृत हुआ और दिनांक २४-७-१९६१ को दिया गया। इमारत का निर्माण प्रारम्भ है और लिंटर तक पहुंच चुका है।

स्कूल ग्राम बिराहिमपुर के लिये ग्राम सभा अलीनगर को रुपया २००० भवन नर्माण हेतु शिक्षा के मद से जिला परिषद् फर्रुखाबाद द्वारा इस विकास क्षेत्र के खुलने से पूर्व (दिनांक १७-१२-१९५९ को स्वीकार हुआ तथा २४-७-१९६१ को भुगतान हुआ) दिया गया था। इमारत का काम प्रारम्भ है और लिंटर तक पहुंच चुका है। ग्राम सभा सरगोली को प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु १,३००.०० का निर्माण कार्य दिनांक ११-२-१९६२ को स्वीकार किया गया था जिसमें रुपया ७५०.०० दिनांक २०-५-१९६५ ग्राम सभा सरगोली को भुगतान किया जा चुका है और इमारत पूर्णतया बन कर तैयार हो चुकी है।

ग्राम सभा खरगपुर बिलन्दपुर में स्कूल भवन निर्माण का कार्य ग्रामवासियों की पार्टी-बन्दी तथा प्रधान की उदासीनता के कारण आरम्भ नहीं हुआ था। अब खरगपुर के प्रधान ने खरगपुर में ही स्कूल बनवाना आरम्भ कर दिया है तथा लिन्टर तक इमारत पहुंच चुकी है।

*२७-२८--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

[दसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में कुओं के लिए तकावी

*२९--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बछरावां, महराजगंज, तिलोई तथा सिहपुर ब्लाक जिला रायबरेली में सन् १९६२-६३ व १९६४ में कितने कुओं के लिये तकावी दी गई और कितने कुओं का निर्माण हुआ? यदि किसी कुयें का निर्माण नहीं हुआ तो क्यों और सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

श्री राममूर्ति--

१५१ कुओं के लिए तकावी दी गई जिसमें से ७२ बन चुके हैं, ४६ का निर्माण कार्य प्रगति में है और शेष ३३ कुओं का निर्माण अभी नहीं हुआ है। जो कुएं निर्धारित समय के अन्दर नहीं बने उन पर दी गई तकावी की वसूली एक मुश्त की जा रही है और जिनका निर्धारित समय अभी पूरा नहीं हुआ है उन को पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*३०—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महराजगंज, तिलोई व सिंहपुर ब्लाक तथा बछरावां ब्लाक, जिला रायबरेली में सन् १९६२–६३ व १९६४ में कितने काश्तकारों को सिंचाई के कुयें बनवाने के लिये सीमेंट दी गई और कितने कुयें उक्त सीमेंट से बने तथा जिन काश्तकारों ने नहीं बनवाये उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

८७ कुओं के लिये काश्तकारों को सीमेंट दिया गया जिनमें से ६७ कुएं बन चुके हैं, १८ का निर्माण कार्य प्रगति में है। शेष केवल दो कुओं का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है जिसके लिये सम्बन्धित काश्तकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

छाता तहसील में चिकित्सा व्यवस्था

*३१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के तहसील छाता में ग्राम बरका बुखरारी व शाहपुर, धनौता, चौकी, ऐंच व शेरनगर आदि ऐसी २५ गांव पंचायतों से १० मील दूर पर स्वास्थ्य रक्षा के किये कोई औषधालय है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इन ग्रामों से १० मील के अन्दर कोसीकलां में एक एलोपैथिक चिकित्सालय है।

*३२—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि हर साल बाढ़ व गर्की आने की वजह से बीमार जनता का इलाज करने के हेतु ११ मील दूर कोसीकलां जाना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे जमुना सर्किल के क्षेत्र में कोई सरकार औषधालय कायम करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

तहसील छाता के यमुना सर्किल के क्षेत्र के किसी ग्राम में भी औषधालय स्थापित करने का कोई प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। जांच कराने से यह अवश्य पता चला है कि केवल एक ग्राम मेंटा (बेहटा) में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रश्न जिला स्तर पर विचाराधीन है।

प्रधान, गांव सभा, निमडाह के विरुद्ध शिकायत

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फतेहपुर मड़ाव, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा बेलौली के प्रधान के विरुद्ध दिनांक १५ मई, १९६३ को पास बुक से रुपया निकाल कर कन्या पाठशाला के भवन न बनाने तथा रुपया को निजी काम में खर्च करने की शिकायत उन्हें दिनांक ९ जून, १९६४ का लिखा हुआ उक्त ग्राम के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*३४--रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मड़ाव फतेहपुर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत गांव सभा ने मड़ाव के, प्रधान ने न्याय पंचायत मड़ाव के १६० रुपये ८२ नये पैसे की धनराशि को कब जमा किया ? तथा यह रकम उनके पास कब से रही है ? और न्याय पंचायत के सरपंच पद से हटने के बाद से ही उक्त धनराशि खजाने में क्यों नहीं जमा की गई ?

श्री राममूर्ति--

विकास खण्ड फतेहपुर मड़ाव, जिला आजमगढ़ की गांव सभा निमडाह के प्रधान ने न्याय पंचायत निमडाह के १६० रुपये ८२ पैसे दिनांक २६-१२-१९६३ को स्टेट बैंक में जमा किये थे। यह धनराशि उनके पास ३०-१०-१९६१ से थी। जांच के फलस्वरूप उक्त धनराशि तुरन्त खजाने में जमा न करने का कारण प्रधान की असावधानी है।

सिविल सर्जन, मिर्जापुर के कार्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध शिकायतें

*३५--श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर के चिकित्सा विभाग (सिविल सर्जन कार्यालय) में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें डाइरेक्टर, मेडिकल हेल्थ एवं स्वास्थ्य मन्त्री को गत ६ माह के अन्तर्गत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। ये शिकायतें सिविल सर्जन, मिर्जापुर के कार्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध हैं। जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये।

पनियाली ग्राम के लिये सिंचाई गूल

*३६--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)--

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के प्रश्न संख्या ६ के क्रम पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में सदन में जो वह सूचना दी गई थी कि अब दूसरी योजना बनी है कि एक हौज बनाया जाय और उसके लिये सरकार ने २,२८३ रुपये अनुदान भी दे दिया है तो उस हौज व गूल की कार्यवाही अभी तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ? और यह योजना शीघ्र से शीघ्र कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

*३७--क्या यह सही है कि उल्लिखित हौज ग्राम पंचायत लोहरियासाल मल्ला की बैठक दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ ई० के प्रस्ताव संख्या ३ के निश्चयानुसार है ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा पद्धतियों पर व्यय

*३८--श्री रघुनाथसिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री दिनांक १७ फरवरी, १९६५ के प्रश्न संख्या १२ के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धति के शिक्षण पर पिछले वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में कितना व्यय किया और कितना व्यय सन् १९६५ में करने जा रही है ? दोनों पद्धतियों के पाठ्य-क्रम की अवधि और चिकित्सकों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में आयुर्वेदिक एवं यूनानी की शिक्षा पर १५,९६,८०० रु० तथा एलोपैथिक शिक्षा पर २,१४,६४,१०० रु० व्यय हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन दो पद्धतियों के शिक्षण पर क्रमशः १६,५१,५०० रु० तथा २,४४,४७,८०० रु० व्यय होने की सम्भावना है। आयुर्वेदिक पाठ्य क्रम ५ वर्ष का है। एलोपैथिक पाठ्यक्रम अब ४ १/२ वर्ष का है किन्तु कुछ समय पूर्व यह पाठ्यक्रम ५ वर्ष का था। मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की संस्तुति पर उक्त पाठ्यक्रम ५ वर्ष से घटा कर ४ १/२ वर्ष का कर दिया गया है और यह प्रतिबन्ध है कि जो स्नातक ५ वर्ष के पाठ्यक्रम में भर्ती हुए थे, उन्हें ५ वर्ष का पाठ्यक्रम पास करने के बाद ६ महीने का अनिवार्य हाउसमैनशिप करना होगा और जो ४ १/२ वर्ष के पाठ्य-क्रम में भर्ती हुए हैं या भर्ती होंगे उन्हें उक्त कोर्स से पास करने के बाद १२ महीने का अनिवार्य हाउसमैनशिप करना होगा।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के दो वेतन-क्रम हैं। राजपत्रित चिकित्सकों का २००-४०० रु० तथा अराजपत्रित चिकित्सकों का १२०-२०० रु०, एलोपैथिक चिकित्सकों का वेतन-क्रम २५०-७०० रु० है।

स्त्री कर्मचारियों को पुरुष अधिकारियों के अधीन न रखने पर विचार

*३९--श्री रघुनाथसिंह--

क्या विकास मंत्री इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि कई बार विधान सभा में और बाहर भी इस बात की गूंज उठ चुकी है कि देहातों में विकास कार्य में संलग्न स्त्री कर्मचारियों की स्थिति अपने निकटस्थ पुरुष अधिकारियों, क्षेत्र विकास अधिकारी एवं उप-अधिकारियों के बीच बहुत असुरक्षित रहती है किसी ऐसी व्यवस्था का विचार करेंगे, जिससे इस विभाग के स्त्री कर्मचारियों का पुरुष अधिकारियों के साथ अधिकारी अधीनस्थ का सम्बन्ध न रहे और जैसा कि शिक्षा विभाग में है, इनके कामों की देख-रेख और निरीक्षण जिला या तहसील स्तर पर नियुक्त स्त्री अधि-कारियों द्वारा हुआ करे ?

श्री राममूर्ति--

इस विषय में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस पर यथासमय निर्णय लिया जायगा।

जरहा क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय

*४०--श्री रामप्यारे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास क्षेत्र जरहा, मिर्जापुर जनपद में आयुर्वेदिक औषधालय भवन का निर्माण पिछले वर्ष ही हो चुका है परन्तु अभी तक वहां डाक्टर अथवा वैद्य की नियुक्ति न होने के कौन-कौन कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वैद्य की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और वह शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

*४१--श्री रामप्यारे--

यह देखते हुये कि यह क्षेत्र इंटीरियर में स्थित है तथा वहां दवाइयों आदि की कोई सुविधा नहीं है, क्या मंत्री जी वहां पर डाक्टर भेजने का आश्वासन देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्न नहीं उठता।

*४२--श्री केदारनाथ भार्गव--

[स्थगित किया गया ।]

झांसी में 'नर्सेज होम' बनाने की योजना

*४३--श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी सिविल अस्पताल की नर्सों के रहने वाले बंगले के किराये के रूप में व उनको वहां से रोजाना अस्पताल लाने व वापिस पहुंचाने के लिये मोटर पर वह कब से और कितना मासिक व्यय कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

झांसी सिविल (जिला) अस्पताल व महिला अस्पताल की नर्सों के रहने वाले बंगले का ९० रुपये मासिक किराया लगभग सन् १९४८ से दिया जा रहा है और उनको वहां से लाने व पहुंचाने में अस्पताल की एम्बुलेंस गाड़ी पर लगभग १५० रु० मासिक व्यय उसी समय से किया जा रहा है । जिला व महिला अस्पतालों की नर्सें एक ही बंगले में रहती हैं और एक ही मोटर पर लायी व पहुंचायी जाती हैं ।

*४४--श्री कृष्णचन्द--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उक्त व्यय को बन्द करने के लिये अस्पताल के पास ही स्थानीय नगरपालिका से जमीन का एक प्लाट क्वार्टर बनाने के लिये हस्तगत किया था ? यदि हां, तो कब ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अस्पताल से मिली हुई जमीन का एक प्लाट स्थानीय नगरपालिका से जून, १९६२ में हस्तगत किया गया था परन्तु उस पर नर्सों के लिये क्वार्टर (नर्सेज होम) बनाने की योजना नहीं है ।

हां, महिला अस्पताल, झांसी की भूमि पर नर्सेज होम बनाने की योजना है ।

*४५--श्री कृष्णचन्द--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्लाट पर क्वार्टर बनाने की उसने कब स्वीकृति दी थी और उसकी चहार दीवारी कब बनी थी तथा क्वार्टर बनने का काम क्या इसलिये रुका है कि उस पर स्थित पैट्रोल पम्प वालों को नगरपालिका द्वारा पट्टा दे दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है उक्त प्लाट पर नर्सों के क्वार्टर बनाने की सरकार की योजना नहीं है, अतः उस प्लाट पर उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त प्लाट को जून, १९६२ में हस्तगत करने के पश्चात् अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) रोकने के लिये उस पर चहार दीवारी बनायी गयी थी । उक्त प्लाट पर नगरपालिका द्वारा कोई पट्टा पैट्रोल पम्प वालों को नहीं दिया गया है ।

जालौन जिले में इंटीग्रेटेड चिकित्सालय

*४६--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो एलोपैथिक अस्पताल डी० क्लास के हैं उनकी संख्या क्या है और उनमें से १०० अस्पताल इंटीग्रेटेड अस्पताल किस आधार पर घोषित किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस प्रदेश में "डी" वर्ग के राजकीय ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालय वे हैं, जहां जीवनोपयोगी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, शिक्षा अथवा निवास स्थान की उचित व्यवस्था नहीं है तथा आने-जाने के साधनों की कमी है और इन्हीं कारणों से वहां एलोपैथिक डाक्टर जाना नहीं चाहते और वे वर्षों से बिना डाक्टर के हैं। ऐसे चिकित्सालयों की संख्या १५० है और इन्हीं में से किन्हीं कारणों से ११३ चिकित्सालय इंटीग्रेटेड स्वीकार हुये हैं।

*४७--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जालौन जिले में कितने अस्पताल एलोपैथिक ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तित किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जालौन जिले में केवल कुदारी एलोपैथिक चिकित्सालय को इंटीग्रेटेड में परिवर्तित किया है।

*४८--श्री विजयसिंह--

क्या उपरोक्त प्रकार के परिवर्तन में उस बात का विचार किया गया है कि सरकार को जिस अस्पताल की २० हजार रुपये लागत की इमारत दी गई है उसमें एलोपैथिक के अस्पताल को परिवर्तन किये जाने की शर्त है ? यदि हां, तो क्यों उसे परिवर्तित किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जहां तक जालौन जिले का प्रश्न है कुदारी चिकित्सालय दिनांक १५ अक्तूबर, १९५८ से बिना डाक्टर के चल रहा है। इसको दान में दी गई इमारत अत्यन्त जीर्ण अवस्था में है। उसकी नई इमारत बनवाने के लिये ४६,००० रु० स्वीकृत हो गया है और पी० डब्लू० डी० ने निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है ?

तालबेहट परगना में नाथूराम लोइया तथा जगदीशसिंह द्वारा जमा धन

*४९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री नाथूराम लोइया तनय श्री रज्जू लाल, निवासी ग्राम पूरा कलां, परगना तालबेहट, जिला झांसी ने ब्राह्मण सहकारी समिति पूरा कलां में १०० रु० (सौ रुपये) श्री दीन दयाल चौरसिया, सहायता विकास अधिकारी के द्वारा रसीद नं० ६९८०१, दिनांक १५ मार्च, १९५८ को जमा किया था ? क्या वह रुपया आज तक उक्त समिति में जमा नहीं है ?

श्री बनारसीदास--

प्रश्न में उल्लिखित रसीद की काउन्टर फायल जिला कार्यालय झांसी तथा सम्बन्धित समिति के कागजात में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। किन्तु श्री नाथूराम लोहिया के पास उक्त रसीद देखने से स्पष्ट है कि उस से १०० रु० हिस्सा ५० पैसे फीस एवं पच्चीस पैसे मूल्य पासबुक योग १००.७५ रुपये वसूल दिनांक १५ मार्च, १९५८ को हुये हैं। दिनांक २० मार्च, १९५८ को ब्लाक तालबेहट की शेयर ड्राइव की एकमुश्त धनराशि मु० रुपये ४७१२.२५ पैसे बी०डी०ओ० तालबेहट की ओर से जिला सहकारी बैंक झांसी से जमा की गयी है परन्तु साथ में इसका विवरण संलग्न न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि श्री लोहिया को १००.०० की हिस्से की धनराशि इसमें सम्मिलित है अथवा नहीं। यही कारण है कि उक्त धनराशि जिला बैंक द्वारा सम्बन्धित समिति के खाते में भी नहीं डाली जा सकी है। पूरे मामले में जांच जारी है।

*५०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बाल बचत योजना, जिला झांसी में चलाई गई थी। यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कितना रुपया जमा किया गया ?

श्री बनारसीदास---

जी हां। इस योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६४ तक १४,१४,१४४ रु० जमा हुये हैं।

*५१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि श्री जगदीश सिंह तनय श्री गुलाबसिंह, ग्राम विरधा, ब्लाक-तालवेहट, जिला झांसी से १९.७५ बचत २५ पैसे पास बुक कीमत के रसीद नं० १००८६ बिना तारीख के द्वारा लिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को आज तक पास बुक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास---

श्री जगदीश सिंह का मु० १९.७५ पैसे बाल बचत एवं पच्चीस पैसे कीमत पास बुक योग २०.०० विरधा सहकारी समिति के खाते में जिला सहकारी बैंक झांसी में जमा है। ये धनराशि श्री जगदीश सिंह से किस रसीद नं० द्वारा प्राप्त की गयी है इसकी सूचना कागजात में उपलब्ध नहीं है। पहले उन्हें पासबुक दी गयी प्रतीत होती है तथापि उन्हें दूसरी पासबुक दे दी गयी है।

विकास क्षेत्र, कोन से वैक्सीनेटरों का हटाया जाना

*५२--श्री मंगलप्रसाद आर्य तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष अर्थात् १९६४ में कितने चेचक निरीक्षक, लिम्फ कैरियर, और वैक्सीनेटर तथा सीनियर चेचक निरीक्षक नौकरी से हटाये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५३--श्री मंगलप्रसाद आर्य तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर विकास क्षेत्र कोन (चिल्ह) से कितने सीनियर वैक्सीनेटर सेवानिवृत्त किये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कोन (चिल्ह) विकास क्षेत्र में १९६३-६४ में तीन वैक्सीनेटर थे जो ३१ मई, १९६४ को स्थानान्तरित कर दिये गये। इसके बाद दो और नियुक्तियां की गई जिनको क्रमशः ३१ जनवरी, १९६५ और २८ फरवरी, १९६५ को सेवा निवृत कर दिया गया।

कानपुर में श्रमिकों के लिए वेतन-भत्ता संबंधी कमीशन नियुक्त करने की मांग

*५४--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सूती उद्योग के मजदूरों की मांग थी कि बम्बई और अहमदाबाद की तरह ही कानपुर में भी कार्यभार और महंगाई के अनुरूप वेतन और महंगाई भत्ता होना चाहिये जिसके औचित्य को विन्दवासनी कमेटी और सम्पूर्णानन्द एवार्ड ने भी स्वीकार किया था और क्या उस आधार पर राज्य सरकार ने एक सदस्यीय कमीशन बनाने का निर्णय गतवर्ष किया था ? यदि हां, तो उस कमीशन की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, कानपुर सूती उद्योग के मजदूर समय-समय पर यह मांग उठाते रहे हैं कि उनको वेतन और महंगाई भत्ता उनके कार्यभार और महंगाई के अनुरूप होना चाहिये। परन्तु भारत सरकार द्वारा स्थापित सूती वेज बोर्ड द्वारा देश की सूती उद्योग के विभिन्न केन्द्रों की सर्वांगीण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये श्रमिकों का वेतन निर्धारित किया जा चुका है। जहां तक श्रमिकों के महंगाई भत्ते का प्रश्न है वह कानपुर के जीवन निर्वाह सूचक अंक से पहले ही सम्बद्ध किया जा चुका है और वर्तमान महंगाई को देखते हुये उनकी महंगाई भत्ते की दरों में अगस्त, १९६४ में वृद्धि की जा चुकी है।

महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने गत वर्ष एक सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया था परन्तु यह प्रश्न भारत सरकार द्वारा स्थापित द्वितीय वेतन मंडल के विचाराधीन होने के कारण उक्त कमेटी की नियुक्ति उचित नहीं समझी गयी।

*५५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कमीशन की नियुक्ति के लिये सरकार ने जी० ओ० जारी कर दिया था? यदि हां, तो कब और क्या?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

गांजा-चरस का तस्कर व्यापार

*५६—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेपाल राज्य से गांजा-भांग और चरस का गोरखपुर द्वारा तस्कर व्यापार होता है? क्या सरकार ऐसे व्यापार को रोकने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जहां तक सरकार को सूचना है गांजा और चरस अनधिकृत रूप से नेपाल से इस प्रदेश में गोरखपुर द्वारा भी लाया जाता है। राज्य सरकार इस मामले में सदैव सचेत रही है और इस तस्कर व्यापार की रोकथाम के लिये विशेष दल गोरखपुर जिले में और अन्य जिलों में नियुक्त हैं इसके अलावा इस तस्कर व्यापार की रोकथाम की कठिनाइयों को समय-समय पर नारकोटिक्स कान्फ्रेन्सों में उठाया गया और नारकोटिक्स कमिश्नर द्वारा केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

श्री प्रेमबल्लभ तिवारी द्वारा बलरामपुर अस्पताल के विरुद्ध आरोप

*५७—श्री मेड़ीलाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३ फरवरी, १९६५ के नेशनल हेरल्ड में प्रकाशित सम्पादक के नाम पर पत्र में जो बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के चिकित्सक अधिकारियों द्वारा श्री प्रेमबल्लभ तिवारी के साथ की गयी असावधानी का विवरण है उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उसमें लगाये गये आरोपों की जांच हो रही है।

*५८---श्री मेड़ीलाल---

क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य निदेशक को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां ।

श्री तिवारी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच हो रही है ।

*५९---श्री मेड़ीलाल---

क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जांच के फलस्वरूप जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको उचित दंड शीघ्रातिशीघ्र दिया जायेगा ।

जौनपुर जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*६०---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला के अन्तर्गत कितने और कहां-कहां ब्लाकों में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से काम शुरू किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---

करंजिया कलां ब्लाक में शिकारपुर दैवपुरघाट रोड पर तथा कैराकत ब्लाक में थानागद्दी राम ग्रह रोड पर काम शुरू हो गया है ।

बहगवां ब्लाक में खड़ंजों के लिए वसूल किया गया धन

*६१---श्री उल्फतसिंह यादव---

१३ दिसम्बर, १९६२ के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ८८-८९ तथा ९० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक बहगवां में जो खड़ंजे श्री उल्फतसिंह के मकान से श्री शहजाद तेली के मकान तक मन्जूर हुआ था और श्री श्यामलाल के मकान से होली तक मंजूर किया था उसके लिये श्री जमुना प्रसाद, पंचायत मंत्री द्वारा ६९३ रुपये १२ नैए पैसे जनता से वसूल किये गये थे और उसकी रसीद जनता को नहीं दी गई ? इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

गोंडा जिले में सिंचाई के लिए कुंए

*६२---श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सघन विकास क्षेत्र, चीनी मिल, तुलसीपुर व बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत किन-किन किसानों को सिंचाई के कुयें बनाने हेतु सन् १९६२ से १९६४ तक सरकार द्वारा अनुदान या धन प्राप्त हुआ, उनमें से किन-किन के कहां-कहां कुयें पूर्णतया बन चुके हैं ?

*६३—क्या यह सत्य है कि अधिकांश कुयें नहीं बने और बने हैं तो अधूरे रह गये हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों का हाथ होने के कारण नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और दोषी पाये जाने पर जांच कराकर सरकार उन कर्मचारियों को दन्ड देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एतमादपुर तहसील में हरनद नदी बाढ़ योजना

*६४—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा की तहसील एतमादपुर में हरनद की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ भूमि कई सालों से बरबाद होती आ रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बरबादी को रोकने के लिये निकट भविष्य में क्या करने जा रही है और क्या इस नदी को हजरतपुर के नालों में खुदाकर मिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जीहां, हरनद नदी के बहाव को सुधार कर हजरतपुर के नाले में मिलाने की योजना बनाई गई है ।

[२१ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

झांसी जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितने लोगों ने गत दो वर्षों में वृद्धावस्था की पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये ?

श्री बनारसीदास—

३२० व्यक्तियों ने ।

*२—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र लेबर कमिश्नर के पास भेजे गये हैं तथा उनमें से कितने स्वीकृत व अस्वीकृत हुये हैं ?

श्री बनारसीदास—

१८० प्रार्थना-पत्र श्रमायुक्त के पास भेजे गये जिनमें से १७७ स्वीकृत हुये और २ अस्वीकृत किये गये ।

*३—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है कि पेंशन के प्रार्थना-पत्र साल-साल भर तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

रायबरेली जिले में बीज भंडार

*४—श्री भगवानदीन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली में कोआपरेटिव सीड स्टोर कहां-कहां हैं और वहां कौन-कौन से सुपरवाइजर कब-कब से काम कर रहे हैं ?

*५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर एक सीड स्टोर से सन् १९६३-६४ व १९६४-६५ में अलग-अलग कितना-कितना गल्ला किसानों को वितरित हुआ और कितना-कितना वसूल हुआ ?

श्री बनारसीदास—

रायबरेली में सीड स्टोरों की संख्या ३३ है और इनके स्थान संलग्न सूची में दिये गये हैं। प्रत्येक सीड स्टोर पर एक सुपरवाइजर है। शेष विवरण यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४७ पर)

ग्राम पंचायतों का चुनाव

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी नवम्बर-दिसम्बर में कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतों के चुनाव पंचायतों के भाग २ रजिस्टर के आधार पर न करा कर विधान सभा निर्वाचन की वोटर लिस्ट द्वारा कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसूर्ति—

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ की इमारत

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि जो लखनऊ शहर में सरकार से मान्यता प्राप्त नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज है, उसकी इमारत तथा छात्रावास के लिये करीब चार लाख रुपया सरकार से स्वीकार हो चुका है, और करीब सात साल से यह रुपया बेकार पड़ा हैं और उपरोक्त इमारते नहीं बन सकी हैं ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सन् १९५७ और १९६१ के बीच सरकार ने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एन्ड हास्पिटल, लखनऊ के भवन निर्माण के लिये ४,२५,५०० रु० अनुदान के रूप में दिया। कुछ कानूनी बाधाओं के कारण एक चुना हुआ भूमिखंड हासिल न हो सका अतः इमारत न बन सकी।

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कालेज के कुछ छात्रों को सन् १९६४ ई० तक छात्रवृत्ति दी जाती थी पर अब १९६५ ई० से उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

छात्रवृत्ति के लिये सरकार द्वारा १९६३-६४ में अनुमोदित धनराशि की उपयोगिता का ब्योरा प्राप्त न होने के कारण तथा १९६४-६५ में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण कालेज को अनुदान देते समय तक उपलब्ध न होने के कारण कोई धनराशि स्वीकार न की जा सकी। छात्रवृत्ति देने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है।

दहगवां अस्पताल में तालाबन्दी

*९--श्री उल्फतसिंह यादव--

१५ अप्रैल, १९६४ को प्रश्न कर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १२ तथा १३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब अस्पताल में ताला ब्लाक प्रमुख प्रधान तथा बी० डी० ओ० द्वारा समय-समय पर डाले गये तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

दहगवां अस्पताल में दिनांक ३१-३-६३ को १२ बजे दिन में ब्लाक प्रमुख के भाई ने ताला डाला, और २५-४-६३ को बी० डी० ओ० ने ताला लगाया। उपर्युक्त व्यक्तियों ने अस्पताल में उसके किसी कर्मचारी के उपस्थित न रहने के कारण अस्पताल के सामान की सुरक्षा के उद्देश्य से ताला लगाया था। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*१०--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इतने दिन दवाखाना हेल्थ आफिसर की ढिलाई से बन्द रहने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अस्पताल जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ढिलाई के कारण बन्द नहीं हुआ, बल्कि अस्पताल से उनके कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण १५-४-१९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में दे दिया गया है।

*११--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विकासखंड दहगवां, जिला बदायूं में डाक्टर की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रदेश में डाक्टरों के अभाव के कारण अभी यह कह सकना कठिन है कि कब तक दहगवां के अस्पताल में डाक्टर की व्यवस्था हो सकेगी।

*१२--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

[उत्तर दिया जा चुका है।]

द्वाराहाट ब्लाक में ईड़ा ग्राम की जल योजना

*१३--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट ब्लाक में ग्राम ईड़ा में जो जल योजना गत वर्ष नलों द्वारा लगभग ६ हजार से कुछ ऊपर की लागत से कार्यान्वित हुई उसमें क्या वहां के ब्लाक प्रमुख ने अपने घर पर नल लगवाया तथा २ जलकुन्ड (डिग्गियां) बनवाई हैं ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं ।

ग्राम सभा के प्रस्ताव पर प्रमुख द्वाराहाट के मकान के पास भी एक स्टैंड पोस्ट लगाया गया ।

*१४---श्री मन्नालाल---

यह योजना जिस स्थान से (खाइयागजार) से शुरू की गई है वहां पर जो जलाशय (नौला) ग्रामवासियों के पेय के लिये है क्या उसकी चहारदीवारी को तोड़ा गया ? यदि हां, तो अभी तक उसे क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं ।

टूटी चहार दीवारी को भी नया बनाया गया है ।

*१५---श्री मन्नालाल---

इस योजना में लोगों को श्रमदान कितने रुपये का दिखाया गया, इस योजना का रुपया किसने प्राप्त किया और किसने उसे कामदारों में बांटा ?

श्री राममूर्ति---

इस योजना में ६७५ रु० का श्रमदान दिखाया गया है । इस योजना का रुपया प्रधान गांव सभा ईड़ा, श्री कुंवरसिंह ने प्राप्त किया और उन्होंने उसे कामदारों में बांटा ।

मैथा ग्राम सभा की भूमि

*१६---श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के मैथा ग्राम के सभापति ने ग्राम सभा की भूमि को गैर कानूनी ढंग से अपने रिश्तेदार को एलाट किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति--

गांव सभा गारव मारग एवं माड़ा तीनों को मिला कर मैथा ग्राम कहा जाता है ? इन तीनों में से किसी भी गांव सभा प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को गांव सभाओं की भूमि गैर कानूनी ढंग से एलाट नहीं की है इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७---श्रीमती बृजरानी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैथा बाजार ग्राम सभा की आमदनी का आडिट अभी हाल में कब हुआ है ?

श्री राममूर्ति--

मैथा बाजार से संबंधित गांव सभाओं का आडिट जनवरी, १९६५ में हुआ है ।

*१८-१९---श्री झारखण्डे राय---

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२२---श्री मंगलदेव---

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४–२५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६–२७—श्री खुशीराम—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विकास खंड, जोगिया के प्रमुख के विरुद्ध जांच

*२८—श्री चन्द्रपाल—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आज कल जिला बस्ती के विकास खंड जोगिया के प्रमुख के विरुद्ध जोगिया अथवा उदयपुर ग्राम सभा की सम्पत्ति का दुरुपयोग एवं गबन करने के संबंध में कोई जांच पुलिस द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो—

(अ) उक्त जांच कब से कराई जा रही है ? और आरोप क्या है ?

(ब) जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही सरकार द्वारा उक्त प्रमुख के विरुद्ध की गई है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

(अ) यह जांच अप्रैल, १९६४ से कराई जा रही है । जिला नियोजन कार्यालय से अस्पताल निर्माण हेतु प्राप्त २८६० रु० से खरीदे गये सामानों को निजी उपयोग में लाये और गांव सभा के अभिलेख में जाली नीलाम दिखाया तथा १११० रु० गांव सभा फंड का लेकर शासकीय अनुदान वापस किया ।

(ब) अभी पुलिस की जांच समाप्त नहीं हुई है ।

पुलिस की जांच समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

*२९–३०—श्री हरगैनराम (जिला वाराणसी)—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

क्षेत्र विकास अधिकारी

*३१—श्री हरिगैनराम—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस समय कितने ऐसे प्रखण्ड विकास अधिकारी हैं जो हाई स्कूल फेल व हाई स्कूल पास हैं ? उनके नाम क्या हैं तथा किस-किस जिले में और कहां पोस्टेंड हैं ? क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रखन्ड विकास अधिकारियों की निर्धारित योग्यता ग्रेजुएट हैं ? यदि हां, तो हाई स्कूल फेल व हाई स्कूल पास रखने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

इस समय प्रदेश मे ६० क्षेत्र विकास अधिकारी हाई स्कूल पास, १३ दो वर्ष का कृषि-डिप्लोमा कोर्स पास तथा १ हिन्दी विशारद पास हैं, जिनकी सूची संलग्न है । क्षेत्र विकास अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक यो यता ग्रेजुएट निर्धारित है परन्तु उक्त पद पर वैभागिक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये कोई शैक्षिक यो्यता निर्धारित नहीं है । इन्हीं कारणों से संलग्न सूची में उल्लिखित व्यक्ति क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४८–२५१ पर) ।

*३२-३३---श्री रामकिशोर वर्मा--

[तेरहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कालिका प्रसाद, इंस्पेक्टर सहकारी समिति, खागा

*३४---श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि खागा क्रय-विक्रय समिति के इंस्पेक्टर श्री कालिका प्रसाद को जिले के किसी जुडीशियल आफिसर के यहां से दो (२) वर्ष की सजा भी किसी जुर्म में हो चुकी है? यदि हां, तो सजा के जुर्म में और कब हुई तथा ऐसी स्थिति में नौकरी से पृथक न करने के क्या विशेष कारण हैं?

श्री बनारसीदास---

श्री कालिका प्रसाद इन्स्पेक्टर क्रय-विक्रय सहकारी समिति खागा जिला फतेहपुर को जुडीशियल आफिसर खागा के न्यायालय से दफा ३५३ के तहत १ वर्ष की सजा दिनांक १६-१२-६४ को मिली थी। श्री कालिका प्रसाद पर यह अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने श्री कमलाकान्त शुक्ल, आडिटर पंचायत एवं कोआपरेटिव के वैधानिक कार्य में, जबकि वे उक्त समिति का आडिट कर रहे थे, बाधा पहुंचायी। इन्स्पेक्टर को निम्न कारणों से तुरन्त चाकरी से नहीं अलग किया जा सका।

१---पंचायत राज एवं कोआपरेटिव विभाग तथा पुलिस विभाग से मुकदमा दायर होने या तफतीश इत्यादि की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

२---जुडिशियल आफिसर से जिनकी अदालत में मुकदमा चल रहा था, इस विषय में कोई आदेश या सूचना नही मिली।

३---सहकारी विभाग को किसी अन्य सूत्र से भी मुकदमें के विषय में सूचना नही मिली।

मुरादाबाद जिले में सहकारिता इंस्पेक्टर

*३५---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या सहकारिता मंत्री बतायेगे कि मुरादाबाद जिले में ऐसे कितने सुपरवाइजर हैं जिनको एक स्थान पर ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं?

श्री बनारसीदास--

ऐसे ५ सुपरवाइजर हैं।

*३६-३८---श्री सुखरामदास तथा श्री राजाराम---

[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२३-१२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रधान, ग्राम सभा, नरसा के विरुद्ध शिकायत

*३९---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा नरसा, विकास क्षेत्र औरास, जिला उन्नाव में इस वर्ष जितना भी श्रमदान किया गया उसके लिये गांव के लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया परन्तु प्रधान, ग्राम सभा ने फर्जी वाउचर पेश करके ग्राम पंचायत के कोष का गोलमाल किया है? यदि हां, तो इस प्रकार कितने धन का गोलमाल किया गया और प्रधान के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। २-४-६४ से अब तक ग्राम सभा फतेहपुर नरसा में कोई कार्य श्रमदान से नहीं किया गया है। अतः पंचायत कोष के गोल माल करने का प्रश्न नहीं उठता।

नकली वरक

*४०--श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थय मंत्री को यह पता है कि आजकल सोने, चांदी के वर्क के नाम पर जो रुपहले एवं सुनहले रंग के नकली वर्क बाजार में बिकते हैं तथा मिठाई, पान आदि के साथ जिसका उपयोग किया जाता है वह स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है एवं उससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं ? यदि हां, तो वह उनके उपयोग पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चांदी के वर्क में अलमूनियम, जस्ता और टीन नामक धातुओं का मिश्रण कभी-कभी होता है। चूंकि यह धातुएं शरीर में समाविष्ट नहीं होती बल्कि शरीर से खारिज हो जाती हैं और मिश्रण की मात्रा भी बराये नाम होती है, इसलिये इस प्रकार की मिलावट स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं समझी जाती। केन्द्रीय सरकार के इस संबंध में कोई माप (standard) निश्चित न करने का यही कारण मालूम होता है, फिर भी उनका ध्यान इस ओर दिलाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

*४१--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४२--४३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--४६--श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

[नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८५-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४७--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

विकास खंड, उस्का बाजार का भवन

*४८--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में विकास खंड उस्का बाजार के भवन निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक भवन और स्वास्थ्य केंद्र बनना प्रारंभ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--

अभी तक विकास खंड उस्का के भवन निर्माण हेतु स्थान का चुनाव अंतिम रूप से नहीं हो पाया है। क्षेत्र समिति ने रेहराबाजार स्थित मिश्रा जी के पोखरे के निकट की भूमि के लिए प्रस्ताव किया है जो जिला परिषद् के विचाराधीन है। जिला परिषद् की स्वीकृति हो जाने पर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान की जायगी परन्तु अभी इसके बनने में काफी समय लगेगा क्योंकि पहले निर्माण-कार्य उन खंडों में शुरू किया जा रहा है जो द्वितीय सोपान में शीघ्र ही आने वाले हैं। यह खंड १९६७ में प्रथम सोपान की अवधि पूरी करेगा।

*४९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विकास खंड में वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कितने धन का सामान खरीदा गया ? क्या यह खरीद कोई कमेटी द्वारा की गई या व्यक्ति द्वारा की गई ? यदि व्यक्ति द्वारा की गई तो क्यों ?

श्री रामर्मूति—

वर्ष १९६३–६४ में विकास खंड उस्का बाजार द्वारा कुल १८,८३८.५१ रुपये का सामान खरीदा गया। खरीद के विषय में खंड स्तर पर किसी कमेटी के निर्माण की व्यवस्था नहीं है अतएव भंडार नियमों तथा विभागीय निर्देशों क अनुसार सामानों की खरीद क्षेत्रीय विकास अधिकारी ने की।

प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लखनऊ को अनुदान

*५०—श्री विजयसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० लखनऊ को सरकार की ओर से कितना रुपया ऋण या अनुदान के रूप में १९६२ से १९६४ तक दिया गया ? इसका वर्ष वार व्योरा क्या है ?

श्री बनारसीदास—

प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लखनऊ को सरकार द्वारा वर्ष १९६२ से १९६४ तक १९,८०,५४२.८८ रु० ऋण तथा रुपये ३,६०,८१४.३० रुपये अनुदान के रूप में दिया गया जिसका वर्षवार व्योरा निम्न प्रकार है।

वर्ष			ऋण	अनुदान
			रु०	रु०
१९६२	..	..	४,००,०००	..
१९६३	..	..	३,३०,०००	१,१०,०००.००
१९६४	..	..	१२,५०,५४२.८८	२,५०,८१४.३०
		योग ..	१९,८०,५४२.८८	३,६०,८१४.३०

*५१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के प्रारंभिक रूप में अब तक कितने सदस्य हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि० लखनऊ में ३१२ सहकारी समितियां तथा १ व्यक्तिगत सदस्य है। †सूची संलग्न है।

*५२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि लखनऊ की इस कोआपरेटिव मिल्क यूनियन द्वारा १९६२–६३ या १९६३–६४ में कितना-कितना लाभ बांटा गया ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री बनारसीदास--

वर्ष १९६२-६३ में कुल रु० ७५,५३६.२६ तथा वर्ष १९६३-६४ में रु० ६८,७८९.५५ का लाभ हुआ। इस कुल लाभ में से, बोनस का रु० १४,३०० की रकम छोड़कर, शेष बांटा जा चुका है। बोनस की रकम दायित्व के मद में डाल दी गई है तथा इसमें से हर दुग्ध उत्पादक दुग्ध समिति को देय धन का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

देवरिया जिले में जनशक्ति उपयोग योजना

*५३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में जनशक्ति उपयोग योजना कब से अमल में आ रही है। जब से यह योजना अमल में है कितने कामों के लिए मंजूर रुपये वापस हुए, कितना रुपया वापस हुआ और क्यों वापस हुआ? क्या इस साल के लिए कुल मंजूर रुपये इस्तेमाल में आ जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हमीरपुर जिले में जनशक्ति उपयोग तथा सिंचाई योजना

*५४--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले के किन-किन विकास खंडों में जन-शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सन् १९६३-६४ तथा सन् १९६४-६५ में कितनी सड़कों के बनाने की योजना स्वीकृत की गई थी और उसमें कितना कार्य सम्पन्न हुआ?

श्री राममूर्ति--

सड़कें बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*५५--श्री मदनपालसिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कौन-कौन से कार्य संपादित किए गये तथा कितना धन खर्च हुआ और कितना धन उपरोक्त योजना का शेष बचा?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पंचायत राज निदेशालय में लिपिकों की ज्येष्ठता

*५६--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज निदेशालय में सन् १९३२ ई० में कुछ लिपिकों के पद स्थायी घोषित किए गये थे? यदि हां, तो अब तक कितने लिपिक स्थायी घोषित किए जा चुके हैं और निदेशालय के स्थायीकरण के आदेश की गति क्या है? यदि अब तक कोई लिपिक स्थायी नहीं किए गये हैं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

जी हां। सन् १९६२ में स्थायी किये गये लिपिकों के पदों पर अभी तक किसी लिपिक को स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि पंचायत राज निदेशालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन रहा है।

*५७–५८---श्री झिलमिटराम--

[नवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ९३–९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए ।]

*५९–६०---श्रीमती सुशीला रोहतगी--

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिले में सहकारी बीज भंडारों में हरिजन कामदार

*६१---श्री पंचमदास (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सहकारिता हरिजन विभाग के कितने बीज भंडार हैं और उन पर कितने कामदारों की संख्या है ?

श्री बनारसीदास--

हरदोई जिले में सहकारी बीज भंडारों की संख्या ४० है जिनमें ४० कामदार (प्रत्येक बीज भंडार पर एक) काम करते हैं ।

*६२---श्री पंचमदास--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन कामदारों में हरिजन कामदार हैं ? यदि हां, तो कितने और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । दो हरिजन कामदार हैं ।

कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की पदोन्नति

*६३---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल अक्तूबर, १९६४ में सुपरवाइजरों को कोआपरेटिव निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, और उक्त पदोन्नति का आधार क्या रखा गया है ?

श्री बनारसीदास--

उक्त पदोन्नतियां अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करने की शर्त के साथ ज्येष्ठता के सिद्धांत के अनुसार की गईं ।

*६४---श्री होरीलाल यादव--

क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्ति भी पदोन्नत किए गये हैं जो ओवरऐज हो चुके थे ?

श्री बनारसीदास--

जी हां ।

*६५---श्री होरीलाल यादव--

क्या उपरोक्त चुनाव के संबंध में सरकार को कुछ सुपरवाइजरों ने दिनांक २३ नवम्बर, १९६४ को रिप्रेजेन्टेशन भेजा है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं, कोई रिप्रेजेन्टेशन इस संबंध में नहीं प्राप्त हुए । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अतर्रा अस्पताल

*६६—श्री मतोलासिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अतर्रा, जिला बांदा का अस्पताल सरकारी कब बना और उस वक्त कस्बा अतर्रा की आबादी क्या थी ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् बांदा द्वारा अतर्रा अस्पताल के निर्माण की कार्यवाही १९१५–१६ में आरंभ हुई परन्तु संबंधित पत्रावली के नष्ट हो जाने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह अस्पताल कब बना तथा उस समय अतर्रा की आबादी क्या थी। १९२१ में अतर्रा की आबादी ३,७२६ थी।

*६७—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि टाउन अतर्रा में इस वक्त आबादी उस समय से पांच गुना है और वह उत्तर प्रदेश में गल्ले की प्रमुख मंडी है तब क्या कारण है कि अतर्रा टाउन का अस्पताल अपने पुराने ही स्तर पर है ? सरकार ने उसे उच्च स्थान अब तक क्यों नहीं दिया जब कि वह कस्बा कर्वी से कहीं अधिक उन्नतिशील है ?

श्री राममूर्ति—

१९६१ की जन गणना के अनुसार अतर्रा कस्बे की आबादी ११,३४२ है। अतर्रा गल्ले की प्रमुख मंडी है जिला परिषद्, बांदा, अस्पताल के स्तर को ऊचा करने में असमर्थ है अतः इस अस्पताल के प्रांतीयकरण का सुझाव परिषद् ने सरकार को भेजा परन्तु संकट कालीन स्थिति होने के कारण योजना फिलहाल स्थगित है।

*६८—श्री मतोलासिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कस्बा अतर्रा की जांच करके तथा जरूरत महसूस करते हुए उसे प्रथम श्रेणी का अस्पताल बनाने का विचार रखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

यह अस्पताल जिला परिषद् का है। जब तक इसका प्रांतीयकरण नहीं हो जाता तब तक इसका स्तर ऊंचा करना संभव नहीं है।

*६९–७०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[ग्यारहवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७१—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

[ग्याहरवें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

लखनऊ जिले में सहकारी सुपरवाइजर

*७२—श्री पूरनलाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में सहकारी सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने सुपरवाइजर हैं जिनको इस जिले में कार्य करते ६ वर्ष से अधिक हो गया है ?

श्री बनारसीदास—

लखनऊ जिले में सुपरवाइजरों की संख्या ४३ है। इनमें से ५ सुपरवाइजरों को जिले में रहते ६ वर्ष से अधिक हो गया है।

*७३—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में सहायक विकास अधिकारी श्री कालीकृष्ण बाजपेयी को दण्ड

*७४—श्री महरामसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या विकास मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में सन् १९५९ से लेकर दिसम्बर, सन् १९६४, तक क्या कोई ऐसे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) रहे हैं जिनके विरुद्ध रुपया गबन करने तथा पंचायतों के रुपये को गड़बड़ करने की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो वे कौन कौन सहायक विकास अधिकारी हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । सन् १९६३ में फर्रुखाबाद जिले के श्री कालीकृष्ण बाजपेयी नामक एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध गांव सभाओं के धन में गड़बड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । शिकायातों की जांच की गई । जांच के उपरान्त श्री बाजपेयी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और उन्हें दंडित किया गया ।

स्वरूपरानी नेहरू अस्तपाल, इलाहाबाद में रोगी का पैर काटा जाना

*७५—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जून, सन् १९६३ से ३१ मई, १९६४ तक स्वरूप-रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद के डाक्टर आर० सी० गुप्त, सर्जन, ने कितने पैर के फ्रैक्चर का इलाज किया और उनमें से कितने पैर काटे गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१४ फ्रैक्चर के रोगियों का इलाज किया जिनमें से एक रोगी का पैर काटा गया ।

*७६—श्री बृजबिहारी—

क्या कुछ फ्रैक्चर के केस ऐसे भी थे जिनमें इलाज, डाक्टर आर० सी० गुप्त, ने शुरू किया लेकिन केस खराब हो जाने के कारण दूसरे डाक्टर ने पैर काटा ? यदि हां, तो क्यों और इसमें डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

केवल एक ही केस ऐसा था जिसमें इलाज तो डा० आर० सी० गुप्त ने शुरू किया परन्तु उस केस का तबादला उसके खराब हो जाने के कारण नहीं, वरन रोगी के संबंधियों एवं मित्रों की प्रार्थना पर एक अन्य सर्जन के अधीन कर दिया गया । रोगी का जीवन बचाने के लिये उसका पैर काटना पड़ा । अतएव डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जेवर क्षेत्र में कुंओं का निर्माण

*७७—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेवर विधान सभा क्षेत्र, जिला बुलन्दशहर में सन् १९६३–६४ में कितने सिंचाई के लिये कुऐं बने, उसके लिये तकावी, सीमेंट कितनी दी गई ?

श्री राममूर्ति—

जेवर विधान सभा क्षेत्र, जिला बुलन्दशहर में वर्ष १९६३–६४ में ६५ पक्के कुये सिंचाई के लिये बने । उनके लिये २,२१९ बोरे सीमन्ट तथा १४,३०० रुपया तकावी के रूप में दिया गया ।

*७८—श्री जसरामसिंह—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७९—श्री जसरामसिंह—

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार

*८०—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार के पद के लिये सरकार ने क्या योग्यतायें निर्धारित की हैं और क्या वर्तमान रजिस्ट्रार उन योग्यताओं को पूरा करते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों के अधिकार, वेतन, भत्ता और सेवा संबंधी शर्तों को निर्धारित करने के लिये नियमों का आलेख्य सुझावों तथा आपत्तियों के लिये गजट में प्रकाशित किया जा चुका है । इन नियमों को अंतिम रूप देने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है । रजिस्ट्रार के पद के लिये निम्नलिखित योग्यतायें इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं :—

अनिवार्य—

(क) भारत का एक नागरिक या सिक्किम की प्रजा हो ।

(ख) जिस साल चुनाव के लिये आवेदन पत्र मांगे जायं उसके बाद के वर्ष में १ली जनवरी को कम से कम ३० वर्ष और अधिक से अधिक ४५ वर्ष की आयु होनी चाहिये ।

(ग) मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी हो और किसी ऐसे शारीरिक अवगुणों से मुक्त होना चाहिये जो सुचारु रूप से कार्य सम्पादन में बाधा डाल सके, और

(घ) उत्तर प्रदेश में न्याय विधिक स्थापित किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किया हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय की, जो इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त हो, डिग्री हो ।

(च) देवनागरी लिपि में हिन्दी भली भांति लिखना पढ़ना जानता हो,

(छ) आफिस के कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखता हो ।

वरीयान—होम्योपैथिक मेडिसिन ऐक्ट, १९५१ के शेड्यूल में वर्णित योग्यतायें रखता हो यानी सूची बद्ध अथवा रजिस्टर्ड हो । वर्तमान रजिस्ट्रार इन योग्यताओं को पूरा करते हैं ।

*८१—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

उक्त बोर्ड के चेयरमैन द्वारा बिना गजट में विज्ञप्ति किये सदस्यता से अलग कर एक वर्ष से दो सदस्यों को बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने से कैसे वंचित किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन का यह मत है कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हो जाने के बाद यह कालेज बोर्ड से संबद्ध कर दिया गया है इसलिये ये दोनों व्यक्ति बोर्ड के सदस्य नहीं रहे अब इन लोगों की सदस्यता का मामला डिस्ट्रिक्ट जज, लखनऊ तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश हैं जिनके निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

*८२---श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या होम्योपैथिक बोर्ड को अधिकार है कि बिना एतराजों के लिये गजट किये किसी विदेश की डिग्री को मान्यता प्रदान करे जो मान्यता प्राप्त डिग्रियों की सूची में न हो ? अगर नहीं, तो बर्लिन की तथा कथित एम० बी० सी० एच० ए० नामक डिग्री को कैसे मान्यता मिली ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां। बर्लिन की एम० बी० सी० एच० ए० नामक डिग्री को बोर्ड की मान्यता नहीं प्राप्त है बल्कि वहां की एम० डी० सी० एच० ए० डिग्री को बोर्ड की मान्यता प्राप्त है।

देवरिया जिले में अस्पताल

*८३---श्री कैलाश (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के भटनी, भाटपार रानी, बनकटा ब्लाक में जो अस्पताल बनाने हैं वह किस-किस स्थान पर बनाये जायेंगे और कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

भाटपार रानी ब्लाक में सरकारी अस्पताल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत है, सरकारी भवन में स्थित है अतः इस अस्पताल के भवन बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

बनकटा ब्लाक में सरकारी अपस्ताल ग्राम मसही में जो बनकटा से दो मील की दूरी पर है, भवन बनाने का प्रस्ताव है। भटनी ब्लाक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल के भवन को ग्राम भटनी के पास बनाये जाने का प्रस्ताव है। अभी यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

*८४---श्री कैलाश---

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले के सहायक विकास अधिकारी की अपील

*८५---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री दिनांक ८ मार्च, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६३ में प्राप्त प्रतिवेदन का निर्णय कब और क्या हुआ तथा विलम्ब के कारण कौन कौन हैं ?

श्री राममूर्ति---

प्रश्न में उल्लिखित प्रतिवेदन पर निर्णय ८ फरवरी, १९६५ को हुआ और इसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये नियमानुकूल ९ अधिकारियों से रिपोर्ट मंगानी पड़ी जिनमें से कुछ सेवा से विमुक्त हो गये थे और कुछ प्रदेश से बाहर नियुक्त थे। इन अधिकारियों से रिपोर्ट को प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कुछ मामले बहुत पुराने होने के कारण निर्णय लेने में भी कुछ समय लग गया।

*८६---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय देने का आदेश संचालक पंचायत राज द्वारा क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया ?

श्री राममूर्ति---

शासन के आदेशानुसार प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने की पूरी चेष्टा की गई किन्तु संबंधित अधिकारियों से रिपोर्टों को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण निर्णय शीघ्र नहीं लिया जा सका।

समथर लेडी अस्पताल में डाक्टर का न होना तथा सिमरधा में अस्पताल की आवश्यकता

*८७—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के समथर लेडी अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है और वहां पर लेडी डाक्टर के भेजने के संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

समथर महिला अस्पताल में ६ अगस्त, १९६१ से महिला डाक्टर नहीं है। डाक्टरों के अपेक्षित संख्या में उपलब्ध होने पर एक महिला डाक्टर को वहां भेजने की व्यवस्था की जावेगी।

*८८—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह देखते हुये की झांसी जिले की गरौठा तहसील में सिमरधा ग्राम के आस-पास जनता की चिकित्सा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है ? सिमरधा में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

झांसी जिले के सिमरधा ग्राम को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं गरौठा में स्थित एलोपैथिक अस्पताल से उपलब्ध होती है जो वहां से केवल ५-६ मील की दूरी पर है। अतः सिमरधा में एलोपैथिक अस्पताल खोलने के विषय पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

गोंडा जिले में सहकारी कृषि समितियां

*८९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में कृषि सहकारी समितियां कहां-कहां पर कितने दिनों से कार्य कर रही हैं ?

श्री बनारसीदास—

गोंडा जिले की सहकारी कृषि समितियों का विवरण† संलग्न है।

*९०—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सहकारी कृषि समितियों में कौन-कौन लोग सदस्य हैं तथा उनकी पूंजी क्या है ?

श्री बनारसीदास—

उक्त सहकारी कृषि समितियों के सदस्यों तथा उनके हिस्से की पूंजी का विवरण संलग्न है।

*९१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सहकारी कृषि समितियों को विभिन्न वर्षों में कितने प्रकार का कितना कर्ज अथवा अनुदान दिया गया है और उन दिये गये कर्ज व अनुदान के उपयोग का ब्योरा क्या है ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री बनारसीदास--

इन सहकारी कृषि समितियों को विभिन्न वर्षों में दिये गये कर्ज अथवा अनुदान तथा उसके उपयोग का विवरण संलग्न है।

प्रोग्रेस असिस्टेंट

*९२--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रोग्रेस असिस्टेंट जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में रखे गये हैं और जिला सांख्यिकीय अधिकारी को बी० डी० ओ० और डी० पी० ओ० के अधीन रखा है ? यदि हां तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों को स्वतन्त्र रखने का विचार सरकार का है, जिसमें सही रिपोर्ट मिल सके ?

श्री राममूर्ति--

प्रोग्रेस असिस्टेन्ट डी० पी० ओ० और बी० डी० ओ० के प्रशासकीय नियंत्रण में रखे गये हैं परन्तु उनका प्रावैधिक नियंत्रण जिला संख्या अधिकारी करते हैं। प्रशासकीय नियंत्रण बी०डी०ओ० और डी०पी०ओ० का प्रशासकीय सुविधा की वजह से किया गया है। इन कर्मचारियों को बी० डी०ओ० तथा डी०पी०ओ० से स्वतंत्र करने का इस समय विचार नहीं है और यह समझा जाता है कि जिला संख्या अधिकारी का प्रावैधिक नियंत्रण ही उपयुक्त है।

*९३--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रोग्रेस असिस्टेन्ट की कम से कम योग्यता क्या है और उनकी तनख्वाह क्या है ?

श्री राममूर्ति--

१--किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की स्नातक की उपाधि--

(१) विज्ञान, (२) कृषि या (३) वाणिज्य से अथवा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के साथ।

(१) गणित, (२) अर्थशास्त्र, (३) समाज शास्त्र, (४) समाज कार्य (५) सांख्यिकीय,

या (२) इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्सटीट्यूट कलकत्ता के कम्पूटर का प्रथम भाग का प्रमाणपत्र,

या ३--बलवन्त विद्यापीठ, बिचपुरी का रूरल सर्विस का डिप्लोमा।

या ४--ग्राम सेवकों के लिये जो इन्टरमीडिएट परीक्षा पास हों २० प्रतिशत पद सुरक्षित हैं। प्रोग्रेस सहायकों का वेतनक्रम रु० ८०-६-११०-द० रो०-६-१५०-द० रो०-१०-२०० है,

*९४-९५--श्री रामप्यारे--

[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९६--श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)--

[हटा दिया गया।]

*९७-९८--श्री महरामसिंह--

[ग्यारहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों का बकाया भत्ता

१—श्री झारखण्डेराय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के पंचायत मंत्रियों का १९६२ का ग्राम चुनाव, उसके पहले ग्राम सभा चुनाव दोनों में काम करने का भत्ता आज चार-पांच वर्ष बीत जाने पर भी नहीं मिला है ?

२—यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

आजमगढ़ जनपद में १९६२ के ग्राम चुनाव में काम करने वाले पंचायत मंत्रियों में से सिर्फ १० पंचायत मंत्रियों को बिल देर से प्राप्त होने के कारण भत्ता नहीं दिया जा सका है। ये बिल महालेखापाल को पूर्व समीक्षा हेतु भेजे गये थे परन्तु वहां से कुछ त्रुटियां इंगित करते हुये वापस हुए हैं जिनका निवारण करके पुनः महालेखापाल को स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे। ग्राम सभा चुनाव में काम करने वाले समस्त पंचायत मंत्रियों का भत्ता वर्ष १९६०–६१ में ही दे दिया गया था।

ठेकमा और मुहम्मदपुर ब्लाक को अनुदान

३—श्री झारखण्डेराय—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ठेकमा ब्लाक और मुहम्मदपुर बलाक (आजमगढ़ जनपद) में १९६२–६३ और १९६३–६४ में कुल कितना अनुदान सरकार से प्राप्त हुआ और किस-किस मद में कितना व्यय हुआ और कितनी धनराशि वापस की गई ?

श्री राममूर्ति—

आजमगढ़ जनपद के ठेकमा व मुहम्मदपुर विकास खंड में वर्ष १९६२–६३ व १९६३–६४ में अधोलिखित अनुदान सरकार से स्वीकृत हुये :

नाम विकास क्षेत्र	१९६२–६३	१९६३–६४
		रु० नै०
१—ठेकमा	..	१,४२००.००
२—मुहम्मदपुर	..	१२,२००.००
	योग ..	२६,४००.००

उपरोक्त अनुदान धनराशि से जिन जिन मदों में जो कार्य हुये उनका विकास खंडवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न है। स्वीकृत अनुदान की कोई धनराशि वापस नहीं की गई केवल ३३.७५ पैसे के जो सिंचाई कूप के निमित्त थी और उसका उपयोग ठेकमा विकास खंड द्वारा इसलिये न हो सका कि धनराशि स्वल्प थी और वह किसी स्वतंत्र कूप निर्माण के निमित्त पर्याप्त न थी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५२–२५४ पर।)

४— श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस अनुदान में कितना हरिजन अनुदान था ? क्या सारा हरिजन अनुदान प्रयोग में आ गया अथवा वापस हो गया ?

श्री राममूर्ति---

सामुदायिक विकास योजना बजट के अन्तर्गत हरिजन अनुदान का प्राविधान नहीं है। हरिजन विभाग द्वारा विकास क्षेत्र ठेकमा में १९६२-६३ में अनुदान स्वरूप ४,११० रुपये स्वीकृत हुये तथा ४,११० रुपये ही व्यय किये गये। १९६३-६४ में अनुदान स्वरूप ५,०३० रुपये स्वीकृति हुये तथा ४,७३० रुपये व्यय हुये। विकास क्षेत्र मुहम्मदपुर के लिये १९६२-६३ में १९,२६० रुपये तथा १९६३-६४ में १७,१८० रुपये स्वीकृत हुये तथा कुल धनराशि व्यय हो गई।

५-७---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

[ग्यारहवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

गांव सभा, कठिरांव से धन की वसूली

८---श्री ऊदल---

क्या सरकार विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६३) के दूसरे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा प्रधान कठिरांव, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की प्रार्थना पर उक्त ८,००० ऋण तथा सूद की वसूली इस प्रतिबन्ध के साथ की बढ़ी हुई अवधि के भीतर ही ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी जायगी? जून, १९६४ तक के लिये स्थगित कर दी गयी है? क्या जून, १९६४ तक धनराशि मय ब्याज के वसूल हो गयी? क्या सरकार को पता है कि वह धनराशि २२ फरवरी, सन् १९६५ तक भी वसूल नहीं हुई है? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा यह वसूली करायी जा रही है और अब तक उक्त धनराशि वसूल न होने का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति---

जी हां। जिला वाराणसी की गांव सभा कठिरांव से प्रश्नगत ८,००० रु० ऋण एवं सूद की वसूली जून, १९६४ तक नहीं की जा सकी। यह भी सही है कि उक्त धनराशि दिनांक २२-२-६५ तक भी वसूल नहीं की जा सकी। यह वसूली माल विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। अब तक सम्पूर्ण धनराशि वसूल न होने का कारण गांव सभा के पास धन का अभाव है।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के छात्र संघ की मांगें

९---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने ९ जनवरी, १९६५ को नेशनल होमियोपैथिक कालेज, लखनऊ के छात्र संघ के सालाना जलसे का उद्घाटन किया था। जिसमें संघ की ओर से गत साल के अपने संघ का कार्य विवरण दिया गया था और उसके द्वारा कुछ मांगें भी सरकार से की गयी थीं? यदि हाँ, तो मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी पूर्ति की दिशा में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां, यह सच है। नेशनल होम्योपैथिक मैडिकल कालिज, लखनऊ के छात्र संघ की ओर से एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य-मुख्य मांगें इस प्रकार थीं:---

(१) कालेज के भवन तथा होस्टल का निर्माण।

(२) ६० शैयाओं वाले हास्पिटल की व्यवस्था।

(३) नौकरी की सुविधायें।
(४) सुव्यवस्थित प्रयोगशालाओं का अभाव।

जहां तक कालेज के भवन एवं होस्टल के निर्माण का प्रश्न है, सरकार उपयुक्त भूमि की तलाश में है और जैसे ही कोई अच्छी भूमि प्राप्त हुई वैसे ही कालेज के भवन एवं छात्रों के लिये होस्टल का निर्माण कराया जायेगा। मुहल्ला दुगांवा में इस कार्य के लिये सरकार ने एक भूमि तय की थी परन्तु कुछ कानूनी अड़चनों के कारण उस भूमि का अधिकार नहीं मिल सका। फिर भी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि जल्दी ही दूसरी भूमि प्राप्त कर ले। कालेज का भवन निर्माण करवाते समय इस बात का ध्यान रक्खा जायगा कि कालेज के साथ एक ६० शैयाओं वाला हास्पीटल भी हो। जहां तक नौकरी की सुविधायें प्रदान करने का संबंध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १० राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना की जायेगी। इन औषधालयों के इंचार्ज होम्योपैथों की नियुक्ति १२०–२०० रु० के वेतन-क्रम में की जा रही है। ऐसे ६ औषधालयों की स्थापना के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं।

सुव्यवस्थिति प्रयोगशालाओं का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है और भवन निर्माण होते ही इनकी व्यवस्था संभव हो सकेगी।

देवरिया जिले में जनशक्ति उपयोग योजनायें

१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय योजना के चतुर्थ चरण की सभी जन-शक्ति उपयोग की योजनायें, देवरिया जिला की वापस कर दी गयी हैं? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी हैं? क्या सरकार उन्हें स्वीकार हेतु पुनः केंद्र को भेजेगी?

श्री राममूर्ति—

जी हां। सूची संलग्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजनायें केंद्रीय शासन को पुनः भेजी जा सकेंगी, क्योंकि केंद्रीय शासन के यह निर्देश हैं कि यह योजना फिलहाल स्वीकृत ब्लाकों तक ही सीमित रहेगी।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५४ पर)

११—श्री चन्द्रलबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

हैंसर बाजार, विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला के हैंसर बाजार, विकास क्षेत्र के विकास अधिकारी के विरुद्ध जनता तथा किसी विधायक ने जिलाधीश को शिकायतें दिसम्बर, १९६४ से आज तक दी हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये सरकार बतायेगी कि किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी और गवाहों के बयान या जांच अधिकारी की रपट की नकल सदन की मेज पर रखते हुये वह बतायेगी कि विकास अधिकारी को क्या सजा दी गयी?

श्री राममूर्ति—

हां, जिलाधीश, बस्ती को श्री चन्द्रबलीसिंह, सदस्य विधान सभा, रुद्रपुर, जिला देवरिया का एक पत्र दिनांक ३–१२–६४ का २७–१२–६४ को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त श्री पारसनाथ राय क्षेत्रीय मंत्री संयुक्त, सोशलिस्ट पार्टी, महुली पूरब रजनोली ने एक मांग-पत्र दिनांक १–१–६५ परगनाधीश महोदय, खलीलाबाद को प्रस्तुत किया था। दोनों पत्रों की प्रतिलिपियां†

†छापी नहीं गईं।

प्रस्तुत है । जांच परगनाधीश, खलीलाबाद द्वारा की गई थी और पंचायत मंत्री के विरुद्ध शिकायत की जांच नायब तहसीलदार, खलीलाबाद द्वारा कराई गई थी । क्षेत्र विकास अधिकारी की भी रिपोर्ट प्राप्त की गई थी । उनकी रिपोर्टों तथा गवाहों के बयान की नकल प्रस्तुत है । विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये गये अतः उन्हें कोई सजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत है ।

१३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९६५ को विकास अधिकारी के विरुद्ध परगना हाकिम, खलीलाबाद के उस दिन हैंसर जाने पर प्रदर्शन भी हुआ था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं तथा उन मांगों की पूर्ति की दिशा में क्या किया गया ?

श्री रामपूर्ति---

हां । परगना हाकिम, खलीलाबाद के समक्ष १-१-६५ को उनके हैंसर जाने पर प्रदर्शन हुआ था और जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया श्री पारसनाथ राय, क्षेत्रीय मंत्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा उसी समय एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था । मांगपत्र में निम्नांकित ६ मांगें थीं:--

१---गांव के गरीब किसानों (जिनका प्रार्थनापत्र संलग्न है) को राशन कार्ड देकर गल्ला वितरण का प्रबन्ध तुरन्त किया जाय ।

२---सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत ढंग से बांटे गये राशन कार्ड की जांच की जाय और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

३---ज्ञान सिंह की राशन की दूकान हैंसर बाजार से हटा कर तुरन्त डेवरी अदालत सेंटर में खोली जाय ।

४---विकास द्वारा दिये गये अनुदान तथा सीमेंट वितरण की जांच की जाय ।

५---हर एक अदालत सेंटर में एक सस्ते गल्ले की दूकान खोली जाय ।

६---बहनोली बाजार में पुलिस द्वारा गलत ढंग से चावल बिकवाने की जांच की जाय ।

उपरोक्त मांगों में से जो मांगें उचित थीं उन पर समुचित कार्यवाही की गई जिनका विवरण क्रमशः निम्नांकित है:---

१---गांव के गरीब किसानों को राशन कार्ड देने की व्यवस्था की गई और ३११ व्यक्तियों को नये राशन कार्ड वितरित किये गये ।

२---किसी को गलत ढंग से दिये गये कार्ड या किसी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का निश्चित नाम तथा पते के अभाव में विशेष जांच स्पष्टतया संभव नहीं थी । सामान्य जांच से कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

३---श्री ज्ञान सिंह की दूकान हैंसर में ही स्थिति रहकर डेवरी न्याय पंचायत के निवासियों को इस कारण गल्ला वितरित करती थी कि वर्षा काल में डेवरी गल्ला ले जाने के लिये यातायात की सुविधा सम्भव नहीं थी । इस समय देहाती क्षेत्र में राशन की दूकानों से गल्ला का वितरण प्रायः बन्द हो गया है । इसलिये फिलहाल दूकान हटाने की तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

४--सीमेंट वितरण की जांच कराई गई । इसके वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । असंतोष इस कारण था कि निजी कार्यों के लिये विकास अधिकारी सीमेंट उपलब्ध नहीं कर सके ।

५--राशन के गल्ले की जिले में प्राप्ति की स्थिति देखते हुए प्रत्येक न्याय पंचायत केन्द्र के लिये एक सस्ते गल्ले की दूकान खोली गई थी । इससे अधिक खोलना संभव नहीं था ।

६--बमनौली बाजार में पुलिस द्वारा कार्यवाही जनहित में की गई थी फिर भी उन्हें भविष्य में इस मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दे दिया गया ।

मिर्जापुर जिले में कुंओं का निर्माण

१४--श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के तहसील राबर्ट्सगंज के विकास खंड नगवा, चोपन, घोरावल, चतरा, राबर्ट्सगंज में कितने गांव हैं जहां अभी तक पानी के कुएं नहीं हैं और यदि हैं तो गरमी से सूख जाते हैं ?

१५--क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सालों में जो कुछ कुए सरकारी अनुदान से बनाये गये उनका १९५४ से अब तक के कुओं का पूर्ण अनुदान कुआं बनने पर अब तक नहीं मिला ? क्या उसे जल्द दिलवाने की कृपा करेंगे तथा उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो कुआं बनने पर आज तक अनुदान नहीं दिया और जिससे लोग आज तक परेशान हुए ?

१६--क्या विकास मंत्री को मालूम है कि उपरोक्त ब्लाक के गांव के लोग गरमी में पानी पीने के लिये घर से २-३-५ मील तक पानी लेने जाते हैं उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्र करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और कितने गांव ऐसे हैं इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना

१७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत १९६४-६५ में कितने रुपये की स्वीकृति दी गई थी ? उसमें इस साल कितना व्यय हुआ ? जो रुपया बचा उसके बचने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--

३१.१९ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी । फरवरी, १९६५ तक ९.७९ लाख रुपया व्यय हो चुका था । ऐसा अनुमान है कि शेष धन भी मार्च ३१, १९६५ तक व्यय हो गया होगा ।

१८--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत सन १९६४-६५ में कितने काम करने का इरादा किया गया था ? क्या उन सभी पर काम प्रारम्भ हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों और कौन-कौन से काम प्रारम्भ न हो सके ? जो काम प्रारम्भ हुए उनमें कौन-कौन पूरा हुआ और कौन-कौन अभी शेष हैं ?

श्री राममूर्ति--

निम्न कार्य करने का इरादा किया गया था:-

१--सड़कें--१४३ मील,

२--गांव ऊंचा करना,

३--गेट गंडक के दाहिने किनारे पर छतौनी बांध बनाना,

४--छतौनी बांध के बचाव की योजना।

संलग्न परिशिष्ट (अ) मे दिखाई गई सड़कों को छोड़कर सभी कार्यों पर ६४-६५ में कार्य प्रारम्भ हो गया था। कार्य प्रारम्भ न होने का कारण हर सड़क के सामने दिया हुआ है। प्रारम्भ हुए कार्यों में सिर्फ चार सड़क पूरी हो चुकी है। अधूरे कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट (ब) में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५५-२५६ पर)

उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली, १९६४*

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पशुपालन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८११५/१२-ई०--१४४-६३, दिनांक १६ जनवरी, १९६५ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली, १९६४ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

कई सूचनाएं जो कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत आई हैं और जो स्वीकार नहीं हुई हैं उन पर मैंने आदेश लिख दिये हैं....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, हमारे यहां ट्रेन डकैती हुई है, कम से कम उस को तो मन्त्री जी के पास वक्तव्य के लिए भेज दें, उस की जांच हो जाय....

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, भेज दूंगा, उचित कार्यवाही के लिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारा भी था नियम ५२ के सम्बन्ध में माननीय, हरगोविन्द सिंह जी ने जो बयान दिया है....

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं। जो अस्वीकार हो गया है, उस के बारे में आप मेरे कमरे में देख लें और बातचीत कर लें, अगर वह नियम ५२ में आ सकता है तो देख लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप की व्यवस्था के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, सारे सूबे में अमनचैन का भार जिसको दिया गया वही कहे कि हम उसको कायम करने में असमर्थ हैं।

---

*छापी नहीं गई।

इसी को लेकर हमारे कमरे में १०० आदमी आए और अगर यही हालत है तो कैसे फिर सूबे का अमन चैन कायम रहेगा और कैसे पुलिस की व्यवस्था उन के रहते हुए चल सकती है। आप माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहें कि वह कोई बयान इस सम्बन्ध में दें कि क्या उन का गृह मन्त्री ऐसा कह सकता है। जनता बहुत भयभीत है....

श्री अध्यक्ष—

आप की बातचीत से ही मुझे तो विश्वास है कि आप भयभीत नहीं हैं। आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हम बहुत डरते हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप सदन से ही नहीं डरते, किसी से क्या डरेंगे।

श्री उग्रसेन—

अभी हमारा बीड़ी मजदूरों का मामला भी हल नहीं हुआ है, श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब राजस्व मन्त्री का वक्तव्य होगा।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैंने २९ मार्च को इस सदन के समक्ष १८ से २३ मार्च के बीच उपलवृष्टि से हुई जन धन की हानि के विषय में सूचना दे दी थी। उसके बाद विधान परिषद् में ८ अप्रैल को इसी विषय में सूचना दे चुका हूं। फसलों की क्षति का मूल्यांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था जो अब अधिकांश जिलों में पूरा हो चुका है। जो सूचना अब मेरे पास आई है उससे पता चलता है कि मार्च तथा अप्रैल में उपलवृष्टि से १० मनुष्यों के प्राण गये, १३ आहत हुए तथा १८९ पशुओं की भी जानें गयीं।

२—मैनपुरी, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, टिहरी-गढ़वाल, खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तथा चमोली में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। अन्य जिलों में फसलों को कुछ न कुछ नुकसान अवश्य पहुंचा है। जो मूल्यांकन अभी तक हुआ है उसका ब्योरा संलग्न तालिका† में दिया हुआ है।

३—प्रदेश के ३८,७३३ गांव तथा ९ पट्टी में लगभग ३४ लाख एकड़ भूमि पर उपलवृष्टि तथा वर्षा से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। बांदा, मुरादाबाद, हरदोई, झांसी की मऊरानीपुर तहसील, मुजफ्फरनगर की सदर तहसील, वाराणसी की सदर और चन्दोली तहसील, मिर्जापुर की सदर तहसील, उन्नाव की हसनगंज तहसील, जिला बरेली की कुछ तहसीलें, मेरठ, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई की संडीला तहसील के प्रभावित क्षेत्रों में क्षति ५० पैसे से ऊपर हुई

(†तालिका के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २५७–२५८ पर।)

[श्री रामकुमार शास्त्री]

है। मुख्य फसलें जिन पर असर पड़ा है जौ, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरहर, तथा तम्बाकू हैं। आम की फसल को भी हानि पहुंची है। अल्मोड़ा जिले में चम्पावत तहसील में ओले से फल के पौदों को भी नुकसान हुआ है।

४---सरकार का बराबर प्रयास रहा है कि यथाशक्ति पीड़ित क्षेत्रों में अविलम्ब सहायता पहुंचा दे। इस हेतु शासन ने १६ लाख रुपए की धनराशि विभिन्न मण्डलायुक्तों को दी है जो आवश्यकतानुसार जिलाधीशों को व्यय के लिए उनके द्वारा दी गई है और दी जा रही है। तकावी वितरण के लिए भी १ करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है। जिन क्षेत्रों में खड़ी फसलों को ५० पैसे से ऊपर की क्षति पहुंची है उनमें भू-राजस्व में नियमानुसार छूट दी जावेगी तथा छूट के लिए प्रस्तावित धनराशि की वसूली भी स्थगित रहेगी। अभी तक जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार छूट की धनराशि लगभग ६,४०,००० रुपए है।

५---इस प्रदेश में २५५ लाख एकड़ से ऊपर क्षेत्रफल रबी की बोवाई में आता है। उसमें से कुल २,००,०४१ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें फसल को ५० पैसे या इससे अधिक की हानि हुई है। इसका ध्यान रखते हुए तथा जो थोड़ी बहुत अन्य प्रभावित क्षेत्र में हानि हुई है उसका भी ध्यान रखते हुए ऐसी आशा है कि इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन प्रदेश के औसत उत्पादन से अधिक ही होगा। इस वर्ष उपज बहुत अच्छी थी और इस हानि के बावजूद अन्दाज है कि अनाज का उत्पादन १९६०-६१ के रिकार्ड* (अधिकतम) उत्पादन के आसपास ही रहेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के सम्बन्ध में मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था। आपने उस पर हुकुम दिया था कि वह भी जोड़ दिया जायगा लेकिन वह एजेन्डा में जोड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, यह तो सारे प्रदेश का है, जो माननीय मन्त्री जी ने दिया है।

श्री उग्रसेन---

पर श्रीमन्, एजेन्डा में हमारा नाम नहीं छपा है। यह छपना चाहिए था।

दूसरा सवाल मेरा यह है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पत्थर पड़ा और वर्षा हुई उस समय कुछ फसल खेत में खड़ी थी और कुछ खलिहानों में पड़ी थी। माननीय मन्त्री जी की बात से ऐसा लगता है कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी के जिले में भी गया था और सब जगह पर भी मैं गया था तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां के जिलाधीशों से जो रपटें आई व उपरोक्त जिलों के सम्बन्ध में क्या हैं?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

चार्ट दे दिया है। उसको पढ़ लीजिए।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, हमारी मेजों पर आना चाहिए था। यह तो नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---

यह आपके कबूतरखाने में है।

---

*१९६०-६१ में रबी खाद्यान्न का उत्पादन ९२ लाख टन था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस सिलसिले में निवेदन है कि जब कभी भी इस तरह की आपदायें होती हैं तो माननीय मन्त्री जी का एक बयान हो जाता है और तकावी बांट दी जाती है उन लोगों को जिनकी पहुंच होती है....

श्री अध्यक्ष—

बड़ी मुश्किल है। आप तो भाषण देने लगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

भाषण नहीं दे रहा हूं। ओला पड़ने से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। बीज काला हो गया है और वह बीज सरकारी बीज गोदाम से ले कर किसान ने बोया था तो इस ओले के पड़ने से जो गेहूं खराब हो गया है उस सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री उनका बीज माफ कर देंगे

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर वे नियमानुसार एन्टाइटिल्ड होंगे तो माफ कर दूंगा।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

हरैया तहसील में अरहर, चना, जौ, गेहूं, बाजरा सरसों को इस पानी से बड़ा नुकसान हुआ है और खलिहान में ये खाद्यान्न सड़ गये। लेखपाल ने तहसील में बैठ कर रिपोर्ट दी है कि केवल ३ आने पर फसल खराब हुई है और तहसीलदार तथा एस० डी० ओ० की रिपोर्ट उसी की रिपोर्ट पर आधारित है जबकि आवेदन पत्र में दिया गया है कि ६० प्रतिशत नुकसान हुआ है तो क्या माननीय मन्त्री वहां के ग्राम सभापतियों द्वारा इंक्वायरी करा कर सही रिपोर्ट प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी जो एजेन्सी है उसी के जरिये हम यह सब काम कराते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जौनपुर जिले के बारे में जो तालिका दी हुई है उसमें पहले कालम में यह दिया हुआ है "प्रभावित गांव की कुल संख्या १,३४० है" और जितने कालम्स दिये हुए हैं उनमें कितने एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ, कितनी क्षति हुई वह सब कुछ निल है तो यह जो १,३४० गांव प्रभावित हुए तो यह बताने की कृपा की जाय कि किस चीज पर ओले पड़े और कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसकी सूचना नहीं मिली, इसलिए नहीं दी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जौनपुर में जो १,०३६ गांव में उपलवृष्टि से हानि हुई है उसकी जांच करा कर क्या माननीय मन्त्री सदन को जानकारी करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जांच हो रही है। जांच हो कर रिपोर्ट आयेगी तो जरूर करा दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

नियमों के अनुसार छूट दी जा सकेगी, ऐसा माननीय मन्त्री ने कहा। लेकिन श्रीमन्, आप जानते हैं और माननीय मन्त्री जी भी जानते हैं कि जो वर्तमान नियम हैं उनके अनुसार कभी भी कोई सुविधा किसानों को नहीं मिल सकती तो क्या माननीय मन्त्री जी इन नियमों में कोई सुधार कराने को तैयार हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इससे तो जो भी उनको दिया जा सकता है वह भी नहीं मिल पायेगा, उसमें भी विलम्ब हो जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

हरदोई जिले के परगना मलावां में २००, ३०० ग्राम वजन के ओलें पड़े तो क्या माननीय मन्त्री जी के पास जिलाधीश, हरदोई ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि परगना का परगना पटरा हो गया है? यदि हां, तो उसके मुताबिक माननीय मन्त्री जी क्या सहायता दे रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कमिश्नरों के पास १६ लाख रुपया छोड़ दिया गया है और जिलाधीश जो कुछ मांगेंगे उसमें से दे दिया जायगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के पास सूचना आयी है कि इलाहाबाद में कोई हानि नहीं हुई है जब कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडेय जी ने स्वयं जाकर देखा है और वहां पर हुई हानि का ब्योरा इस सदन में प्रस्तुत किया है, इस तरह से इन दोनों सूचनाओं में भेद है। तो क्या माननीय मन्त्री जी वहां के जिलाधीशों से पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आपके हुक्म की तामील करेंगे, हम लिख देंगे जिलाधीश को।

श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, हरदोई जिले के केवल संडीला तहसील की इसमें सूचना दी गयी है, बाकी तीन तहसीलें छूट गयी हैं जहां कि खलिहानों में पड़े अनाज पानी पड़ने की वजह से जम गये, तो क्या माननीय मन्त्री जी उन किसानों को भी छूट देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी छूट देने का कोई सवाल ही नहीं है। वह तो अनुमान किया जा रहा है, उसके बाद उसका असेसमेंट होगा, फिर जहां से जैसी रिपोर्ट आयेगी उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, पुराना रेवेन्यू मैनुअल अंग्रेजी जमानें का बना हुआ है और आज, जब कि सरकार से सम्बन्धित बहुत सी संस्थाएं हो गयी हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी उनके द्वारा क्षति के अनुमान की रिपोर्ट मंगाने की कृपा करेंगे और पुराने मैनुअल को बदल कर उसमें इसे जोड़ने की कृपा करेंगे जिससे जानकारी हो सके कि प्रति गांव में, प्लाट-वाइज किस-किस फसल की कितनी हानि हुई है जिससे सही माने में किसानों को राहत मिल सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्लाट-वाइज इस वक्त तो हो नहीं सकता, हां इस प्रश्न पर हम सोचेंगे कि इसमें (रेवेन्यू मैनुअल में) कहां तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में ओले से जो क्षति हुई है उसके लिए वहां के कलेक्टर को हिदायत गयी है कि किस तरह से वहां के लोगों को सुविधा दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां नुकसान ज्यादा हुआ है उसके लिए कानूनन जो लोग मुस्तहक हों उनकी मदद की जाय।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, ऐसा लगता है कि हमारे प्रश्न माननीय मन्त्री जी के पास गये ही नहीं क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं कोई सूचना हम लोगों के नाम की नहीं है और जो हम लोगों ने प्रश्न किया उसका भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तो माननीय मन्त्री जी स्पष्टतया बतावें कि गोरखपुर में ३,४१७, देवरिया में ३,८०८, आजमगढ़ में ३,७१५ गांव प्रभावित हैं, और आजमगढ़ में १,५०,२६० एकड़ और देवरिया में १,९४,५१३ एकड़ भूमि प्रभावित है तथा गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ के जिलों में न तो रुपए में ५० पैसे से नीचे की क्षति हुई है और न ५० पैसे से ऊपर की क्षति हुई है, इसको देखते हुए कि सही स्थिति नहीं बतलायी गयी है क्या माननीय मन्त्री जी सम्बन्धित जिलाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर के खिलाफ इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं की जाती जब तक कि उसकी कोई बेईमानी या गलती न हो। सवाल यह है कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अगर कहीं नुकसान हुआ और वह नगण्य नुकसान हुआ तो वे क्या रिपोर्ट देंगे।

श्री उग्रसेन—

जिलाधीश तो हमारा बिलकुल कत्लआम कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी खुद मेरे साथ चलें, मैं उनको सब दिखला दूंगा। ये कलेक्टर लोग बिलकुल गलत रिपोर्ट देते हैं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है कि फसलें कटकर खलिहान में रखी हुई थीं और वह पानी से नष्ट हो गई हैं तो क्या इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी किसानों को छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, अभी तक तो भगवान की दया है कि आजमगढ़ में नुकसान नहीं हुआ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने जो सूची दी है उसमें इलाहाबाद में सब से ज्यादा जमीन यानी ८,५४,५०३ एकड़ प्रभावित हुई है और जो नुकसान हुआ है वह ५० पैसे से न तो ज्यादा है और न कम है। हमने देखा है कि किसानों के बीज जो खलिहानों में थे, सब जम गये हैं मैं जानना चाहूंगा कि जिन किसानों के बीज खराब हो गयें हैं उनको बीज दिलाने की व्यवस्था करेंगे और लगान में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन

श्रीमन्, मैं कह चुका हूं कि जो कायदे में आता है, वह जरूर दिला देता हूं बिना किसी के कहे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

श्रीमन्, मन्त्री जी ने क्षति के स्टेटमेंट में इटावा में १६६ गांव प्रभावित बताये हैं और ७,६२८ एकड़ जमीन प्रभावित बतायी है तो क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर कि ज्यादा नुकसान हुआ है, दुबारा जांच कराके राहत देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, हमारी जांच हो रही है और कुछ हो चुकी है। जब हमारे पास रिपोर्ट आ जायगी तो हम देखेंगे और जो कायदे में होगा उसे मैं जरूर करूंगा, कोई कहे या न कहे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, इस साल बड़ी आशा थी कि फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो दिक्कत पैदा हुई वह होली से शुरू हुई, कहीं पानी, कहीं ओला गिरा तो सरकार का क्या अनुमान है कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, इस बयान में कुछ है, वह हमें याद नहीं है, इतना नुकसान मालूम होता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ५० पैसे के नुकसान का नियम आज का नहीं है बल्कि अंग्रेजी जमाने से चला आ रहा है। इससे ज्यादा नुकसान हो तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। अगर ४९ पैसे का नुकसान हो तो कोई सहायता नहीं देंगे। इसलिए मैं अपने वयोवृद्ध मन्त्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इस कानून में परिवर्तन करने की कृपा करें.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय लखीसिंह जी, बहस नहीं होगी।

श्री लखीसिंह---

श्रीमन्, तीन हफ्ते तक बादल हुए हैं और बारिश हुई है। वर्षा से बहुत नुकसान हुआ है तो क्या मन्त्री जी हर कलेक्टर से दुबारा रिपोर्ट मंगायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा, यह सवाल हमारे दिमाग में है। अगर कोई कार्यवाही कर सकते हैं कानूनन, तो करेंगे और यह भी सवाल विचारा जा सकता है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो सूची उन्होंने पेश की है उसमें फर्रुखाबाद जिले का नाम नहीं है तो क्या कलेक्टर साहब से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, बड़ी खुशी की बात है कि यह नाम सूची में नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने प्रत्येक उत्तर में कहा कि नियमानुसार मदद करने की आज्ञा दे दी गई है। जब से ओले से क्षति हुई है, उसके तुरन्त बाद ही पूरब के जिलों में सस्ते गल्ले की राशन की दूकानें बन्द कर दी गई हैं तो क्या आपके उस नियम के आदेशानुसार यह राशन की दूकानें भी बन्द कर दी गई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

राशन की दूकानों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वह ताल्लुक नेगी साहब से ढूंढ़िए।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त वकील (जिला बांदा)—

जिस प्रकार से अन्य जिलों से जिलाधीश द्वारा क्षति की सूचना बहुत कम आयी है, उसी प्रकार से बांदा के सम्बन्ध में भी वह बहुत कम है। मेरी जानकारी में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें "२" की संख्या है, जबकि वहां पर ज्यादा मौतें हुई हैं। तहसील नरैनी, बबेरू और बांदा में काफी क्षति हुई है, फसलें बर्बाद हो गयी हैं, सारे खप्रेल खत्म हो चुके हैं, उनके लिए बांस बल्ली की व्यवस्था होनी चाहिए। आप डी० एम० को हिदायत कर दें कि जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है और जिनके पास साधन नहीं हैं, उनके रहने और खाने के लिए पूरी-पूरी मदद की जाय, उनको तकावी दी जाय और उनका लगान तो माफ ही कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सभी जिलाधीशों को आदेश है कि रिलीफ के लिए मदद की जाए।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रति वर्ष इस तरह की बातें होती रहती हैं और जिलाधीश आपके पास अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। इसके लिए आपका कानून बना हुआ है कि यदि ५० पैसे से कम की हानि होगी तो छूट नहीं मिलेगी और यदि ज्यादा की क्षति होगी तो छूट मिलेगी। मैं समझता हूं यह नियम तो उस स्थिति के लिए बने हुए हैं जब कभी-कभी ओले पड़ें या दूसरे प्रकार के प्रकोप हों और प्रायः फसलें अच्छी हों उसमें कोई बाधा न पड़े। किन्तु यहां तो स्थिति दूसरी है पिछले साल भी बेचारों की फसल खराब हुई थी और उसके कान्टीन्युएशन में फिर उनकी हालत खराब गयी है, तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी स्थिति के लिए कोई विशेष कानून की व्यवस्था करेंगे कि जबकि लगातार २ वर्ष तक फसलें खराब जायें तो उन पर ५० पैसे वाला कानून न लागू हो और यह सीमा घटा दी जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं इस समय ऐसा करना नहीं चाहता हूं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि जो जिलों से रिपोर्ट आयी हैं वह ठीक नहीं है, वह वास्तविकता से बहुत कम हैं। इसी प्रकार से सुल्तानपुर की भी खबर है कि वहां पर नुकसान नहीं हुआ। तो क्या इसे देखते हुए माननीय मन्त्री जी वहां की फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सुल्तानपुर के बारे में तो मुझे पूरी तरह पता है कि वहां पर कुछ नुकसान नहीं हुआ है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकारी रिपोर्ट के विपरीत देवरिया जिले में वर्षा और ओले से काफी फसल मारी गयी है, तो क्या माननीय मन्त्री जी दुबारा रिपोर्ट मंगाकर छूट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी इत्तिला तो है कि देवरिया में फसल नहीं मारी गयी है।

श्री बांकेलाल—

नहीं मारी गई है यह कैसे, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्या आप मेरी बात को सही मानकर दुबारा जांच कराकर देख लेने की कृपा करेंगे ? यदि आप मेरी बात सही न मानें तो क्या माननीय गेंदासिंह जी को भेजकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गेंदासिंह जी हमारे कलेक्टर नहीं हैं।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, हमारे जिले में काफी नुकसान हुआ है. . . .

श्री अध्यक्ष—

जिले का नाम बताइये ?

श्री मुहम्मद रफी खां—

और उसके बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय राजस्व मन्त्री न दें, अन्य मन्त्री दें और यदि वह प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

यह जो ५० पैसे की रिपोर्ट आती है कलेक्टर से, कलेक्टर लेखपाल से मांगता है और. . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

लेखपाल से २—२, ४—४ और १०—१० रुपए में चाहे कोई रिपोर्ट ५० पैसे की लिखवा ले चाहे ७५ पैसे की। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ५० पैसे से कम नुकसान नहीं हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है, गर्की से भी काफी नुकसान हुआ है तो क्या मन्त्री जी दुबारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मेरे पास कोई वजह नहीं है कि हम दुबारा जांच करायें।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ, आधा घण्टा हो गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक प्रश्न और, जिलाधीशों की रिपोर्ट में और माननीय सदस्यों की रिपोर्ट में बड़ा अन्तर रहता है, तो क्या इसके लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिलाधीश और माननीय सदस्य की रिपोर्ट में कोई सन्तुलन स्थापित हो सके, जिससे किसानों को राहत मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं सदस्यों को इस झगड़ म नहीं फंसाना चाहता, बड़ी परेशानी की बात होगी।

विविध विषय

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मद नं० ८ के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ऐडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र के बारे में मैंने सेन्सर मोशन लिख कर दिया था....

श्री अध्यक्ष—

कल उस पर कुछ कह सकूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने तो सेन्सर कर ही दिया है, हमको भी कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, लेकिन मैं कल ही कुछ बतला सकूंगा।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५†

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो संशोधन है उसमें यह है कि परिधि बढ़ाई जाय, यह अनियमित है। इसको माननीय सदस्य कृपया देख लें।

*वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, मैं इससे पूर्व इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। यहां की जन संख्या बहुत है और शिक्षा का सीधा सम्बन्ध जन संख्या से होता है। यह भी चर्चा सदन में कई बार आ चुकी है कि विस्तार की दृष्टि से भी हम पीछे हैं और शिक्षा के स्तर में भी सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहां स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर स्तर के ठीक होने की, उसके उन्नत होने की और विस्तृत होने की भी आवश्यकता है। स्नातक स्तर की शिक्षा जो कि विश्वविद्यालय की देख-रेख में होती है एक विशेष स्थान रखती है और उसका प्रशासन भी एक विशेष रीति से होता है। आगरा विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का वह विश्वविद्यालय है जो कालेजेज से सम्बन्ध करता है। एक दो इन्स्टीट्यूट के अतिरिक्त पढ़ाने का काम वह स्वयं नहीं करता। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैंने केवल इस प्रदेश में बल्कि राजस्थान में यह है कि वह इसी तरीके की शिक्षा का काम करता है किन्तु जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, कालेजो की संख्या बढ़ती गयी और उसके बढ़ने के कारण वहां की प्रशासकीय कठिनाइयां बढ़ती गयीं, उत्तरदायित्व बढ़ता गया और यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि आगरा विश्वविद्यालय के टुकड़े किये जायं। राजस्थान का वह हिस्सा जो आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता था वह पृथक् हुआ। अपने प्रदेश में भी वह क्षेत्र जो आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता था गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पश्चात् उस का कुछ हिस्सा निकल गया। अब भी आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत

---

†१८ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*अध्यक्षता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

बहुत काफी क्षेत्र रह गया है और उस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में प्रतिवर्ष कालेजों की संख्या बढ़ती जाती है। हमारे लिए प्रसन्नता और सन्तोष की बात है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़े क्योंकि पढ़ने की अभी आवश्यकता है। एक कमीशन जो विश्वविद्यालयों के विषय में केन्द्र की ओर से नियुक्त हुआ था और जिसने विश्वविद्यालय की शिक्षा के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट दी थी जो रिपोर्ट आज तक उस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके समक्ष भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था और अपनी रिपोर्ट देते हुए १९५० में उन्होंने यह संकेत किया था कि इस प्रदेश में मेरठ और कानपुर जैसे शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। उसी समय से यह चर्चा चलती रही और इस बात पर विचार होता रहा कि मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायं।

इस सम्बन्ध में कि विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ायें या नहीं, भिन्न-भिन्न मत उपस्थित होते हैं। एक मत यह है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा विश्वविद्यालयों को ही जब पूरे रूप में साधन नहीं दिये जा सकते हैं तो अधिक विश्वविद्यालयों को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इसके विपरीत दूसरा भी मत है जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि क्यों अपने प्रदेश में इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की आवश्यकता हुई? उस दूसरे मत के करीब-करीब सभी कारण उसमें लिखे हैं। करीब-करीब वही इसका रूप होगा जो आगरा विश्वविद्यालय का है। वही उद्देश्य है। कुछ समय बीत गया। दो बातों से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। पहली बात तो यह है कि वहां पर इसकी आवश्यकता है या नहीं और दूसरे यह कि उस आवश्यकता की पूर्ति से कोई लाभ होने वाला है या नहीं। जहां तक आवश्यकता का सम्बन्ध है मैंने अभी निवेदन किया कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट के द्वारा यह बात मान ली गई और संकेत किया कि विश्वविद्यालय के होने की आवश्यकता है। उसके पश्चात् इस प्रदेश में पुनः यह प्रश्न गया उठा और १९५७ में एक समिति इस बात के लिए नियुक्त की गई कि वह इन चीजों को देखे कि आया मेरठ में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं। उस समिति ने भी अपना अध्ययन करने के पश्चात् चीजों को देखने के बाद यही सम्मति दी कि वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। तत्पश्चात् इस प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थिति को देखने के लिए जो स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा दी जाती है, उस सब को देखने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ था जो जस्टिस हरिश्चन्द्र की अध्यक्षता में था। उसने तमाम प्रदेश को देखा और यद्यपि प्रारम्भ में उनके टर्म्स आफ रिफरेंस में यह विषय भी रखा गया था किन्तु तत्पश्चात् उस विषय को उनके सीमा क्षेत्र से निकाल लिया गया था। फिर भी क्योंकि वह इस प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा की जांच पड़ताल कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आगरा विश्वविद्यालय का विस्तार इतना बढ़ गया है कि अब मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। यह तो श्रीमन् रहा कमेटी और कमीशन का मत जो कि नियुक्त हुए इस प्रदेश की शिक्षा देखने के लिए और उन्होंने इसी बात की संस्तुति की कि इन विश्वविद्यालयों को स्थापित होना चाहिए। इस सदन में भी यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार उपस्थित किया गया है और इस सदन में और दूसरे माननीय सदन में इस बात का आश्वासन शासन की ओर से भी दिया गया कि यहां—कानपुर और मेरठ में—यूनिवर्सिटी स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बात को व्यक्त करने के लिए यह विषय ऐसा है कि जिस विषय में यह कहा जा सकता है कि बहुत देरी लगी, किन्तु यह प्रश्न कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, अधिक नहीं उठ सकता। सन् १९५९ में उस समय के शिक्षा मन्त्री ने यह कहा था कि कमेटी जो नियुक्त की गयी है मेरठ यूनिवर्सिटी का मामला देखने के लिए, उसकी रिपोर्ट आने पर इस पर विचार किया जायगा। सन् १९६० में पुनः यह प्रश्न उठा और उस समय के उप शिक्षा मन्त्री श्री दीनदयाल शास्त्री ने यह कहा कि मेरठ विश्वविद्यालय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और वह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पास भेज दिया गया है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर दूं

कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात् जो केन्द्र का विश्वविद्यालय आयोग है उस के पास यह संस्तुति भेजी गयी। उस आयोग ने भी यहां की स्थिति को देख कर, यहां की आवश्यकताओं को देख कर इस बात की स्वीकृति दी और यह सन् १९६० में हुआ है कि यहां मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किए जायं। इन विश्वविद्यालयों में यद्यपि पढ़ाई का काम भी होना चाहिए, किन्तु प्रारम्भ में इनका वही रूप एफिलिएटिंग टाइप का हो जो कि आगरा विश्वविद्यालय का इस वक्त में है। सन् १९६० में फिर उस समय के शिक्षा मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी यही बात यूनिवर्सिटी के विषय में कही थी। मेरा आशय इसके कहने से यह है कि इस माननीय सदन को भी इस बात में काफी दिलचस्पी रही है और समय-समय पर इस विषय में आश्वासन भी दिये गये हैं। जो विधेयक इस समय प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक में कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन नहीं है। वह विधेयक करीब-करीब उसी रूप का है जिस तरीके का आगरा विश्वविद्यालय का विधेयक है। परिवर्तन यह हुआ है कि अभी जिस सीमा क्षेत्र में आगरा विश्वविद्यालय का अधिकार है वह अधिकार घट कर थोड़ा हो जायगा और कुछ क्षेत्र जो कि मेरठ डिवीजन का है वह मेरठ विश्वविद्यालय में चला जायगा और आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आगरा, रुहेलखंड, कुमायूं और लखनऊ रह जायगा और कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में इलाहाबाद डिवीजन और झांसी डिवीजन रह जायगा।

एक उचित प्रश्न यह उपस्थित किया जा सकता है कि जब रूप वही रखना है तो इसकी क्या आवश्यकता है कि इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम किया जाय? मैं निवेदन कर चुका हूं कि कालेजों की संख्या बढ़ गयी है और माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कालेजों की देख-रेख, संचालन, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षकों के सेवा नियम, ये चीजें विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित होती हैं और डिपार्टमेंट के अधिकारियों का इन कालेजों के साथ विशेष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उन्हें विधि अनुसार इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं कि वह उन कालेजों का उस तरीके से निरीक्षण कर सकें, चीजों को सुधार सकें जिस तरह से कि वे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में सुधार सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। इनका सारा प्रशासनिक सम्बन्ध विश्वविद्यालय से रहता है। आगरा विश्वविद्यालय का अपना कोई विभाग नहीं रहता। वह एक केन्द्र पर कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं और स्पष्ट है कि यदि संख्या बढ़ती चली जाती है और काफी हो जाती है तो उनका काम और सीमा भी काफी हो जाती है। आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लगभग १३५ कालेज हैं। अगर केवल एक ही चीज को लिया जाय तो पता चलेगा। इन कालेजों में विषय बढ़ते रहते हैं। विभिन्न विषयों के लिए एफिलिएशन के प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं। नये कालेज हैं जो डिग्री होना चाहते हैं। जो स्नातक स्तर के हैं वह स्नातकोत्तर होना चाहते हैं। कोई अपने यहां एल०एल०बी० कक्षाएं जोड़ना चाहते हैं, कोई अपने यहां बी०ए०, बी०टी० की। इस तरीके से बहुत से प्रार्थना-पत्र केवल एक विषय के विश्वविद्यालय में आते रहते हैं। उन सब प्रार्थनाओं का निपटारा करना होता है और अगर संख्या एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो निर्णय लेने में अधिक समय लग जाता है।

यह तो मैंने केवल एक क्षेत्र की बात कही। माननीय सदस्य इस बात से जानकारी रखते हैं कि किसी एक शिक्षा संस्था के बारे में किस तरह विभिन्न विषयों के प्रश्न उठ सकते हैं और जो भी प्रश्न उठेंगे उनका निर्णय, देखभाल, ब्योरा विश्वविद्यालय में होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि कोई कालेजेज की संख्या एक हद से ज्यादा बढ़ जाय तो वहां कार्य-कुशलता और कार्यक्षमता में कमी हो जाती है और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उसका बटवारा हो जाय, केन्द्रीयकरण के बजाय विकेन्द्रीयकरण हो जाय।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपना प्रदेश बड़ा है, केवल बड़ा नहीं है बल्कि भौगोलिक दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से भिन्न है। इसमें बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो जलवायु और भौगोलिक दृष्टि से भिन्न हैं और अगर क्षेत्रों में विभिन्नता है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्नता है। कुछ प्रदेश शिक्षा की दृष्टि से आगे पहुंच चुके हैं, दूसरे प्रदेश उतने आगे नहीं

[श्री कैलाश प्रकाश]

हैं। जहां विस्तार के रूप में काफी प्रगति हो गयी है वहां अधिक बल इस बात पर देने की आवश्यकता है कि हम स्तर को ठीक करें। जहां विस्तार की दृष्टि से उतनी प्रगति नहीं हुई है, जहां विस्तार अधिक करना है, जिन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है वहां अधिक बल इस पर देने की आवश्यकता है कि वहां रहने वालों को सुविधा दी जाय, शिक्षा का विस्तार किया जाय, भले ही स्तर में कुछ कमी होती हो। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नीति-निर्धारण की आवश्यकता होती है और यह बात तभी पूरी हो सकती है जब कुछ विकेन्द्रीयकरण हो जाय। इसलिए यद्यपि ये विश्वविद्यालय जो इस विधेयक के द्वारा बनाये जायेंगे उनका रूप आगरा विश्वविद्यालय का होगा फिर भी इस बात की आवश्यकता पड़ी कि उसके क्षेत्रों का बटवारा करके एक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बना दें।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह किया जाता है कि इन विश्वविद्यालयों को बढ़ा कर इतना खर्चा क्यों किया जाता है। विश्वविद्यालय दो तरीके के हैं, एक तो वे हैं जो स्वयं शिक्षा देते हैं तथा दूसरे वे हैं जो स्वयं शिक्षा नहीं देते बल्कि कालेजों से सम्बद्ध रहते हैं। जो स्वयं शिक्षा देते हैं उन पर बहुत काफी खर्चा होता है। लखनऊ और इलाहाबाद ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन पर करीब करीब २५—३० लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्चा होता है। गोरखपुर में भी जैसे-जैसे पढ़ाई बढ़ती जायेगी खर्चा बढ़ता जायेगा। परन्तु जो दूसरे टाइप के हैं, जैसे आगरा विश्वविद्यालय इस पर करीब पौने दो लाख रुपया ही प्रति वर्ष खर्च होता है। आगरा विश्वविद्यालय से कई डिवीजन सम्बद्ध हैं जैसे मेरठ, आगरा, रुहेलखंड, कुमायूं, लखनऊ, झांसी आदि। यह जो मैंने संकेत किया वह इसलिए किया कि यह जो भ्रम किया जाता है कि इन पर खर्चा ज्यादा होता है, यह ठीक नहीं है। इस तरह के विश्वविद्यालयों पर खर्चा अधिक नहीं आता और इस बिधेयक द्वारा इसी तरह के विश्वविद्याल स्थापित करने का बिचार है। जो आवर्तक खर्चा होता है उस पर अधिक भार इससे पड़ने वाला नहीं है। एक ओर तो खर्चा भी अधिक नही पड़ता है, दूसरी ओर क्षेत्रों का बटवारा होने के कारण तथा उनकी संख्या कम होने के कारण उनकी देख-रेख भी भली प्रकार से होती है। इसी कारण से इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। वैसे तो कई बार देश के स्तर पर यह बात कही जाती है कि उनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। किन्तु हम अन्य प्रदेशों को यदि देखें तो हमें विदित होगा कि इन ५ वर्षों में उनकी संख्या दूसरी जगह भी बढ़ी है। यद्यपि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने भी यह कहा है कि उनकी संख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, परन्तु उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों का स्थापित होना आवश्यक है।

मान्यवर, इस समय और निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक की मंशा यही है कि मेरठ विश्वविद्यालय का क्षेत्र मेरठ डिवीजन होगा, कानपुर विश्वविद्यालय का क्षेत्र इलाहाबाद और झांसी डिवीजन होगा और शेष क्षेत्र आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई संस्थाएं आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, और कुछ इलाहाबाद से हैं या उसी क्षेत्र की कुछ लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत, जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनका जो क्षेत्र है, उनका संस्थाओं पर अधिकार हों, उसको परिवर्तन करने का कोई मन्शा अभी तक इसमें नहीं रखा गया है। हां, यह बात जरूर है कि यदि बाद में इस बात को कहा जाय कि किसी कालेज विशेष को या किसी क्षेत्र विशेष को एक विश्वविद्यालय से निकालकर दूसरे विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर दिया जाय तो उसकी व्यवस्था इसमें है कि माननीय सदनों से इस बात की आज्ञा लेकर किसी संस्था या किसी कालेज या किसी क्षेत्र को एक विश्वविद्यालय से निकालकर दूसरे विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। किन्तु इस विधेयक के द्वारा जिन विद्यालयों का सम्बन्ध आगरा विश्वविद्यालय से है, केवल उन्हीं विद्यालयों या संस्थाओं का इसमें विवरण है और केवल उन्हीं कालेजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अन्य कालेजेज के ऊपर इकसा

कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से इस बात का निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार करने की कृपा करें।

एक संशोधन प्रवर समिति में भेजने का आया है। मैंने बताया कि कोई मौलिक परिवर्तन इस विधेयक में नहीं है गोकि हमें मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिसमें मौलिक परिवर्तन किया जाय। इसके लिए एक ओर तो अपने प्रदेश में एक कमीशन बैठा था जिसने कुछ सुझाव दिये हैं और जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है, देश के स्तर पर एक कमीशन बैठा हुआ है और वह कमीशन शिक्षा के हर पहलू पर और प्रत्येक स्तर की शिक्षा को देख रहा है, उन की सिफारिशों के अनुसार यह प्रतीत हो सकता है और यह आवश्यकता महसूस की जा सकती है कि विश्वविद्यालयों के विधेयकों में परिवर्तन लाया जाय या परिवर्तन हो। तो वह तो प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होगा और प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होने के लिए उन में प्रत्येक में परिवर्तन करने के लिए मौलिक चीजें माननीय सदस्यों के सामने आ सकती हैं और उन मौलिक चीजों पर फिर गम्भीर तरीके से विचार किया जा सकता है। यह तो विधेयक वह है जो एक माननीय सदन से निकल चुका है। माननीय सदन ने आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक को पास करते हुये इसको देखा है और इससे सहमति प्रदर्शित की है। इसलिए ऐसे एक कार्य के लिए जिसमें कोई बहुत मौलिक परिवर्तन न आ रहा हो, इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। उसमें और अधिक समय लग जायगा। माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो काम करना है वह जितना समय उस के लिए आवश्यक हो उतने ही समय में यदि कर सकें तो ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए जो रूप इस विधेयक का है उस में सम्भवतया प्रवर समिति की आवश्यकता माननीय सदस्य नहीं समझेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिनाथ तिवारी, एक निवेदन मैं कर दूं कि जो आपने यह लिखा है कि जिसे विधेयक की परिधि को भी बढ़ाने का अधिकार हो, वह न रखियेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

वह मैं नहीं रखूंगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। दो दिन तक इसमें बहस होनी चाहिये—आज और कल। यह कानपुर और मेरठ दो यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो दो दिन इसके लिए उपयुक्त होंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया है, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे दे। समिति के सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व जो विधेयक आये हैं उन पर मैंने बार बार यह आपत्ति प्रकट की थी, अभी आप के यहां लैन्ड लाज का विधेयक आया था, उस में भी उन्होंने पांच, छः एक साथ रख दिये थे, और माननीय हुकुम सिंह ने यह विश्वास दिलाया है कि अब ऐसे ऐक्ट नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

आवेंगे। उसी प्रकार का यह भी ऐक्ट आया है। हमारे मन्त्री जी ने दो बच्चे पैदा किये हैं साथ-साथ—एक मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरी कानपुर यूनिवर्सिटी।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं)।

आप ने स्वयं कहा है कि मेरठ यूनिवर्सिटी में केवल मेरठ डिवीजन होगा और कानपुर यूनिवर्सिटी में ३ डिवीजन्स होंगे—इलाहाबाद, झांसी और लखनऊ का कुछ भाग। इस तरह से दो लड़के पैदा हुये, जिन में से एक पैरालैटिक होगा और दूसरा स्वस्थ होगा। आप उसी कांस्टीटयूशन से एक को ज्यादा पैसा देना चाहेंगे या दोनों को बराबर देना चाहेंगे या एक को कम और दूसरे को ज्यादा देंगे। इससे बहुत कुछ कमप्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। दोनों बाडोज में डिफरेंस हो सकता है। अभी तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि ठीक है, जो एक के लिए कांस्टीटयूशन बना वह दूसरे के लिए भी हो सकता था। अगर ऐसा था तो आगरा यूनिवर्सिटी के लिए जो कानून बनाया था, उसी में इसको भी जोड़ सकते थे और यही कारण हैं जिसके लिए हम कह रहे हैं कि यह प्रवर समिति में जाना चाहिये और जितने इसके दोष हैं वे पूरे किये जायें। इसके बाद इसका उचित रूप जो हो, वह सामने रखा जावे। इस समय जैसा हमारे मन्त्री महोदय ने भी माना है कि यह जो दो यूनिवर्सिटीज कायम होंगी, वह केवल एक्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज होंगी। और यह भी माना है कि आगरा यूनिवर्सिटी में राजस्थान नहीं बल्कि जहां तक हमको स्मरण है इस में रीवां और मध्य प्रदेश का भी बहुत हिस्सा मिला हुआ था। और उस समय भी संचालन आगरा यूनिवर्सिटी का इसी तरह हो रहा था। अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस समय इस विधेयक को लाना जब कि कहने के लिए कहते हैं कि एमरजेंसी है, जिस ओर ध्यान देना चाहिये, उस ओर ध्यान न दे करके, अपने यहां खाद्य की बहुत बड़ी समस्या चल रही है——उसको टाप प्रायरिटी न दे करके इन विषयों पर ध्यान देना, हम समझते हैं उचित नहीं है। वैसे हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम इसका स्वागत करेंगे कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी हो तो उसमें कोई खास परिवर्तन हो, तब तो हम मानें। आप शिक्षा का प्रसार चाहते हैं। इससे शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। आप उसमें से कालेजेज काट रहे हैं। अगर इस से हम शिक्षा का प्रसार समझते तो हम इसका विरोध न करते और प्रवर समिति को भेजने का निवेदन न करते। आप ने दो यूनिवर्सिटीज इस समय कायम करने के लिए रखा है। इसमें पहले तो कालेजेज अगर रखना है, तो दोनों की सीमाओं को ऐसा निर्धारित करें, कि दोनों में एफिलियेटेड कालेजेज बराबर के हों। ऐसा नहीं कि मेरठ के लिए मेरठ डिवीजन रख दिया या उसके जितने समीपवर्ती एफिलियेटेड डिग्री कालेजेज रखे जा सकें, उनका जुरिस्डिक्शन ऐसा रखा जाय कि उनसे मिला हुआ हो। अभी चन्द दिन पहले शिक्षा मन्त्री यह कहा करते थे, जब कि अध्यापक हड़ताल कर रहा था और भीख मांग रहा था कि हमारा वेतन बढ़ाया जाय, उस समय शिक्षा मन्त्री कहते थे, हमारे पास खर्चा नहीं है। आज ज्ञापन में दिया है कि हम को ६० लाख रुपये कम से कम भवन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे अवसर पर इन यूनिवर्सिटीज को कायम करना भी उचित नहीं होगा। जो उन्होंने नियम बनाये हैं, उनमें क्या दोष है? हम यह भी कहेंगे कि लक्ष्य केवल यूनिवर्सिटीज कायम करने का नहीं है, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। आज कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, जिनको पहले से सोच रखा होगा कि इन इन लोगों को वायस चांसलर बनाना है या पोस्ट क्रियेट करना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज बनावें, ताकि उन को वहां पर स्थापित कर दें। इसके पहले हम सुना करते थे कि आफिसर्स के कुछ लड़के जो अन-एम्प्लायड हैं, उन को एम्प्लाय कराने के लिए डिपार्टमेंट खुलवा देते हैं। इन में भी उपकुलपति वगैरह जो नियुक्त होगा, वह वही लोग होंगे जो किसी चुनाव में हार गये हैं, जिनको मुफ्त कमरा या कार नहीं मिल पायी है, उन्हीं को यहां बैठायेंगे। तो यह जो लक्ष्य कहा जाता है कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज बना देने से मैनेजमेंट अच्छा हो जायगा, इससे हम एग्री नहीं करते। मैनेजमेंट केवल अलग कर देने से

अच्छा नहीं होता है। यह हो सकता है कि अगर आगरा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था तो उसके सुधार के लिए उपाय किये जा सकते थे। परन्तु ऐसे अवसर पर जब कि पैसे की कमी है और पैसा दूसरी ओर लगाना चाहिये, तब इन को कायम करना उचित नहीं होगा। स्वयं शिक्षा मन्त्री ने माना है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने यह कहा है कि यूनिवर्सिटीज की संख्या नहीं बढ़नी चाहिये, स्तर बढ़ना चाहिये। स्तर के लिए हमारे शिक्षा मन्त्री ने कोई ऐसे तर्क नहीं उपस्थित किये कि स्तर बढ़ना चाहिये। स्तर कैसे बढ़ सकता है? जहां तक डिवीजन यूनिवर्सिटीज का किया है आज अगर हम इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर यूनिवर्सिटीज की सीमा को बढ़ा दें, तो इन दो यूनिवर्सिटीज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी सीमाओं को बढ़ाकर कालेजेज अफिलियेट कर सकते हैं। आगरे से काट कर उन दो यूनिवर्सिटीज में जोड़ सकते हैं, जिस से खर्चा भी बचा सकते हैं। और जो स्तर लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, उस स्तर पर ला सकते हैं। परन्तु यह दो यूनिवर्सिटीज अलग कायम करने से स्तर भी ऊंचा नहीं हो सकता है। तो न शिक्षा बढ़ी, न स्तर बढ़ा। फिर इन दो यूनिवर्सिटीज को कायम करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम को यही देखना है कि अगर हम यूनिवर्सिटी कायम करें, तो शिक्षा का स्तर बढ़े, तब तो ठीक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होने वाला है।

इलाहाबाद लखनऊ आगरा और गोरखपुर की जो यूनिवर्सिटीज हैं अगर स्तर बढ़ाना हो, तो कुछ कार्यक्रम ऐसे रखे जायं, कि एक पर्चा हर यूनिवर्सिटी के लिए सेट हो,। यह नहीं कि सब का अलग-अलग पर्चा हो। अगर एक कैरिकुलम नियत कर के पेपर्स हर यूनिवर्सिटी के एक ही हों, तो उस से पता चल सकता है, कि किस यूनिवर्सिटी से कितने विद्यार्थी सफल हुये हैं, और इस तरह उनका स्तर भी बढ़ सकता है। अलग-अलग कायम करने से स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। इस में एक जगह स्वायत्त कालेज रखा है। उस को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं पर्चे बनावे और इम्तहान दे। उस दशा में जो स्वायत्त कालेजेज होंगे वहां बहुत कुछ बुराई पैदा हो सकती है कि जितने भी स्टूडेंट्स वहां बैठें, सब को पास कर दें। क्योंकि जब उन्हें इम्तहान लेने की एक सुविधा दे देते हैं, तो यह हो सकता है कि वहां के पर्चे सरल बनें और विद्यार्थी ज्यादा पास हों। इसलिए जो स्वायत्त कालेजेज का एफिलियेशन किया है या धारा ३९ में एक राइट दिया है, वह भी गलत है।

जो कांस्टीटयूशन बनाया है एप्वाइन्टमेंट का और कोर्ट का, यह भी गलत है। इसमें हर इन्स्टीटयूशन के हेड को ले लिया है। एक बहुत बड़ी संख्या हो जायगी। और इस तरह से क्लिक बन सकते हैं और ग्रूप बन सकते हैं।

इस तरह से उन के मैनेजमेंट में दिक्कतें होंगी। इस लिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक को अभी प्रवर समिति में भेज दिया जाय और इसकी कमियां और खामियां पहले ठीक कर ली जायं और उसके बाद यह सदन में लाया जाय और उसी वक्त हम यहां इस पर ठीक तरह से विचार कर सकेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन दो महीने के अन्दर उपस्थित करे।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीया, सब से पहले, मैं इस विधेयक का इस लिए स्वागत करना चाहता हूं कि बहुत लम्बे अर्से से हमारे सूबे के शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमियों और खास तौर से कानपुर की जनता और मेरठ डिवीजन के लोगों की यह मांग थी कि कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय खोले जायं। उस मांग को यह विधेयक पूरा करता है। सरकार ने काफी अर्से के बाद यह कदम उठाया है। यहां पर विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के बारे में सन् १९४९–५० में ही राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा था कि प्रदेश की छात्रों और कालिजों की तादाद को देखते हुये और विश्वविद्यालयों

[श्री चन्द्रजीत यादव]

को ज्यादा अकैडेमिक बनाने के लिए आवश्यक है कि यहां उन की संख्या को बढ़ाया जाय। उस के बाद यहां की सरकार ने जब हरिश्चन्द्र युनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की तो उस ने भी खास तौर से इस बात की सिफारिश की कि कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय खोले जायं। उस की सिफारिश के बाद काफी देर से सरकार ने इस विधेयक को पेश किया है। जहां मैं एक तरफ इस बात का स्वागत करता हूं वहां मैं दूसरी तरफ सरकार का ध्यान उस असन्तोष की ओर भी खींचता चाहता हूं कि जो कानपुर और मेरठ के लोगों को इस बिल को देखने के बाद बड़े पैमाने पर हुआ है। अध्यापकों में असन्तोष है, बच्चों के गार्जियन्स को असन्तोष है और वहां के प्रमुख नागरिकों और शिक्षाविदों में असन्तोष है। उन्होंने इस प्रकार के बिल की कल्पना नहीं की थी और जिस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना की उन की मांग थी वह इससे पूरी नहीं होती। वह नहीं समझते थे कि इस तरह के नाम मात्र के विश्वविद्यायल के रूप में एक आउटमोडेड स्ट्रक्चर के ऊपर विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी। इस तरह की कल्पना तो सन् १९२५-२६ में आगरा युनिवर्सिटी को बनाते वक्त की गयी होगी लेकिन जब आज तमाम शिक्षा की मान्यताओं और आवश्यकताओं का नया रूप हमारे सामने आया हुआ है और जब कि आज आधुनिकतम अनुसन्धान पर जोर दिया जा रहा है और जब कि आज विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है तो ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की थी कि हम एसे विश्वविद्यालय खोलते जो कि आज की आवश्यकता और शैक्षिक विचारों को पूरा करने में समर्थ होते। मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय विधेयक उस लक्ष्य को हरगिज पूरा नहीं करेगा जिस को लेकर वहां के लोगों ने विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की थी। हम गौर से देखें तो इस में मुख्य रूप से और जो प्रथम कमीशन श्री राधाकृष्णनन की अध्यक्षता में बैठा था और जो हमारे देश के माने जाने विद्वान हैं बल्कि दुनिया के ऐसे शिक्षाविद् भी उस में शामिल किये गये कि जो अपने-अपने देश की शिक्षा के अनुभव को ध्यान में रखते हुये और हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुये सलाह मशविरा दे सकते। यहां पर जितने कमीशन्स की स्थापना की गयी उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे प्रदेश की जो आवश्यकतायें हैं, जिस दिशा में हम शिक्षा को ले चलना चाहते हैं, उन को ध्यान में रखते हुये ही सिफारिश करनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को बनाने में उन कमीशनों की सिफारिशों को १०० फीसदी नजर अन्दाज किया गया है। उन कमीशनों की सिफारिशों का कोई लाभ नहीं उठाया गया है, उन की सिफारिशों की अवहेलना की गयी है।

सब से पहली बात जो हमारी सरकार के ऊपर छायी हुई मालूम होती है वह यह है कि चूंकि हमारे राज्य में डिग्री कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस से आगरा विश्वविद्यालय पर परीक्षा संचालन का भार आवश्यकता से अधिक है, इस लिए उस भार को कम करने के लिए सरकार ने इन दो यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य, उन के स्थापित करने का मन्तव्य यही नहीं होता कि डिग्री कालिजों की परीक्षाओं का संचालन करना। विश्वविद्यालयों के कुछ मन्तव्य हैं। उनका मन्तव्य है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे जिस से हमारा समाज ऊंचा उठे। विश्वविद्यालय समाज को एक नया लक्ष्य देता है। उस बात को भी इस विधेयक में नजर अन्दाज किया गया है। यदि माननीय शिक्षा मन्त्री यह समझते हैं कि एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी का काम केवल परीक्षाओं का संचालन करना है और इसी काम को करने के लिए एफिलियेटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत गलत फहमी है। इस बात का महत्व समझते हुये राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा है कि हम को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिये जो कि टीचिंग-कम-एफिलियेटेड यूनिवर्सिटीज हों। मैं समझता हूं कि कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय की अगर इसी लक्ष्य को दिमाग में रखकर स्थापना

की जाती है तो भी अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा था—

"Here it suffices to re-emphasize the point that a real University, capable of undertaking the task of guiding its affiliated Colleges in the proper way can only exist where there is a strong Central core of teaching and research departments working at a genuine University standard."

ये विश्वविद्यालय अपने अफिलियेशन के काम को भी मजबूती से और योग्यतापूर्वक कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय, कालिजों में अनुसन्धान की व्यवस्था हो, वहां पर अच्छे इन्स्टीटयूशन्स कायम किये जायं और उस काम को कर के दूसरे कालिजों को, सम्बद्ध कालिजों को भी कायम रख सकते हैं। कानपुर और मेरठ के विश्वविद्यालयों के इस विधेयक में इस बात का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। कानपुर और मेरठ में वहां के केन्द्रों के ऊपर ऐसे अच्छे कालिज बनाना, अनुसन्धान की संस्थाओं और टीचिंग के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नजर अन्दाज किया गया है। कानपुर और मेरठ यूनिवर्सिटी का वही स्वरूप हो जायगा जो कि आज हमारी आगरा की यूनिवर्सिटी का है। आगरे में यूनिवर्सिटी का कोई स्वरूप नहीं दिखायी पड़ता। वहां पर एक रजिस्ट्रार का दफ्तर है, जिसका काम है केवल परीक्षाओं का संचालन करना। वहां पर परमानेंट रूप से एक वाइस चान्सलर का दफ्तर है। मैं समझता हूं कि अगर कानपुर के किसी पार्क में रजिस्ट्रार का दफ्तर खोल दिया जाय, तो विश्वविद्यालय का लक्ष्य, इस विधेयक के अनुसार, पूरा हो जायगा और इस से वहां की जनता में गहरा सन्तोष होगा। इस में खास तौर पर यह भी होना चाहिये था कि कानपुर और मेरठ के दो अलग-अलग विधेयक आने चाहिये। कानपुर की अपनी अलग समस्यायें हैं। मेरठ की अपनी अलग समस्यायें हैं। मेरठ हमारे प्रदेश का कृषि प्रधान इलाका है, जिस में ऐग्री-कल्चर के लिए यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम होना चाहिये जिस से हमारी खेती में उन्नति हो सके। बाढ़ क्षेत्रों की समस्या के लिए भी वहां पर अनुसन्धान होने चाहिये। साथ ही साथ वहां की जो शिक्षा संस्थायें हैं, उनका शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिये। कानपुर के विश्वविद्यालय को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये था कि हमारे प्रदेश के औद्योगिक केन्द्र के अन्दर जो विश्वविद्यालय होता उसका आधार एक औद्योगिक आधार होना चाहिये था। इसके अन्दर टेक्निकल कालेजेज ज्यादा होने चाहिये थे। इसके अन्दर रिसर्च की इन्स्टीटयूट होनी चाहिये थी और इस के अन्दर जो औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतें हैं उसको पूरा करने की ओर कदम उठाया जाता। लेकिन अफसोस है कि उस में कतई इस बात की व्यवस्था नहीं की गयी।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं यह है कि इस विधेयक को बनाते समय शिक्षा मन्त्री महोदय ने कहा है जो कमीशन स्थापित किये उन के सुझावों के आधार पर इसकी स्थापना की गयी है। मैं उसको मानने से इन्कार करता हूं। उन सुझावों को नजरन्दाज किया गया है। उन सुझावों को देखें और इस को देखें तो स्पष्ट समझ में आ जायगा कि कान-पुर विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय जो हमारी सब से बड़ी संस्था होगी, जिसको कोर्ट कहते हैं उस के अन्दर सदस्यों की संख्या की कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है जब कि राधाकृष्णन् कमीशन की यह सिफारिश थी कि सदस्यों की संख्या किसी भी हालत में १२० से अधिक नहीं होनी चाहिये। जो सब से अधिक खतरनाक चीज की गयी है वह यह है कि जो आदमी २० हजार रुपये से ज्यादा चन्दा इन विश्वविद्यालयों को देगा वह आजीवन कोर्ट का सदस्य हो जायगा। क्या कानपुर में ऐसे उद्योगपतियों की संख्या कम है जो २० हजार रुपया दे कर हमेशा हमेशा के लिए एक वेस्टेड इन्टरेस्ट कानपुर यूनिवर्सिटी में कायम करना चाहेंगे? क्या यह खतरा नहीं है कि कानपुर की यूनिवर्सिटी कानपुर के पूंजीपतियों, वहां के मिल मालिकों के निहित स्वार्थों की अड्डा बन जायगी और राजनीति का अखाड़ा बन जायगी? हमारे कमीशनों ने यह सिफारिश की थी कि हम को अपने विश्व-विद्यालयों को पार्टी पालिटिक्स से बचाना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं सरकार का ध्यान हरिश्चन्द्र कमीशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उस ने खास तौर से कानपुर को ध्यान में रखते हुये कहा, बड़े प्रमुख गवाहों की शहादतों को देखते हुये कहा कि कानपुर के अन्दर चेन आफ मैनेजमेंट्स हैं, जिन से शिक्षा संसार के लिए खतरा बना हुआ है, वहां के वेस्टेड इन्टरेस्टस वहां की शिक्षण संस्थाओं पर हावी हैं जिन से आगाह होना चाहिये। लेकिन मुझे अफसोस है कि शिक्षा मन्त्री ने उस कमीशन की सिफारिश को नजरन्दाज कर के जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो जिस खतरे से हरिश्चन्द्र कमीशन ने आगाह किया वह वेस्टेड इन्टरेस्ट, चेन आफ मैनेजमेंट इस में स्थापित हो सकता है और वह प्राविधान कर के तो कानपुर के पूंजीपतियों के हाथ में हमारी कोर्ट चली जायगी। यह खुद ही उसके मेम्बर नहीं बनेंगे, बल्कि अपने व्यक्तियों के नाम से भी २० हजार रुपया देकर वे अपना बहुमत बनायेंगे और इस प्रकार कानपुर की यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा बन जायगी और वहां का एकेडेमिक कैरियर एक्सप्लायट हो जायगा।

इससे ही जब संतोष नहीं हुआ तो दूसरी व्यवस्था यह रखी गयी है कि जो छोटे भाई हैं, कम पैसेवाले हैं, उनके प्रतिनिधि भी उसमें रहें वे ५ हजार रुपया देकर कोर्ट के सदस्य हो सकते हैं। और ऐसे सदस्यों की संख्या १० तक हो सकती है। जब कि दोनों कमीशनों ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि चांसलर के नामिनी की संख्या किसी भी हालत में ५ से अधिक नहीं हो सकती, आपने इसमें चांसलर के नामिनी की संख्या १० तक कर दी है और ५ हजार रुपये देने वालों की संख्या १० तक कर दी है और २० हजार रुपये से ऊपर देने वालों की कोई सीमा नहीं है, उसकी संख्या असीमित है। ऐसी हालत में यह विश्वविद्यालय पूंजीपतियों और पैसे वालों के हाथों की कठपुतली बन जायगा, मैं इस खतरे से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं। होना यह चाहिए था कि ऐसे कोर्ट के अन्दर हमारे ऐफिलिएटेड कालेजों के प्रिंसिपल होते, कोर्ट के अन्दर अध्यापकों के २५ प्रतिशत नुमाइन्दे होने चाहिए। इस बात की मांग अध्यापकों की तरफ से लगतार होती रही है कि कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है और इसलिए इस कोर्ट के अन्दर कम से कम २५ प्रतिशत अध्यापकों के प्रतिनिधि होने चाहिए।

एक दूसरा खतरा जो सबसे बड़ा है वह उस कमेटी के लिए है जो विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल बनेगी जिसके अन्दर शिक्षाविदों को स्थान मिलेगा। उसके बारे में कांस्टीट्यूशन बिलकुल मौन है, एक साधारण-सी चर्चा कर दी गई है। जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल होगी उसको सारा का सारा अधिकार दिया गया है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल से ऐसे लोगों के प्रतिनिधि कोर्ट में जायेंगे या सरकार द्वारा नामिनेट किए जायेंगे कि उनका बहुमत हो जाय। इस तरह से वह सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यकारिणी कौंसिल होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय इसका ज्वलंत प्रमाण है कि किस प्रकार से कोर्ट को अधिकार दिया गया है और विश्व विद्यालय के अन्दर उसका कितना प्रभुत्व है। आज राजनीतिक दल के नेता और खास कर शासक दल के नेता हमारे एकेडेमिक एटमास्फीयर को स्प्वायल कर रहे हैं और हमें भय है कि यही हालत कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय की भी हो जायगी।

एक दूसर खतरे की ओर से भी मैं माननीय मंत्री जी को आगाह कर देना चाहता हूं जो कि एकेडेमिक कौंसिल के बारे में आज व्यवस्था है। एकेडेमिक कौंसिल के बारे में राधाकृष्णन् कमीशन ने बहुत स्पेसिफिक सिफारिश की थी कि उसके अन्दर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिए, ऐफिलिएटेड कालेजों के प्रतिनिधि उसमें रहने चाहिए, सही माने में जो शिक्षाविद हों, वे उसमें होने चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वालों की संख्या स्पेसिफिकली उसमें निर्धारित है किसी में ५, किसी में ६, किसी में ४ लेकिन किसी भी हालत में ६ से ज्यादा न हो, लेकिन उन बातों की अवहेलना इस विधान को बनाते हुए इस विधेयक में की गयी है।

दूसरी बात यह है कि राधाकृष्णन् कमीशन और हरिश्चद्र कमीशन ने कहा था कि जब किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति करें तो उसका टर्म कम से कम ६ वर्ष का हो, यह उनकी स्पेसिफिक सिफारिश थी लेकिन उस बात को भी खतम करके उसकी अवधि केवल ३ वर्ष की यहां रखी गयी है। क्यों ? इसलिए कि यदि कोई योग्य वाइस चांसलर नियुक्त हो गया जो उन राजनीतिक नेताओं के हाथ में खेलने के लिए तैयार न हो तो उन्हें पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर अधिकार होगा कि वे ३ साल के बाद उसे हटा कर ऐसे आदमी को नियुक्त कर देंगे जो उनके मन का होगा। श्रीमन्, आगरा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है जिसको किसी तरह का अनुभव नहीं है और जो उस पद के काबिल नहीं है जिससे वहां असंतोष है। इसीलिए मैं मोटे तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि जितनी सिफारिशें राधाकृष्णन् कमीशन और हरिश्चन्द्र कमीशन ने की हैं उन तमाम की अवहेलना की गयी है और उनसे कोई लाभ न उठा कर उन सिफारिशों के खिलाफ इस विधेयक में प्राविधान किया गया है।

श्रीमन्, आपका ध्यान मैं खासतौर से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर तब तक ऊंचा नहीं हो सकता जब तक कि योग्य और अनुभवी प्राध्यापकों (प्रोफेसर्स तथा लेक्चरार्स) की नियुक्ति वहां न की जाय। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें सेलेक्शन कमेटी की व्यवस्था करनी चाहिए। सेलेक्शन कमेटियों में माने जाने वाले एकेडेमेशियन होने चाहिए, इनमें वाइस चांसलर होने चाहिए और राजनीतिज्ञ या अपनी पार्टी के आधार पर भेजे हुए नुमायन्दों के हाथ में यह काम नहीं सौंपना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटीज में योग्य अध्यापक नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी शिक्षा का मकसद ही खत्म हो जायगा। इस विधेयक में सेलेक्शन कमेटी के दूसरे प्राविधान में क्यों नहीं बताया कि वही लोग होंगे जो शिक्षाविद् होंगे या अनुभवी होंगे और वे ही अध्यापकों के निर्वाचन के काम को करेंगे। इसका, श्रीमन्, इसमें कोई प्रावीजन नहीं किया गया है जिससे अपने आदमियों को यूनिवर्सिटीज में रोजी देने के लिए, अपने आदमियों को यूनिवर्सिटीज में जीविका का साधन बनाने के लिए उनकी नियुक्ति की जाय, चाहे उनके अन्दर आवश्यक योग्यता हो या न हो, इसकी परवाह नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि आजकल विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर गिरा रहा है, उसका मुख्य कारण अच्छे और योग्य अध्यापकों का अभाव ही है। इस चीज को यह विधेयक और बढ़ायेगा और इससे शिक्षा का स्तर और नीचे गिरेगा।

श्रीमन्, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय सदन इतने महत्वपूर्ण शिक्षा के विधेयक पर विचार कर रहा है और इस समय न तो शिक्षा मंत्री जी हैं और न उपमंत्री ही हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

यह तो ठीक है। लेकिन उनको होना चाहिए था। अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस विधेयक को जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी पारित करना चाहिए, इसमें किसी को दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक आध महीने के लिए इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय तो बहुत अच्छा है। उनका दावा है कि यूनिवर्सिटी कमीशन के आधार पर ही यह विधेयक है। यदि ऐसा होता तब तो हम इसको मान सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें कमीशन की ९० प्रतिशत सिफारिशों को ध्यान नहीं रखा गया है। इसके आधार पर यह विधेयक और बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा सुझाव यह है कि मुख्य रूप से कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालयों का एक केन्द्र के ऊपर टीचिंग कोर बनाया जाय। राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने एफीलिएशन के काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकती है जब तक केन्द्र के अन्दर टीचिंग कोर मजबूत न हो।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

उसका इसमें अभाव है । मैं समझता हूं कि जब साधन उपलब्ध करके यूनिवर्सिटीज की स्थापना कर रहे हैं तो इन विश्वविद्यालयों के केन्द्र पर एक टीचिंग कोर की भी स्थापना होनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय टीचिंग, गाइडिंग और रिसर्च के केन्द्र बन सकें । दूसरे आज के डेमोक्रेटिक सेट अप में एकेडेमिक स्ट्रकचर को आगे बढ़ाने के लिए एकेडेमिक कौंसिल, सेलेक्शन कमेटी और यूनिवर्सिटी कोर्ट में शिक्षा शास्त्रियों, अध्यापकों की नुमायंदगी और ऐसे लोग जो शिक्षा प्रेमी हों और ऐसे लोग जो किसी उद्योग के एक्सपर्ट हों या प्रोफेशन कालेज के एक्सपर्ट हों, ऐसे लोगों की नुमाइन्दगी बढ़ाई जाय और अध्यापकों का प्रतिनिधित्व कम से कम २५ प्रतिशत होना चाहिए ।

दूसरी बात यह जो स्कालरशिप देने की व्यवस्था होगी विश्वविद्यालयों के जरिये या एक अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना करने की बात है, इसके लिए भी हमें काफी रुपये की व्यवस्था करनी चाहिए और इनके लिए भी चुनाव और प्रबंध की व्यवस्था के लिए एक एकेडेमिक कमेटी ही होनी चाहिए । इसके लिए जो एकेडेमिक कौंसिल बनाई जाय उसको सबसे ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, जिसमें हमारे डीन होंगे, वाइस चांसलर होंगे या जो दूसरे एजूकेशन एक्सपर्ट होंगे वह रहेंगे और इन्हें अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए । तीसरी बात यह है कि सेलेक्शन कमेटी जो हो उसके बारे में, उनसे सदस्यों के बारे में इस बिल के अन्दर स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए कि वह सदस्य शिक्षा जगत से पूर्ण रूप से संबंधित होंगे । सेलेक्शन कमेटी के अन्दर इस बात को अनिवार्य रूप से कर दिया जाना चाहिए । इसमें भी है कि कोई भी एफिलिएटेड कालेज यदि चाहे तो अपनी मैनेजिंग कमेटी में किसी एक्सपर्ट को इन्वाइट करे । उसकी इच्छा पर है कि वह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जैसा आगरा यूनिवर्सिटी में होता है । इसके बारे में कमीशन ने भी कहा था कि यह गलत है और इसे खत्म किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि अध्यापकों के सेलेक्शन में अनुभवी, योग्य और एक्सपर्ट अध्यापकों की ही कमेटी होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त कानपुर और मेरठ में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, कानपुर के विश्वविद्यालय को हमारी आज जो मुख्य रूप से औद्योगिक आवश्यकतायें हैं उनको देखते हुये इसको एक टेकनिकल और प्रोफेशनल सेंटर बनाना चाहिए । मेरठ विश्वविद्यालय में मेरठ के कालेजों के एफिलिएशन करने के साथ-साथ यह भी होना चाहिए कि यह कृषि संबंधी रिसर्चों का केन्द्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात से कोई गुरेज नहीं करेंगे और इसे एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे ताकि इसमें आई हुई एक-एक बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा सके और इन विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा हो सके, जिससे कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस प्रकार के बिल की मांग की गयी थी वह पूरे हो सकें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदया, अभी तिवारी जी ने अपना प्रस्ताव मूव करते समय यह कहा कि दो बच्चों ने जन्म लिया—और एक साथ जन्म लिया । मैं जानती हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

बच्चियों के जन्म में नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

हमारे संविधान में बच्चे और बच्चियों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

किन्तु समाज में तो है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

समाज में अब यह भी नहीं है, यह ऐतिहासिक चीज हो गयी है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज जबकि हमारे घर में जुड़वां ने जन्म लिया है, कानपुर में और मेरे दिल में कोई खुशी नहीं आयी और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, उसके द्वारा शरीर तो जरूर हुआ, हाथ-पैर आदि हुए, लेकिन इसकी रूह, आत्मा और इसका दिमाग इसमें से गायब है। और मैं यदि यह कहूं कि इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो कोई गलती नहीं होगी। १२ वर्षों तक लगातार कानपुर के नागरिकों की साधना और उपासना करने के बाद एक दिन आया था कि उनका अपना एक निजी कानपुर का विश्वविद्यालय बन जाये। मैंने भी बड़ी आशा की थी और स्वप्न भी देखे थे, लेकिन जैसा कि यादव जी ने कहा, मैं तो उनकी बहुत बातों से सहमत हूं, कि आज इसमें रूह नहीं है और जिसमें रूह नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है वह चीज हमारे लिए कोई चीज नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि आज जो शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे कहती कि आपने जो यूनिवर्सिटी दिया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की हैसियत से ही अधिकार दिया है, इसके साथ-साथ इसको एक टीचिंग और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी के भी पूरे अधिकार दे दिये जायं तो बहुत अच्छा हो। हमारा कानपुर एक ऐसा शहर है जहां की आबादी १० लाख की है और जिसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी इतनी है कि उसको एक अधिकार है कि उसकी अपनी एक यूनिवर्सिटी बने और उसको यह वंचित कर रहा है। मैं इसको न्याय के खिलाफ कहूंगी।

इसके अलावा आप देखें कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी सन् १९५७ में बनी और उसमें भी ऐसा प्राविधान है कि ऐफिलिएटेड करने के साथ-साथ वहां शिक्षा भी दी जायगी। मुझे पता चला है कि वह शायद पहले ही वर्ष में वहां पर दो कालेजेज का न्यूक्लियस बनाकर पोस्ट ग्रेजुएट तक टीचिंग का कार्य करने लगी है और वह धीरे-धीरे शिक्षा के कार्य का संपादन कर रही है। आज जब जमाने की रफ्तार बढ़ रही है तब क्या हमारे दिमाग ऐसे संकुचित हो जायेंगे? क्या हम लोग आगे न जाकर पीछे जायेंगे? इस ऐटामिक और मिसाइल के ऐज में जब हम संसार से भी दूर तक जा रहे हैं तब क्या हम लोग पीछे चलेंगे? जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि आगरा यूनिवर्सिटी के नीचे यह कानपुर की यूनिवर्सिटी का बिलकुल एक छोटा सा दफ्तर बनने जा रहा है, जैसा कि मैं समझती हूं। आगरा यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएशन पर कई तरह की टिप्पणियां की गयीं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा उन्हें साफ जाहिर होगा कि सन् १९६१ में १७ कालेजेज आगरा यूनिवर्सिटी में ऐफिलिएटेड हुए। सन् १९५७ में जो पहले इंस्पेक्टर्स एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने बनाये थे कि इंस्पेक्टर्स जाकर परिक्रमा करके इन नये एफिलिएटेड कालेजेज की सूटेबिलिटी को असेस करें और वे जाकर देखते थे कि वे वाकई इसके काबिल हैं या नहीं। उन इंस्पेक्टर्स को भी हटा दिया गया और वाइस चांसलर ने वह अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया। जिस कालेज को एफीलिएट किया गया वह इस कारण से भी कि उनसे यूनिवर्सिटी को रुपया मिलेगा और यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चल सकेगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यूनिवर्सिटी कोई कामर्शल बाडी है? क्या यूनिवर्सिटी कोई मैनुफैक्चरिंग कंसर्न है? क्या वह कोई फैक्ट्री है जहां जैसे और चीजें उत्पन्न होती हैं उसी तरह से वहां पर भी जो आदमी जाते हैं उनका भी मैनुफैक्चर कराया जायेगा? क्या हम लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर के अन्दर जीवन है, खून है, उसका अपना दिमाग है? क्या हम इसी माप पर अपनी यूनिवर्सिटी की भी नापतौल करते हैं जैसे कि और चीजों के लिए नापतौल करते हैं? मुझे क्षमा करें इस संबंध में पंडित मदन मोहन जी मालवीय के दो चार शब्द जो अंग्रेजी में हैं उनको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं।

"A society of the choicest minds produced in any country, engaged in receiving and imparting knowledge, devoted to the study of nature, the noblest monument of literature, the marvellous abstractions of mathematical

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

reasoning, the results of historical evidence, the progress of human civilization and the foundations of religious faith, will be atonce an example of productive quietude and an incitement to the philosophic view of life, so important to our countrymen in this day."

मैं आपसे कहूंगी कि यह चीजें जो यूनिवर्सिटी बिल द्वारा आनी चाहिए थीं कि ऐसा वातावरण हम लोग पैदा करेंगे कि हमारे देश में जहां-जहां अराजकता फैल रही है, जहां-जहां इंडिसिप्लिन फैल रही है जहां-जहां हम देख रहे हैं कि विद्यार्थीगण ऐसे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वह वातावरण पैदा नहीं हो पा रहा है। इस सब के पीछे कोई न कोई ध्येय होना चाहिए। आशा थी कि जब यूनिवर्सिटी बिल आयेगा तो उसके द्वारा एक न्यूक्लियस बनेगा और उस न्यूक्लियस को बनाकर उसे एक ऐसा सीट आफ लर्निंग, सेंटर आफ कल्चर बनायेंगे कि अनुसंधान और रिसर्च करने का उसका ध्येय होगा। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि आज हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ आगरा यूनिवर्सिटी का काम ज्यादा होने के कारण यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऐसा सुझाव दिया है कि हम उसके कुछ इस तरह से अलग-अलग हिस्से बना दें जिससे आगरा यूनिवर्सिटी को अपने काम में कुछ मदद मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी मुझे निवेदन करना है कि शिक्षा मंत्री जी या उप शिक्षा मंत्री जी दोनों में से किसी एक को यहां अवश्य उपस्थित कर दें।

श्री राममूर्ति--

ऐसी कोई बात तो नहीं है। हमारे यहां का ट्रेडीशन है कि कोई भी मिनिस्टर यहां रह सकता है। शिक्षा मंत्री जी अवश्य अपने कुछ आवश्यक काम से चले गये हैं लेकिन उनका यहां रहना आवश्यक हो हो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव--

अधिष्ठाता जी, ट्रेडीशन की बात कही जा रही है। यह बात जो मंत्री जी ने उठाई है इसके ऊपर आपकी एक व्यवस्था हो जानी चाहिए। मैं समझता हूं जो व्यवस्था आपने दी है उसके अनुसार, चूंकि एक महत्वपूर्ण विधेयक शिक्षा के संबंध में यहां पर उपस्थित है, तो शिक्षा मंत्री जी को या उप शिक्षा मंत्री जी को रहना अवश्य चाहिए। इसके ऊपर माननीय राम मूर्ति जी ने जो एतराज किया है उसको आपको नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि केन्द्र में अभी वहां लोक सभा के अन्दर बड़ी मजबूती के साथ अध्यक्ष ने कहा था कि जब पार्लियामेंट इन सेशन हो तो कोई भी मिनिस्टर हाउस से उठकर बाहर नहीं जायगा। मंत्री जी को अगर कोई दूसरा साधारण काम हो तो मैं यह मान सकता हूं कि यहां पर उप शिक्षा मंत्री जी को रहना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और सदस्य इस पर सुझाव दे रहे हैं। राममूर्ति जी कैबिनेट के सदस्य जरूर हैं लेकिन वह उस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपनी उस व्यवस्था को लागू करें और दोनों में से एक को आप यहां बुलायें।

श्री अधिष्ठाता----

इन सारी बातों का उत्तर माननीय राममूर्ति देते तब तो यह ठीक था और अगर शिक्षा मंत्री जी या उप शिक्षा मंत्री जी को देना है तो मैं निवेदन करूंगी कि उनको रहना चाहिए।

श्री राममूर्ति----

प्रश्न यह है कि शिक्षा मंत्री जी अपनी खुशी से तो गये नहीं हैं। मजबूरी से गये हैं। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बोलते हैं उनकी सारी बातों को नोट किया जाता है। उसी

प्रकार से शिक्षा मंत्री उनकी बातों का उत्तर देंगे । जितने भी यहां पर खयालात जाहिर किए जाते है उन सबको यहां पर नोट किया जाता है और शिक्षा मंत्री जी के नोटिस में आ जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

उप मंत्री जी को कम से कम यहां होना चाहिए ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से बतलाना चाहती हूं कि २ बजे तक कोरम का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

यहां पर कोरम हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ८, १० मेंबर आ जायं तो यह कोई खास बात नहीं है लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगी कि जैसा आपने अभी रूलिंग दी जिन मंत्री से संबंधित यह विषय है अगर वह मौजूद यहां पर रहते तो ठीक था । अगर किसी कारण से उनको बाहर रहना पड़ा तो उनके डिप्टी मिनिस्टर यहां पर तशरीफ रखते तो बहुत अच्छा था ।

माननीया, अभी यह कहा गया कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो कार्य है वह और हलका हो जायगा । यह सही है कि कार्य हलका हो जायगा लेकिन अगर कोई चीज बढ़ा ली जाय और सुचारु रूप से संचालित न हो तो क्या यह उचित है ? क्या उस चीज को सुचारुरूप से संचालित करने के लिये उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाय और खासकर ऐसी चीज जिसके पीछे इतनी गरिमा और इतना महत्व हो ? मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जब १५,२० साल से हमारे यहां यह आकांक्षा की जा रही थी कि हमारे कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाई जाय फिर भी सरकार यह कहती है कि हम इसको अभी टीचिंग नहीं कर रहे हैं । आज इमर्जेन्सी के टाइम में सरकार ने इस बात को माना है । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जब इस बात को मान लिया है कि यहां पर एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बनेगी तो साथ ही इस बात को भी कह दें कि शैक्षिक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है । इतना अगर वह इसमें संशोधन कर लें और बतला दें कि आज नहीं कर सकते तो कम से कम २ वर्ष बाद वह चाहते हैं इतना आश्वासन दे दें कि २ साल या ३ साल के बाद कानपुर और मेरठ में टीचिंग यूनिवर्सिटी की व्यवस्था हो जायगी तो बहुत सन्तोष की बात होगी ।

दूसरे माननीया, यहां पर मुझे कहना है कि कानपुर एक औद्योगिक नगर है । मेरठ अपना खास ऐग्रिकल्चर से संबंध रखता है । रुड़की में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है । बनारस में माइनिंग ऐंड मैटलर्जी का कालिज है । तो मेरा विचार था कानपुर में एक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी और एक कामर्शियल यूनिवर्सिटी बनती जहां पर आप जानते हैं कि लेदर के सबसे ज्यादा कारखाने हैं और साथ ही साथ टेक्सटाइल मिल्स हैं, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी हैं जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है । तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कानपुर में एक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी बनायी जाय और इसके लिये वहां पर काफी स्कोप और सहूलियत मौजूद है । वहां पर एक टेक्नालाजिकल, लेदर, शुगर इंस्टीट्यूट भी है, कई कालेजेज हैं । इसलिये सरकार वहां पर चाहे तो एक न्युक्लियस बनाकर इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर सकती है ।

माननीया, मुझे औरतों के संबंध में भी कुछ कहना है । प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है जहां तक स्त्रियों की शिक्षा का संबंध है । यही नहीं कि सरकार इसमें रुचि ले रही है बल्कि

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

बराबर उसमें पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन दो एक लाइन १९६० के यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट से पढ़ना चाहूंगी--

"Twelve years after the publication of the Report of the Commission the problems of women's education remain what they were, aggravated perhaps by the growth of numbers that has since taken place."

माननीया, इससे साफ जाहिर है जिस अनुपात से औरतों की आबादी बढ़ी है उतनी स्त्री शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। लड़कियों की शिक्षा यह तो ठीक है कि हायर सेकेंडरी स्टेज तक तो जैसी चलती है वह चलती ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टेज पर आने पर जो लड़कियां इसमें खास रुचि रखती हैं उनको अवश्य इस तरीके की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। लेकिन जैसी कि आज आर्थिक समस्यायें हैं यह देखते हुये कि जिन लड़कियों की खास रुचि नहीं है आगे पढ़ने के लिये तो उनके लिये स्पेशलाइज्ड जाब, जैसे होम साइंस के कालेजेज खुलने चाहिये। हमारे यहां कानपुर में एक होम साइंस का कालिज कर्वे इंस्टीट्यूट के द्वारा अफिलियेट करके खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन वह आपके सहयोग के बिना स्थापित नहीं हो सकता। जितनी भी कमेटीज की रिकमेंडेशंस आयी हैं हर एक ने सिफारिश की है कि लड़कियों के लिये होम साइंस के कालेजेज खुलने चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहूंगी कि हमारे जो कालिजों के और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं इनके-पे-स्केल में बड़ी असमानता है और विशेष कर डिग्री कालिजेज के टीचर्स को बहुत कम पैसा मिलता है। १९५७ के बाद जो नये विश्वविद्यालय, जैसे उज्जैन, राजस्थान इत्यादि में हैं वहां टीचर्स को अच्छा वेतन मिलता है जो वहां चले जाते हैं। लेकिन कानपुर में जैसे कि टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार स्वंय चलाती है वहां पर मैंने स्वंय सुना है कि कोशिश करने पर अच्छे प्रोफेसर नहीं मिल पाये, क्योंकि क्वालिफाइड जो हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर्स हैं उनको उपयुक्त वेतन नहीं मिलता। उनका वेतन-क्रम अच्छा होना चाहिये। साथ ही कालिजों के टीचर्स का वेतन-क्रम यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम है। यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले को ज्यादा मिलता है, लेकिन कालिज का वहां से कम है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं कानपुर के संबंध में कहना चाहूंगी। चन्द्रजीत जी ने थोड़ा बहुत उस पर प्रकाश डाला है। कानपुर में अगर यह यूनिवर्सिटी बनायी जाय तो मैं सरकार से यह अवश्य चाहूंगी कि जो वाइस चांसलर बनाया जाय वह बहुत सोच विचार कर, हर तरह से पहले से सोच-समझ कर बनाया जाय, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है बनारस में, इलाहाबाद में कि अच्छे-अच्छे वाइस चांसलर रहे हैं तो हमारे विद्यार्थियों के कैरेक्टर का स्तर अच्छा रहता है। समाज में जो आज क्राइसिस आफ कैरेक्टर हो रहा है उस चीज को हम बहुत कुछ करेक्ट कर सकते हैं। इसलिये जो वाइस चांसलर बनाये जायं वह बहुत सोच कर बनाये जायं। यह नहीं कि अगर किसी को कोई स्थान देना है इसलिये हम वाइस चांसलर बना रहे हैं किसी को। कोई खाली रहता है इसलिये हमें उसको एकमोडेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि पार्टी अफिलियेशन को हम सामने रखें। उसके लिये जो उचित, योग्य हो, हर तरीके से क्वालिफाइड हो उस पद के लिये, उसी को वह पोस्ट दी जाय।

इन शब्दों के साथ, माननीया, मैं इसका स्वागत करती हूं।

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, आज मैं यह निहायत मुबारक दिन समझता हूं कि हम लोग मेरठ तथा कानपुर में यूनिवर्सिटी खोलने से संबंधित विधेयक पर बहस कर रहे हैं। मेरठ तथा कानपुर में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग हम लोग बहुत अर्से से करते आ रहे हैं। आज हमारी वह मांग

बहुत अर्से के बाद पूरी होने जा रही है। इस विधेयक के जरिये मेरठ में एक यूनिवर्सिटी खोली जायगी। इसके लिये यकीनन मैं अपने शिक्षा मंत्री को मुबारकबाद पेश करता हूं और काबिले तारीफ समझता हूं। रहा यह कि यह यूनिवर्सिटी एफिलियेटेड होगी, टीचिंग नहीं। आजकल के वक्त में जब कि चीजें डेवलप हो रही हैं, यह राम सही नहीं है कि या तो बेहतर से बेहतर चीज को लिया जाय या कोई चीज न ली जाय। इस वक्त एफिलियेटेड होने के बाद वह टीचिंग भी बन सकती है। इसमें किसी को कोई एतराज करने के मौका नहीं होना चाहिये। जब भी हालात इजाजत दें, पैसा हो, उसके बाद यह टीचिंग भी बनाई जा सकती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। इस वक्त इसको टीचिंग बनाने में यकीनन कुछ दिक्कतें थीं। एक दिक्कत यह भी थी कि अगर इसको टीचिंग बना देंगे तो जो कालिज ऐसे हैं जहां पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज चलाई जाती हैं वहां के प्रोफेसर्स का क्या होगा, वे किस रूल के मातहत काम करेंगे, उनकी सर्विस कन्डीशन्स क्या होंगी, वगैरह? इन सब बातों को सोचने में यकीनन काफी समय लगता और तब तक के लिये यह विधेयक पड़ा रहता। जब इस बिल में यह प्राविजन है कि इसको टीचिंग यूनिवर्सिटी भी बनाया जा सकता है तो इस वक्त हमको तहेदिल से इस बिल की ताईद करनी चाहिये।

इसके अलावा अगर यह कहें कि क्योंकि मेरठ एक जरायती इलाका है। इसलिये वहां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ही खोली जाय, या कानपुर में एक इन्जीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाय, सनअती मरकज है। इसलिये तो यह इलाकाई बात सोचना मुनासिब नहीं होगा। कोई पर्टीक्यूलर एरिया इन्डस्ट्रीयल एरिया ही रहेगा, या पश्चिम वाले हमेशा खेतीबारी ही करेंगे, यह चीज आजकल के जमाने में सोचने के काबिल नहीं है। यह जो यूनिवर्सिटी बनेगी इसमें जरूरत पड़ने पर इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालिज को भी एफिलियेट किया जा सकता है। इस वक्त तो एक बुनियाद डाली जा रही है। उसके बाद हमेशा तरक्की होती जायेगी।

माननीय चन्द्रजीत सिंह जी ने फरमाया कि एकेडेमिक काउन्सिल के अन्दर पूरी ताकत नहीं दी गयी है, सारी ताकत एग्जीक्यूटिव में दी गयी है। मैं यह समझता हूं कि आजकल जिस तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं उनके लिये एक खास किस्म के उस्ताद पैदा करने की जरूरत है। आज कल वही बेहतर उस्ताद और बेहतर वाइस चांसलर है जिसमें इंतजामी काबलियत भी हो। इस स्टूडेन्ड डिसिप्लिन के जमाने में यह जरूरी है कि हम को ऐसा स्टाफ मिल सके जो बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के भी कामयाब हो और बहैसियत टीचर के भी कामयाब हो। लेकिन एकेडेमिक कौंसिल का रेप्रेजेन्टेशन भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होगा। सेलेक्शन कमेटी के लिये कहा जाता है कि उसके अन्दर मुख्तलिफ खयालात के लोग होंगे और वह पार्टी कंसीडेरेशन पर रखे जायेंगे और एक्सपर्ट नहीं रखे जायेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट की तारीफ क्या होगी? किसको आप एक्सपर्ट समझेंगे और किस को नहीं? तो यह चीजें बिल को देर कराने के लिये हैं। आप बिल को मंजूर फरमाइये और इसके बाद इस डेवलपिंग इंडिया में बेहतर चीज ही आप के सामने आयेगी। मैं समझता हूं कि काफी सोच विचार कर शिक्षा मंत्री जी यह बिल लाये हैं। यहां बरेली के बहुत से एम०एल०ए० बैठे हैं और बड़े गौर से यह सारी बातें सुन रहे हैं। इसलिये अगर कभी यूनिवर्सिटी वहां बनी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, समय की पुकार पर हमारी सरकार ने इस बिल को यहां रखा है। आगरा यूनिवर्सिटी जिसमें सैकड़ों कालेज हैं बहुत दूर तक फैली हुई है.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना भाषण जारी रखें । कोरम है ।

श्री दीपनारायणसिंह---

तो एक बड़ी आवश्यकता हमारी सरकार ने महसूस की और इसके लिये वह बधाई की पात्र है । १८ वर्ष आजादी के हो गये, अब यह बिल आया है । इसे बहुत पहले आना चाहिये था । सब से बड़ी कठिनाई यह पड़ती है कि इन कालेजों में अध्ययन इन्टरमीडिएट कालेजों के मुकाबले दूसरी तरह का है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री दीपनारायणसिंह---

वास्तव में हमें इस बिल पर गंभीरता से विचार करना होगा । यदि हमारी सरकार चाहती है कि हम विश्वविद्यालयों से ऐसे स्नातक निकालें जो अपने-अपने विषयों में पारंगत हों और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष बैठ सकें तो हमें गहराई से इधर सोचना होगा । फैलाव की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर क्वालिटी की ओर ध्यान देना आवश्यक है । जो कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसे समझिये कि वह कुछ नहीं जानता । अगर एक-एक विषय में एक एक यूनिवर्सिटी विशेषज्ञ उत्पन्न करने लगे तो हमारे ७।। करोड़ की आबादी के प्रदेश की बहुत उन्नति हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में । हमारे शिक्षा विभाग के उप मंत्री जी स्वंय डाक्टर हैं, हिन्दी और संस्कृत के विद्वान हैं । वह हिन्दी की ही एक यूनिवर्सिटी रखें । साइन्स के विभिन्न विषयों के लिये, जैसे कैमिस्ट्री है, बायोलोजी है, इन सबके लिये अलग-अलग विश्वविद्यालय होने चाहिये, तभी इनके स्पेशलिस्ट निकल सकते हैं । इस बिल में इस तरफ कोई इशारा नहीं है । एफीलियेटिंग विश्वविद्यालयों में अच्छी लाइब्रेरियां नहीं होती हैं, किताबें अच्छी नहीं होती हैं । विश्वविद्यालयों में सिर्फ रट्टू तोतों की तरह पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिये । अच्छे गाइड होने चाहियें जो यह बता सकें कि अच्छी किताब कौन सी है और अच्छी अथारिटी कौन है । क्या कारण है कि हमारे देश की १८ साल की आजादी के बाद भी हमारे विद्यार्थी बाहर जाते हैं और बाहर के विद्यार्थी विशेषज्ञ बनने के लिये हमारे यहां बहुत कम आते हैं ? अगर १ लाख रुपया आप कानपुर की लाइब्रेरी के लिये देते हैं तो कितने कालेजों में वह बंट जायगा, जिससे विशेषज्ञ नहीं निकल सकते हैं । मैं उपमंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि नियमों में इस बात को रखें कि पोस्ट ग्रेजुयेट की टीचिंग का एक ही जगह प्रबन्ध होना चाहिये, ग्रेजुयेट के लिये भले ही एफीलियेटेड कालेज रख दें । एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात की शिकायत रही है कि अच्छे टीचर नहीं हैं । वे ज्यादा कीमत चाहते हैं जो हम नहीं देते हैं । जिधर उसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है वह उधर चला जाता है । आप विश्वविद्यालयों में उनकी मार्केट वैल्यू से दीजिये । सरकारी नौकरी में लालायित होकर थर्ड क्लास का आदमी भी अच्छी नौकरी पा जाता है । उसका सम्मान और रौब होता है । लेकिन क्या लैक्चरर और प्रोफेसर को वह सम्मान और तनख्वाह मिलती है ? नहीं ।

आगरा यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं । पहले गोरखपुर भी उसमें था । वह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि लड़कों के पढ़ने में दिक्कत होती थी । बहुत भारी-भरकम विषयों वाली कालेजों से बंधी हुई लूज यूनिवर्सिटियां नहीं होनी चाहिये ।

अनुशासन के लिये यह बात है कि वाइस-चांसलर के नीचे सब होने चाहियें । इस बिल में मुझे कुछ ऐसी त्रुटि दिखाई दी जिसके लिये मैंने संशोधन भी दिया है । हमारी सरकार समझती है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भगवान के औतार होते हैं और चीफ जज उनको नामीनेट करेगा तो बिल्कुल अक्ल के पुतले आ जावेंगे । हाई कोर्ट के जज आप कैसे एप्वाइंट करते हैं, उसके

बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वे किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं है। इसलिये मैंने कहा है कि उनको काट कर आप विशषेज्ञ रखें। यूनिवर्सिटी की प्रबन्ध करने वाली जितनी भी कमेटीज हों उनमें २ प्रकार के व्यक्ति होने चाहियें—एक तो स्पेशलिस्ट और दूसरे जनता के प्रतिनिधि। इन दोनों का समन्वय होना चाहिये। उनमें नौकरशाही का आफीशल्डम नहीं होना चाहिये।

आप इन यूनिवर्सिटियों को ग्रान्ट भी अच्छी दीजिये। यह नहीं होना चाहिये कि आपने बनारस और इलाहाबाद को तो दे दिया, औरों को कम दिया। जहां जितने लड़के पढ़ते हों उनका हिसाब लगाकर रुपया दीजिये और बेहतरीन स्टाफ रखिये। मैं चाहूंगा कि आप दूसरे प्रदेशों के वाइस-चांसलर रखें। इससे नैशनल इंटीग्रेशन भी होगा और जो कुनबा-परस्ती और जातिवाद पनप रहा है जैसे कानपुर के एक कालेज में है, इस पर भी रुकावट होगी। जरा मिनिस्टर साहेब इसपर गौर करें। शिक्षा विभाग में अगर जातिवाद और सम्प्रदायवाद घुस गया तो राष्ट्रीय एकता के लिये यह बात बहुत घातक होगी। सरस्वती के मन्दिर में उसके उपासकों द्वारा यह बातें नहीं होनी चाहिये। चाहे कोई भंगी या चमार हो, या मदरास का या बंगाल का रहने वाला हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, ऐसी शिक्षा होना आवश्यक है। हमारे सूबे के लिये तो हमेशा यह कहा जाता है कि उसमें सूबेपन की भी भावना नहीं है। यह पहले से ही यूनाइटेड प्राविन्स रहा है। पंजाबियों में, बंगालियों में, और प्रदेशों में प्रान्तीयता हो सकती है लेकिन हमारा प्रदेश इससे हमेशा दूर रहा है। इसलिये दूसरे प्रदेशों के वाइस-चांसलर यहां रखे जावें, यह मेरी अपील है। मेरे ख्याल से यह सही है। हिन्दू यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस-चांसलर हो और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिन्दू वाइस-चांसलर हो। यह मुस्लिम विश्वविद्यालय और हिन्दू विश्वविद्यालय की भावना समाप्त कीजिये या दोनों में राष्ट्रीयता की भावना लाइये। यह विश्वविद्यालयों का बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इसकी कमियों को भी दूर करने का प्रयास होना चाहिये। सदन में योग्य आदमी हैं। यहां से आदमी उसमें जावें। यह जन प्रतिनिधि हैं। हाईकोर्ट के जजेज वगैरह को आप भगवान समझकर के उनको इस काम को मत सौंपे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीया अध्यक्षा महोदया, यह बिल जब हमने देखा तो मुझे एक शेर याद आया कि "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला"। आप भी तो मेरठ की है और सुशीला जी जिन्होंने अभी भाषण दिया वह कानपुर की हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों स्थानों पर विश्वविद्यालय खुलवाने के लिये कितना आन्दोलन हुआ लेकिन इस विधेयक के द्वारा वहां पर जब विश्वविद्यालय खोलने की बात आयी तो वह एक एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी मात्र है। एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे शिक्षा विद् राधाकृष्णन साहब ने कहा है कि--एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इज ए मिसनोमर। यह एक छद्म रूप है यूनिवर्सिटी का। उसको केवल नामकरण यूनिवर्सिटी का दे देते हैं लेकिन वास्तव में वह एक मिसनोमर है, छद्म रूप है यूनिवर्सिटी का। तो आप एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी जो दो नयी देने जा रहे हैं यह आप लोगों को भ्रम में डालने जा रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। जैसा कि छागला साहब ने कहा है कि यह एफिलियेटेड कालेजेज जो हैं वे टीचिंग शाप्स हैं, यह पढ़ाई की दूकानदारी के अड्डे हैं और उन्हीं को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है खोज करना, अच्छे अच्छे एक्सपर्टस को निकालना, शिक्षा विदों को तैयार करना, यह चीज कानपुर और मेरठ में देखने को आपको नहीं मिलेंगी। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अब भी विचार करें और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें जो इस बात पर भी विचार करे कि यह टीचिंग यूनिवर्सिटी के रूप में खुल सकती है या नहीं और यह केवल एफिलियेटिंग रूप जो इसका है वह समाप्त होना चाहिये या नहीं। इसके लिये मंत्री जी इसको जरूर प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें।

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

इसके अतिरिक्त आपका जो बिल पेश है वह अभी तक के विश्वविद्यालय के ऐक्टों की नकल मात्र है। उदाहरण के लिये आप देखें, उपकुलपतियों की नियुक्ति कैसे हो इसके लिये एक राज्यपाल का नामिनी होगा, एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल का सदस्य होगा और एक चीफ जस्टिस का नामिनी होगा। माननीया अधिष्ठात्री जी, सन् ६१ में उपकुलपतियों की नियुक्ति के लिये जो व्यवस्था की गई थी वही आज १९६५ में चार वर्षों के बाद भी रख दी गई है। आप देखें कि इसका कितना दुरुपयोग हुआ है। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस महोदय ने कमेटी में अपने को नामिनेट कर दिया। उसमें नियम यह था कि उनका प्रतिनिधि होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद अपने को नामिनेट कर लिया। हमारे राज्यपाल महोदय हैं, आप क्षमा करेंगे, राज्यपाल महोदय, जब हम कहते हैं तो राज्यपाल के व्यक्तित्व से उसका कोई संबंध नहीं है, राज्यपाल तो सरकार की सलाह पर काम करते हैं। राज्यपाल की जितनी नियुक्तियां होती हैं उस कमेटी में वह उसमें से हेरफेर करके दो, चार आदमी हैं वही रखे जाते हैं। कहीं श्री प्रकाश जी हैं, कहीं देशमुख साहब हैं, कहीं देसाई साहब हैं, यह तीन चार आदमी हैं जो उपकुलपति का चयन करने के लिये रख दिये जाते हैं और यह होता है सरकारी दबाव के कारण। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल से जो हमको पिछले चार पांच वर्ष के अन्दर वाइसचांसलर की नियुक्ति के सिलसिले में शिक्षा मिली है, उससे हम लाभ उठावें, हम इस तरीके को इस बिल में बदलें और यूनिवर्सिटी कोर्ट के ऊपर वाइसचांसलर्स के चुनाव को छोड़ें। नहीं तो यूनिवर्सिटी आटोनामी नहीं चल पाती। आपका सरकारी दबाव और सरकारी अधिकारी उसमें उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं चाहे वह कुलपति की नियुक्ति से हो, चाहे अन्य नियुक्तियों से हो।

मैं अभी आप से बताऊं कि इस कमेटी ने सिफारिश की। पुलिस अधिकारियों के नाम की सिफारिश की। उप कुलपति के पद पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बैठेगा। अगर यही रवैया रहा तो मुझे डर है कि कहीं तहसीलदार को आप वायसचांसलर नियुक्त न कर दें। माननीय दीपनारायणसिंह ने हाईकोर्ट के जजेज के बारे में कहा। मेरी समझ में भी उनकी नियुक्ति उपकुलपति के लिये नहीं होनी चाहिये। इसके लिये शिक्षाविद् होना चाहिये जो देश का माना हुआ विद्वान हो, जिसमें चारित्रिक बल हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, जिसने पांच या दस वर्ष तक अध्यापन कार्य किया हो, उनको ही उपकुलपति नियुक्त होना चाहिये। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये यूनिवर्सिटीज केवल परीक्षा के लिये हैं। जैसे हमारे यहां प्रयाग महिला विद्यापीठ है, ऐसे ही यूनिवर्सिटी बना दी, जो परीक्षा लेगी। आगरा का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिये कानपुर में एक खोल दी। आपने एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी खोली, लेकिन इसके अन्दर जो व्यवस्था की है, खर्चों की वह पूरे विश्वविद्यालय के खर्चों की है। इनमें डीन, स्टूडेन्ट्स वेलफेयर भी होगा और विभिन्न विभागों के भी डीन होंगे। जब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तब डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर क्या करेगा? क्या वह हर कालेज में जाकर के दौरा करेगा? इस डीन की नियुक्ति रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज में हो तो ठीक है। वह विद्यार्थियों के मैट्रिमोनियल एलायन्सेज तक से लेकर सुई तक खरीदने की व्यवस्था कराता है। विद्यार्थियों से उसका पूरा तारतम्य होता है। लेकिन इन एफिलियेटिंग यूनीवर्सिटीज में उसका क्या काम होगा, मेरी समझ में नहीं आता, जबकि वहां पर विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे। मेरी समझ में जो बिल आपने प्रस्तुत किया है, यह केवल कुछ लोगों को पदों पर नियुक्त करने के लिये आपने रखा है। और वास्तव में आपकी मंशा विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा देने की नहीं है। आप इग्जीक्यूटिव कौंसिल में किसको नामिनेट करते हैं? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक मिडिल पास आदमी को एग्जीक्यूटिव कौंसिल में नामिनेट कर दिया, उनका नाम शायद श्री केशव है। और हमारे यहां इलाहाबाद में एक साहब जो किसान मजदूर प्रजा-पार्टी में थे, उनको कांग्रेस में तोड़ने के लिये आपने इग्जीक्यूटिव कौंसिल में नामिनेट कर दिया और वह अब कांग्रेस में भी आ गये हैं। और कांग्रेस दल का जो चुनाव हो रहा है, उसमें एक गुट की तरफ से बड़ा जोर लगा रहे हैं। इग्जीक्यूटिव कौंसिल की जो नियुक्तियां होती हैं वे शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से की जाती हैं। इस दृष्टिकोण से नहीं की जातीं कि वह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में लाभप्रद होगा कि नहीं। आपने कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति रखी है, जबकि

मेरी समझ में एक एकाउन्ट्स अफसर काफी है । कोषाध्यक्ष न मीटिंग बुलाता है और न फाइनेंस कमेटी का काम करता है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में मिनिस्टीरियल और इंफीरियर स्टाफ के भी प्रतिनिधि रखे जायें, जहां आप सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि रहते हैं यूनिवर्सिटी कोर्ट के प्रतिनिधि रहते हैं, राज्यपाल के मनोनीत व्यक्ति रहते हैं, वहां यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों तथा चपरासियों के भी प्रतिनिधि एग्जीक्युटिव कौंसिल में होने चाहियें । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह उनको भी प्रतिनिधित्व दें । इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप विधेयक जल्दबाजी में न पास करें, चाहे यह साल भर के बाद पास हो । लेकिन विश्वविद्यालय का रूप सचमुच में विश्वविद्यालय जैसा हो और केवल परीक्षा लेने की दुकान न रह जाय ।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस बिल द्वारा जो निश्चय लिया, कि दो विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश के दो क्षेत्रों में खुलेंगे इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और यह खुशी की बात भी है । लेकिन मान्यवर, मुझे दो बातों से काफी निराशा है । पहली बात तो यह कि जो रूप इस बिल के द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का हमें दिखाई पड़ता है, उससे मुझे असंतोष और निराशा होती है । मान्यवर, जब इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात सुना करते थे सदन में तो जिन कल्पनाओं को हमने अपने मन में रखा था, वे कदाचित सदन में इस रूप से बहुत भिन्न थीं । दूसरी बात जिसकी मुझे शिकायत है, यह है कि इन विश्वविद्यालयों के क्षेत्र का जो चयन किया गया है, उसमें कोई रेशनालाइजेशन नहीं है । मान्यवर, मैं इन बातों पर ही अपना निवेदन सीमित करते हुए पहले तो यह कहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा के कमीशन समय समय पर नियुक्त हुए उन सभी की यह राय है कि आज शिक्षा को नया मोड़ देने के लिये और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए यह आवश्यक है कि रीजन्स में विश्वविद्यालय स्थापित हों । राधाकृष्णन् कमीशन ने और हरिश्चन्द्र कमीशन ने तथा अन्य कमीशन्स ने जो पिछले २० वर्षों में बैठे हैं, सभी ने इस सिद्धांत को माना कि हम क्षेत्रों में रीजनल यूनिवर्सिटीज स्थापित करें । मान्यवर, जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना का संबंध है, वह तो एक निर्विवाद आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति आज से पहले होना आवश्यक थी । सरकार का ध्यान अब गया । मैंने जैसा निवेदन किया वह बधाई के पात्र हैं और वह प्रशन्सनीय कार्य है । लेकिन अब दूसरा प्रश्न यह है कि जिस रूप का चित्रण इन रिपोर्ट्स में किया गया है, वह अवश्य भिन्न है ।

राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि कोई विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता यदि वह केवल संबंध प्रारूप का विश्वविद्यालय हो यानी केवल एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो, तब वे अपने आबजेक्टिव को पूरा नहीं कर सकती है । करीब करीब यही विचार दूसरे शिक्षा विशेषज्ञों ने प्रदेश और देश में व्यक्त किये हैं । तो मान्यवर, जो प्रारूप इस बिल के द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सिटीज का हमारे सामने आया है, उसमें ऐसा लगता है कि उनको केवल एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी का ही रूप दिया जाना है । इस सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने जिन विचारों को व्यक्त किया, उनमें से बहुतों से मैं अपने को पूर्णतः सहमत पाता हूं कि एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी हमारे शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकतीं । आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर एक चिन्ता का विषय बना हुआ है और उस को ऊपर उठाने की परम आवश्यकता है । चतुर्मुखी अवनति हमारे सामने है, चाहे प्राइमरी शिक्षा का स्तर हो, चाहे सेकेंडरी शिक्षा की बात हो या विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर की बात हो हम आज सारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

देश से पीछे हैं । इस स्तर को उठाने के लिये आज हम जो भी यूनिवर्सिटी बनायें वह ऐसी हों जिन में हम शिक्षा के स्तर को इन कमीशनों और शिक्षा विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर नई दिशा दे सकें ।

इसके अलावा मुझे एक दूसरी बात की ओर आपकी आज्ञा से सरकार का और विशेषत: माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना है । जब इस सिद्धांत को मान लिया गया कि हमारे सूबे में सारे रीजन्स में यूनिवर्सिटीज हों और जब सभी शिक्षा विशेषज्ञों की यह राय है, प्लानिंग कमीशन ने भी इस को माना है, शिक्षा आयोग ने माना है, राधाकृष्णन् और हरिश्चन्द्र कमीशन ने भी इस को माना है तब फिर प्रश्न यह है कि यह यूनिवर्सिटी केवल मेरठ और कानपुर में ही क्यों बनें ? सूबे में अगर निगाह डाली जाय तो कई और भी रीजन माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिखता होगा जिस में ऐसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और जिस की जरूरत और जिसका क्लेम भी इतना ही अधिक प्रबल है जितना कि इन क्षेत्रों का । मैं बड़े आदर के साथ और बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि रुहेलखंड प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें ७० लाख की आबादी है, जिस में २० पोस्टग्रेजुएट कालेज हैं, १२५ इंटर कालेज है । आबादी के निगाह से देखें तो सारे सूबे में वह तीसरे नम्बर की कमिश्नरी भी है । इस तरह से कोई कारण नहीं है कि रुहेलखंड में न कोई मेडिकल कालेज है, न कोई इंजीनियरिंग कालेज है और न अब भी कोई यूनिवर्सिटी वहां बनाने का विचार है । मैं चाहता था कि इस विधेयक में रुहेलखंड की यूनिवर्सिटी का भी नाम होता । मैंने वहां का बहुत अध्ययन किया है वहां की पोटेंशियलिटीज के बारे में . . . . .

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

रुद्रपुर और रुड़की की यूनिवर्सिटीज आप के यहां हैं तो . . . .

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

माननीय कृष्णानन्द जी, जरा मेरी बात सुन लें और समझ लें कि रुद्रपुर की जो यूनिवर्सिटी है वह कृषि विश्वविद्यालय है और वह किस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिये है और इसी तरह से रुड़की की यूनिवर्सिटी टेक्निकल और इंजीनिनिरिंग क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिये है लेकिन यहां शैक्षिक यूनिवर्सिटी की बात है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि रुहेलखंड की एक कमी प्रत्यक्ष रही है कि वह आजतक कोई शिक्षा मंत्री नहीं पा सका । या तो रुहेलखंड जिस दिन तक कोई शिक्षा मंत्री तैयार कर पाये उस दिन तक इंतजार करे या वर्तमान शिक्षा मंत्री से न्याय की मांग करें और उन से प्रार्थना करे कि वह उस क्षेत्र की पोटेंशियलिटी उसके साधन, आवश्यकता और वहां के लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए इतनी कृपा करें कि रुहेलखंड डिवीजन को भी उचित स्थान मिले और वहां पर शीघ्र एक विश्वविद्यालय उस रूप में स्थापित किया जाय जिस रूप में उसकी कल्पना राधाकृष्णन् कमीशन ने की थी । वहां एक टीचिंग विश्वविद्यालय हो । यह जो हरिश्चन्द्र कमेटी का जिक्र अभी सदन में हो रहा था और श्री चन्द्रजीत जी ने अभी कहा कि उसने स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि बरेली जो रुहेलखंड का केंद्र है वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित होना परम आवश्यक है । इसके अलावा विधान परिषद में जब एक नान आफिशियल विधेयक रखा गया था उस समय यदि मैं भूलता नहीं हूं, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय कैलाश प्रकाश जी ने उस समय सरकार की ओर से उत्तर देते हुये या कदाचित् उपशिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि परिस्थिति ठीक होने पर शीघ्रातिशीघ्र रुहेलखंड डिवीजन में यूनिवर्सिटी बनाने के लिये सरकार स्वयं बिल लायेगी और उनके उस आश्वासन पर नान-औफिशियल रैजोल्यूशन वापस ले लिया गया था । इस सदन में भी मैंने जब एक संकल्प प्रस्तुत किया था तो आश्वासन मिला था कि सरकार इस पर विचार करेगी परन्तु वह कौनसी कठिनाई है जो सरकार को इस एक रीजन को सारे प्रदेश में, युनिवर्सिटी से वंचित किया जा रहा है ? मैं ऐसा समझता हूं कि क्षेत्रीय युनिवर्सिटी शिक्षा के विकास के लिये, शिक्षा को दिशा देने के लिये वहां के इच्छा रखने वाले ग्रेजुएट स्नातकों के लिये परमावश्यक है ।

सब लोगों का मत यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे स्थल पर जहां पर १० हजार से अधिक विद्यार्थी हैं, होनी चाहिये । यह आयोगों की भी राय है और हमारे प्लानिंग कमीशन की भी राय है तो रुहेलखंड डिवीजन में तो इससे बहुत बड़ी संख्या विद्यार्थियों की है । मैं अधिक समय न लेते हुए केवल यह बात बता देना चाहता हूं, यह मेरा सौभाग्य है कि इस समय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद हैं । कृपा करके आप जो युनिवर्सिटी बना रहे हैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन उनका स्वरूप इन विचारों के प्रकाश में जितना आप ढाल सकें, उसका पूरा प्रयत्न हो । जो आशंकायें वाइस-चांसलर की और टीचर्स की नियुक्ति के बारे में प्रकट की गई हैं, वे भी निर्मूल नहीं है । यह परमावश्यक है कि ऐसे शिक्षा केंद्रों में, ऐसे शिक्षा मंदिरों में, हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकें जिससे जनता में आस्था हो । उनमें वाइस-चांसलर और टीचर्स की नियुक्ति केवल शिक्षा की योग्यता के आधार पर ही हो । अगर हम इसकी व्यवस्था इसमें न कर सके तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । जो नयी युनिवर्सिटीज हम कायम करने जा रहे हैं, उनकी रचना कर रहे हैं, उनके ऐक्ट में आशंकाओं की गुंजाइश न हो और वाइस-चांसलर और टीचर्स की नियुक्ति केवल एकेडैमिक योग्यता और मेरिट के आधार पर ही हो ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय कोरम नहीं है । बिना कोरम के यह सदन कैसे चल सकता है । यह गड़बड़ रोज ही होती है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मैं यही निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के मंदिर जो इस प्रदेश में स्थापित हों उनमें ऐसा वातावरण पैदा करने में हम समर्थ हों जिससे जनता में आस्था और विश्वास पैदा हो सकें । मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रदेश के बारे में क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम वितरण यूनिवर्सिटीज का करें और सद्रूप रखने की भी कृपा करें ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल दो विश्वविद्यालय कायम करने के लिये लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । श्रीमन, एक मांग जो, अपने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के मुताल्लिक थी उसको पूरा करने के लिये यह कार्य किया है परन्तु श्रीमन्, मैं इस राय का हूं कि प्रवर समिति में इसे अवश्य भेजा जाय क्योंकि इसके अतर्न्गत जो कमियां हैं वे बिना वहां गये हुए पूरी नहीं हो सकतीं । इस बिल के बारे में जैसी कि कई स्थानों से राय आई है और यहां भी विचार विनिमय के वक्त कहा गया, मेरी भी यही राय है कि कायदे से दो विधेयक लाने चाहिये, कानपुर यूनिवर्सिटी के लिये अलग, मेरठ यूनिवर्सिटी के लिये अलग । इसमें झगड़ा कहां जाकर बढ़ेगा उसको मैं बतला दूं । मेमोरेंडम में यह दिया हुआ है कि अभी एक लाख रुपया खर्च होगा और बाद में ६० लाख रुपया खर्च होगा, उसके वितरण में आगे झगड़ा बढ़ेगा । दो यूनीवर्सिटीज हैं तो बराबर बांट दिया जायगा, इससे बड़ा नुक्सान होगा । १६ जिले कानपुर यूनीवर्सिटी से एफिलियेटेड रहेंगे और मेरठ यूनीवर्सिटी से ५ जिले तो ऐसी व्यवस्था अगर की जाती कि ६० लाख रुपये जो खर्च होंगे वे इसी प्रोपोर्शन अर्थात् ३ और १ में खर्च होंगे तो यह बात चल सकती थी लेकिन बटवारा अगर बराबर कर दिया जायगा तो अड़चन पड़ सकती है ।

एक बात यह भी कही गयी कि यह बहुत छोटा सा विधेयक है, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट की नकल है और इस पर ज्यादा दूर तक विचार नहीं करना चाहिये और इसके आधार पर बतलाया गया कि राधाकृष्णन कमीशन तथा जस्टिस हरिश्चन्द्र कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर यह लाया गया है । लेकिन मुझे दुख यह है कि जो रिपोर्ट में कहा गया है उसका कुछ भाग मान लिया गया और कुछ नहीं माना गया । जहां तक यूनीवर्सिटीज खोलने की बात कही गयी कानपुर और मेरठ में उसे तो मान लिया गया लेकिन जो एक मौलिक बात कही

[श्री रक्षपालसिंह]

गयी कि शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है और यूनीवर्सिटीज रेजीडेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिये उसकी ओर मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया । आगरा यूनीवर्सिटी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें क्षेत्र बांट कर नाम और जोड़ देने वाली बात की गयी और अगर यह कहा जाय कि केवल दो यूनीवर्सिटीज के नाम और जोड़ दिये गये हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । मंत्री महोदय ने कहा कि यह एफीलियेटड यूनिवर्सिटी होगी । प्रस्तावना और मेमोरेंडम में देख लिया जाय एक स्थान पर लिखा गया है कि रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी की व्यवस्था की जायगी लेकिन सारा विधेयक पढ़ जाने के बाद, रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी की व्यवस्था कैसे होगी, कब होगी और विद्यार्थियों का प्रवेश कब से होगा, इन सब बातों का उल्लेख बिल में कहीं नहीं मिलता है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कानपुर और मेरठ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत १० मील के अन्तर्गत जितने कालेजेज हैं उन में पढ़ाई का पूरा पूरा कंट्रोल व प्रबन्ध यूनीवर्सिटी का रहे और अन्य यूनिवर्सिटी की तरह उनको रेजीडेंशियल कैरेक्टर पर चलाने की व्यवस्था की जाय और प्रवर समिति में इस सुझाव पर विचार किया जाय।

विधेयक में जो और बातें है उनमें से कुछ बातों का उल्लेख करते हुए मैं कहूंगा कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति में भी वही पुरानी रीति और पद्धति अपनायी गयी है । पुराने दिनों की जो घटनायें हैं, जो पुराने अनुभव हैं उनके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिये था । लेकिन देखने में आया है कि ठीक वही परिस्थिति और उसी प्रकार की नियुक्ति के नियम सारे के सारे वैसे ही रख दिये गये हैं । और अगर यह कहा जाय कि कई स्थानों पर सरकार के द्वारा शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न देकर केवल राजनीतिक स्वार्थों को देखते हुये ही वाइस-चांसलर की नियुक्ति की जाती है, तो यह गलत न होगा । होना यह चाहिये कि जो पढ़े लिखे हों, शिक्षाविद् हों, शिक्षा संस्थाओं में काम करने का जिन्हें अनुभव हो तथा उससे संबंधित सारी बातों का वे ज्ञान रखते हों, ऐसे ही लोगों को वाइस-चांसलर बनाना चाहिये । राजनीतिक आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिये । वाइस-चांसलर की योग्यता का कोई वर्णन इस विधेयक में नहीं है कि वैसे लोगों को गवर्नर नियुक्त करेंगे या किस तरह के लोगों की सिफारिश जज महोदय करेंगे । तो यह एक विचित्र सी स्थिति है जिसमें कोई भी वाइस-चांसलर हो सकता है । जो निकाला हुआ मंत्री होगा वह भी कहीं का वाइस-चांसलर हो सकता है, चाहे भले ही वह उस पद के योग्य हो या न हो । तो मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के अन्दर इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति में किसी तरह का राजनीतिक अड़ंगा न लगाया जाय और जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी हों, काफी पढ़े लिखे हों, उन्हीं को वाइस चांसलर बनाया जाय ।

जहां तक आटोनामस कालेजों का संबंध है, इस तरह का एक भी कालेज आगरा में नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि स्वायत्त कालेजों की व्यवस्था रखना तो एक तरह से यूनिवर्सिटी के अन्दर ही एक दूसरी यूनिवर्सिटी को बनाना होगा, इसलिये किसी भी कालेज को स्वतंत्र रूप से बिलकुल अलग नहीं चलना चाहिये ।

जहां तक ऐफिलिएटेड कालेजों का संबंध है मुझे भय है कि कालेजों का एफिलिएशन भी राजनीतिक आधार पर होगा । कौन सा कालेज किस स्थान पर है, किस समय उसका ऐफिलिएशन होगा, इस तरह से विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न स्थिति व तिथि निर्धारित करने की गुंजायश इसमें रखी गयी है । इसका नतीजा यह होगा कि जिस क्षेत्र के कालेज को (वे) सरकार समझेंगे कि वहां के प्रिंसिपल उनके मन के हैं जो कोर्ट में जा सकते हैं, अतः उनको तो एफिलिएशन की इजाजत मिल जायगी और दूसरे क्षेत्र के कालेजों को यह इजाजत नहीं मिल सकेगी । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि मेरठ तथा आगरा दोनों क्षेत्रों के सभी कालेजों में बिलकुल एक सी व्यवस्था होनी चाहिये, हर कालेज के लिये संबद्ध करने के लिये अलग अलग व्यवस्था करना ठीक नहीं है । स्वायत्त कालेजों की व्यवस्था करना एक तरह से यूनिवर्सिटी के कार्य में हस्तक्षेप करना होगा, इसलिये स्वायत्त कालेजों की इजाजत न होनी चाहिये ।

वाइस चांसलर की नियुक्ति के संबंध में चांसलर को अधिकार है कि प्रथम बार वह ६ महीने का समय बढ़ाता है फिर समय समाप्त हो ने पर उसका समय बढ़ा दे, इस तरह से तीन बार तक वह उसका समय बढ़ा सकता है यह ठीक नहीं है। यह अधिकार चांसलर को नहीं होना चाहिये। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि चांसलर को चाहिये कि वह वाइस-चांसलर के पद पर किसी विधिवत् निर्वाचित व्यक्ति को ही नियुक्त करे ताकि वह अधिक समय तक काम कर सके।

दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम एक तरह का निर्धारित करना चाहिये और अध्यापकों के अलावा सभी प्रकार के लोगों को प्राइवेट परीक्षा में बैठने की सुविधा देनी चाहिये क्योंकि मिलों में काम करने वाले तथा और भी हमारे प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनको रेगुलर पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, तो उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिये।

कोर्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहता हूं। उसके लिये एक लिमिट रख दी गयी है कि किस वर्ग के कितने सदस्य होंगे। अध्यापकों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें निश्चित की जानी चाहिये, वह है भी। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उनकी संख्या कोर्ट में ५ से अधिक न होगी। यह भी किसी किसी खंड में व्यवस्था है। परन्तु इसमें २० हजार रुपये देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या पर कोई रोक नहीं है। इसलिये जो आशंका श्रीमन्, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने की है, वह सही हो सकती है क्योंकि कानपुर ऐसी जगह हैं जहां पर पूंजीपतियों का बाहुल्य है और उन लोगों के हाथ में कानपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन जा सकता है। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या भी निश्चित होनी चाहिये। इनकी अनिश्चित संख्या नहीं रखनी चाहिये। इसके अलावा इसमें जो अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वह ज्यादा होनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसकी व्यवस्था इस बिल के अन्दर नहीं की गयी है। हमारी यूनिवर्सिटीज और सम्बन्धित कालेजों में अध्यापकों को छोड़कर कई प्रकार के कर्मचारी हैं। मैं यह कहता हूं कि जितने प्रकार के इनमें कर्मचारी हैं, चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के हों, तृतीय श्रेणी के हों, द्वितीय श्रेणी के हों, उनका एक प्रतिनिधि कोर्ट में होना चाहिये। इसकी जो कार्यकारिणी है उसमें भी इनका एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये। श्रीमन्, सबके प्रतिनिधि तो इसमें रहते हैं लेकिन हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये उनका प्रतिनिधित्व अवश्य रखना चाहिये।

श्रीमन्, मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहता हूं। एक चीज जैसा कि मैंने पहले बताया कि दस मील के अन्दर जितने कालेज हैं उनका भी प्रबन्ध यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाना चाहिये। थोड़े समय में तो करना ठीक नहीं होगा परन्तु एक निश्चित समय के अन्दर जिन स्थानों पर यूनिवर्सिटीज हैं उनके दस मील के क्षेत्र के अन्दर जो कालेजेज हैं, जैसे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में पढाई होती है, उनके आधार पर प्रबन्ध करना चाहिये। जैसे लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में होता है। यनिवर्सिटीज को सिर्फ सर्टीफिकेट्स या डिप्लोमा बांट कर बेकारी बढाने वाली यूनिवर्सिटीज न रखा जाय। शिक्षा मंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिये। साइंस और टेक्नीकल कालेज की तरफ विशेष रूप से मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। मैंने माननीय भटनागर, जो कि वाइस-चांसलर रहे हैं, उनका भाषण सुना था। उन्होंने बताया था कि रेजिडेंशियल-कम एफीलियेटेड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिये। श्रीमन्, अगर ये टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी, तो एक फायदा और होगा और वह यह कि केन्द्र से विशेष सहायता मिल सकगी। इसलिये एफिलियेटिंग यनिवर्सिटी के अतिरिक्त टीचिंग यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिये जिसमें साइंस, ऐग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजेज खोले जाने चाहिये। कानपुर के मेडिकल कालेज का प्रश्न विचाराधीन है। वैसे यह इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आता है। लेकिन जब कानपुर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यह कालेज उसी के अन्तर्गत होना चाहिये।

[श्री रक्षपालसिंह]

श्रीमन्, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि १९६५ के बाद में हिन्दी की ओर हमने विशेष ध्यान दिया है। वैसे तो सरकार को यह कहना चाहिये था कि इन यूनिवर्सिटीज में मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हिन्दी होगा। अगर यह घोषणा की होती तो अच्छा रहता। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे इस पर विचार हो सके और इसकी कमियां दूर हो सकें।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा उप-मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने दो यूनिवर्सिटीज मेरठ और कानपुर में खोलने की इस बिल द्वारा प्रस्तावना की है। इनकी चर्चा मुद्दत से थी और ये बहुत पहले खुल जानी चाहिये थीं, लेकिन अब खुल रही हैं, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं माननीय जगदीशशरण जी की बात से सहमत हूं कि रुहेलखंड में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये और आशा करूंगा कि वह आपके मंत्रित्वकाल में खुल जायगी। वहां की ७० लाख आबादी है और वहां पर न कोई इंजीनियरिंग कालेज है और न कोई एग्रीकल्चर कालेज है। मैंने विधेयक को पढ़ा। मैं चाहता था कि दोनों ही यूनिवर्सिटियां टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग हों, जहां पर शिक्षा दी जाये और साथ में विभिन्न कालेज उनसे सम्बन्धित हों और मैं चाहूंगा कि अभी बिल जो पेश हुआ है, इसमें सेलेक्ट कमेटी में तब्दीली की जाय ताकि यह जो दोनों संस्थायें हैं---टीचिंग-कम-एफिलियेटेड हो जायें। हमारे प्रदेश की आबादी ७ करोड़ से ज्यादा है और इतनी-इतनी आबादी पर दूसरी जगह कई बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, यहां भी अभी और यूनिवर्सिटियां होनी चाहिये। रुहेलखंड में भी एक विश्वविद्यालय अवश्य खोला जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, आज कई दफा कोरम के लिये घंटी बजायी गयी, इस से जाहिर है कि यह सदन विश्वविद्यालय विधेयक में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। यह दोनों विपरीत बातें हैं। बात यह है कि सभी काबिल चुन कर यहां आते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, देखिये जब लोक सभा में सरदार हुकुमसिंह को दो बार घंटी बजानी पड़ी तो उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। आप भी इसे एडजर्न कर दें तो अच्छा हो।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना---

मैं कह रहा था कि इस बिल में सेलेक्ट कमेटी से तब्दीली होनी चाहिये ताकि यह दो यूनिवर्सिटियां टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग बन जायें। हमारा देश शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी आबादी के जो और प्रान्त हैं उनमें यहां की अपेक्षा काफी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं चाहूंगा कि जो अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें भी यूनिवर्सिटियां कायम हों ताकि हमारा प्रदेश शिक्षा में आगे बढ़ सकें। यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं उनके बारे में हरिश्चन्द्र कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि उनमें कितना मिसमैनेजमेंट है, वहां पर किस प्रकार अध्यापकों की नियुक्ति में धांधली होती है, तो मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट की बिना पर उसके सुझावों को इस बिल में भी शामिल कर लिया जाये ताकि यह दोनों यूनिवर्सिटीज सारी बुराइयों और गड़बड़ियों से दूर हों। अध्यापकों में बेस्ट टेलेन्ट्स वहां पर नियुक्त किये जायें और अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के हिसाब से हो। गोरखपुर के बारे में हमें कुछ अनुभव है और मैं वहां की यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकता हूं। उसमें

पिछले वर्षों के अन्दर जिस तरह से अध्यापकों की भर्ती हुई है वह बहुत ही शोचनीय है। वहां पर फर्स्ट क्लास नहीं लिये जाते हैं और थर्डक्लास उम्मीदवार अध्यापक नियुक्त कर दिये जाते हैं। इस पर मैंने भी एक रिपोर्ट लिखी है और उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भेजी है। मुझे आशा है वह उस पर जांच करवायेंगे ताकि ठीक तरीके से हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा बढ़ सके। अन्त में मैं फिर शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने दो यूनिवर्सिटियां खोलने के लिये बिल प्रस्तुत किया और मैं चाहता हूं कि हाऊस इसे पास कर ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, चन्द्रजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज १७ साल के बाद यह विधेयक जिस रूप में आया उसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक यह उम्मीद की जाती थी कि हमारे विश्वविद्यालय और स्कूल जो केवल क्लर्क पदा करते हैं उस प्रणाली में कोई परिवर्तन होगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ उसी पुराने विधेयकों की नकल करके इस सदन में रख दिया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट ५६ में बना था। उस वक्त पूर्वी जिलों में एक धारणा थी कि नयी बात विधेयकों में आयेगी और उसमें रूरल यूनिवर्सिटी के नाम पर कुछ किया जायगा लेकिन जब विधेयक आया तो देखा गया कि उसमें बहुत थोड़े परिवर्तन इधर-उधर हुये।

खुशी है कुछ लोगों को कि मेरठ और कानपुर में यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं लेकिन मुझे कहना है कि यूनिवर्सिटी विधेयक में जो कुछ किया गया है उससे भी पीछे हम इन विधेयकों में जा रहे हैं। मिसाल के लिये, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर श्रमिकों के पढ़ने के लिये कालेजेज थे जहां पर श्रमजीवी लोग दिन भर काम करने के पश्चात् रात्रि को पढ़ सकें और डिग्री और डिप्लोमा हासिल कर सकें। लेकिन यह विधेयक जिसके लिये सरकार को बड़ा नाज है और कहती है कि यह बड़ा उपयुक्त विधेयक है उसमें जो कुछ श्रमिकों के लिये वहां किया गया था उससे भी पीछे जा रहे हैं जब कि कानपुर श्रमिकों का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक ५६ में पास हुआ था। पांच साल बाद सरकार को ख्याल आया कि गोरखपुर में बहुत से लेबर रहते हैं, और वह इच्छुक होते हैं कि अपनी पढाई करके डिग्री या डिप्लोमा हासिल करें। तो ६१ में इस सदन में संशोधन आया। उसके खंड (२) (ए) की ओर मैं इशारा करता हूं—

"Workingmen's College means an affiliated college recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 34(A)."

अब सेक्शन ३४(ए) इस प्रकार है—

"34. (A) (2)—The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College, as a 'Working Men's College" for the purpose of providing courses for degrees to persons(otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole time students by reason of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half time the presscribed duration thereof. Such courses shall be organised separately.'

तो हमको यह देख कर ताज्जुब हुआ है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो श्रमिकों को स्थान दिया गया है उससे वह अब पीछे जा रहे हैं। हम उम्मीद यह करते थे कि मंत्री महोदय आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे न कि पीछे जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

अब श्रीमन्, यह देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी विधेयक जिस रूप में रखा गया है अगर उसी रूप में यह रहेगा तो शिक्षा और अनुसंधान की पीठ जो ये समझी जाती हैं वह नहीं रह जायंगी। आप यह देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश में ८० फीसदी किसान हैं जो गांव में रहते हैं उनकी समस्यायें हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप बनाते हैं उस समस्या को हल करने के लायक यूनिवर्सिटी स्नातक पैदा नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने से हमारे भारत देश को लाभ नहीं होगा और उनकी जरूरत नहीं है। आज सबसे पहला काम यूनिवर्सिटी का यह है कि वह बढ़िया से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर और सोशल आर्डर को लाने के लिये आदमी और अच्छी शिक्षा देने वाले आदमी पैदा करे जो गांव की कठिनाइयों को हल कर सके। जो कठिनाइयों को दूर कर सके ऐसे स्नातक पैदा करने की जरूरत है। यह देखा जाता है कि कोर्ट के अन्दर शिक्षा मंत्री को हमने सदस्य बनाया है। जो निदेशक हैं उनको भी सदस्य बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री को भी सदस्य बनाया है और उनके निदेशकों को भी सदस्य बनाया है लेकिन हमारा यह कृषि प्रधान प्रदेश है। तो हमारे कृषि मंत्री को इसमें क्यों नहीं रखा गया है? चाहे पश्चिम, पूर्व, दक्खिन और उत्तर की बात हो सब जगह की यह मांग है और इसी सरकार की नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार का भी यह कहना है कि अधिक से अधिक अन्न उपजाने की योजना रखनी चाहिये। और इसको सफल बनाना चाहिये। इसी कारण चौथी योजना के अन्दर अधिक से अधिक पैसा कृषि पर खर्च करने जा रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि किसान अधिक से अधिक अन्न उपजाये तो उस हालत में अगर हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे स्नातक पैदा नहीं करती जो कि किसानों की मदद कर सकें या जो कालेज के आस-पास के गांव में रहने वाले किसानों की मदद नहीं कर सकते, उनको आधुनिक ढंग से खेती का तरीका नहीं बतला सकते तो मैं समझता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी की हमको जरूरत नहीं है। डाक्टर राधाकृष्णन् कमीशन जो १९४९ में बना था उसके अनुसार आज मैं देखता हूं कि हमारे मुल्क को आज जिस चीज की जरूरत है वह ऐजूकेशन में नहीं दी जा रही है। जरूरत और ऐजूकेशन में बड़ी डिस्पैरिटी है। आज हम आर्ट और ला के ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं जब कि हमको विज्ञान, टैक्निकल, डाक्टर, इंजीनियर तथा साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोगों को पैदा करना चाहिये। तो यह सबसे बड़ी कमी है। हमको चाहिये कि हम अच्छे से अच्छे टीचर पैदा करें। यह हमारे देश की मांग है और सरकार अगर इस भावना से यूनिवर्सिटी स्थापित करती है तो यह एक उम्दा बात होगी।

दूसरी बात यह देखी जा रही है कि सरकार गांव की ओर भी ध्यान नहीं दे रही है। चीन और जापान का पैटर्न हम यहां नहीं ला पा रहे हैं। रूरल इनीशियेटिव को डिस्ट्रामन करके एक दूसरा इनिशियेटिव हमको देना चाहिये जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आप स्नातक पैदा करें, उनमें वह भावना पैदा करें जिससे विलेज कम्युनिटीज को प्रोत्साहन मिले, प्रमोशन मिले, उनको ताकत मिले जिससे वह गांव को मजबूत कर सकें और अधिक अन्न उपजाकर देश को उन्नति के रास्ते पर ले जायं।

एक चीज यह है कि देखने से मालूम पड़ता है कि शिक्षा मंत्री महोदय पोलिटिकल अथवा किसी दूसरे प्रेशर में आकर यूनिवर्सिटी की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन उनको आजकल के रवैये के अनुसार दिशा नहीं देते। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज पुराने रवैये पर चल रही हैं। नयी यूनिवर्सिटीज जो कायम हुई हैं उनमें भी ज्यादा रद्दोबदल नहीं हुआ, वे भी पुरानी लकीर की ही फकीर हैं। अग्रवाल साहब ने अभी रुहेलखंड के लिये बात कही। अगर उनके लिये ज्यादा आवाज उठी तो वहां भी एक यूनिवर्सिटी बन जायगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप भले ही यूनिवर्सिटीज ज्यादा न बनवायें लेकिन जो बनायें उनका ध्येय ऐसा होना चाहिये कि जिससे देश का भला हो। एक्जाम्पुल के लिये बतलाऊं कि आप अब इंटरमीडियेट के बाद तीन साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं। प्रायः सभी कमीशन्स ने कहा है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज में एजूकेशन देना है तो वहां की भीड़ को आपको चेक करना चाहिये। और इसका एक टेस्ट गेट इंटरमीडियेट का एक्जामीनेशन रखा गया है। अब आप क्या करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी चीज यह है कि यूनिवर्सिटीज का स्टैन्डर्ड बहुत गिरता जा रहा है। उनका स्टैंडर्ड अपनी जगह पर ऊंचा नहीं किया जा सकता जब तक कि हायर सेकन्डरी स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊंचा न किया जाय। इसके लिये आपका फर्ज है कि आप हायर सेकेन्डरी स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊंचा करिये। पहल वहां जो टीचर्स होते थे उनसे विद्यार्थी कुछ अनुभव लेते थे, कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। आज चूंकि पालिटिक्स आ गई है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हर आदमी चाहता है, शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी खुले तो उनका एकाधिकार हो। शुरू से आखिर तक नामिनेश हो रहा है। इलेक्शन भी हो रहा है और उसकी वजह से पार्टी-बाजी हो रही है। जो टीचर पार्टी बाजी में सफल हो रहा है वह ऊंचा स्थान प्राप्त कर रहा है। निकम्मे पालिटिशियर आज ऊंचे पद ग्रहण कर रहे हैं और सच्ची मानों में शिक्षा देने वाले व्यक्ति जो शिक्षा में अपना समय लगाते थे और अपनी ड्यूटी समझते थे, वह नीचे स्तर पर जा रहे हैं, उन्हें निराशा हो रही है य इसलिये आप शिक्षा संस्थाओं को पालिटिक्स का केन्द्र न बनावें। अच्छे स्नातक, मास्टर और प्रोफेसर्स को प्रोत्साहन दें, उन्हें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले।

तीसरी चीज यह है कि यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ती जा रही है। अंग्रेज के जमाने में नवाब, राजा, गवर्नर या गवर्नर जनरल चांसलर होते थे। थोड़ा अट्रैक्शन भी था कि अगर गवर्नर होगा तो उन संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी वहां के स्नातकों को नौकरी मिल जाया करती थी। लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के बाद आज वही टेंडेंसी इस सरकार की क्यों हो रही है यह समझ में नहीं आता। एक तरफ तो राजा-रजवाड़ों को आपने खत्म किया, लेकिन एक राज्यपाल ही प्रदेश में होता है, आज जब कि इतनी संख्या में यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं तो राज्यपाल को हरएक का चांसलर बना देने में मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित होगा। दूसरी चीज यह है कि गवर्नर के चांसलर होने के बाद हम देखते हैं कि यनिवर्सिटीज आटोनामस बाडीज नहीं रह सकतीं, क्योंकि वहां के कार्यों में सब में गवर्नर का हाथ होता है। चांसलर द्वारा नामिनेशन होता है वाइस चांसलर का। तो वह भी गवर्नर या सरकार का ही आदमी होता होगा। आज बड़े-बड़े आदमी और मिल-मालिक वाइस चांसलर हो सकते हैं और सरकार उनको प्रश्रय देती है। आगे चलकर हालत यह होगी कि उद्योगपतियों का जैसे कि मिल पर एकाधिकार होता है वैसे ही यूनिवर्सिटियों पर भी हो जायगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वर्क्समैन कालिज एफिलियेट किया गया तो वाइस चांसलर किसको बनाया गया? कानपुर में जहां श्रमिक भी हैं तो उनको अपने राइट्स से महरूम कर देना उचित नहीं है। इसलिये यह जो आपने उल्टी गंगा बहाई है यह मुनासिब नहीं है। आप उचित रास्ते पर चलें। कर्ट के बारे में यह कहा गया कि अगर कोई विषय नया लिया जाता है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि कम से कम ३५ आदमियों के उसके लिये दस्तखत हों। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक जो हमने पास किया था उसमें यह संख्या २५ रखी थी। यहां पर ३५ क्यों रखी गयी है यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि २५ की संख्या ही यहां पर भी रहना चाहिये।

एक और बात श्रीमन्, मैं वाइस चांसलर के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। उसके चुनाव के लिये तीन आदमियों की एक कमेटी बना दी है। उसमें एक तो जिला परिषद् का रिप्रजेन्टेटिव होगा, एक कुलपति का होगा, और एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा। इस विधेयक के अन्दर यह भी दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी रिटायर्ड जज को नामिनेट कर सकेगा। श्रीमन्, जो जज काम कर रहे होते हैं उन पर तो चीफ जस्टिस का कंट्रोल रहता है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर किस तरह से उनका कंट्रोल होगा यह मेरी समझ में नहीं आया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में भी हमने इसे देखा। यह गलत परम्परा है। शिक्षा के किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को रखा जाता है या वह उस श्रेणी का होता तो मैं मान लेता। मैं चाहता हूं कि इस प्रलोभन को खत्म किया जाय। कोशिश यह की जाय कि योग्य से योग्य व्यक्ति उसमें रखे जायं। इससे हमारी शिक्षा संस्थायें जो आज पालिटिकल फील्ड बनी हुई है, उनमें सुधार होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है, शुरू में यह एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी होंगी। बहुत से साथियों ने यह कहा कि इसको टीचिंग बनाया जाय। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही पैटर्न को हम बार बार दोहराते चले जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री अगर इसमें कोई नया कन्सेप्शन देने की कोशिश करते तो वह अच्छी बात होती। मान्यवर, जब गोरखपुर विश्वविद्यालय बना तो आशा यह थी कि आगे चल कर वह ग्रामीण विश्वविद्यालय बनेगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी जब बनी तो यह आशा थी कि आगे चलकर वह ग्रामीण यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन आगे चल कर वह एक ही पैटर्न पर चली। अच्छा होता यदि इसमें कोई नयी चीज रखी जाती। लेकिन बहुत जमाने से यह मांग थी कि मेरठ, कानपुर, बरेली नैनीताल आदि में यूनिवर्सिटी खुलें। एजूकेशन कमीशन ने भी मेरठ तथा कानपुर के लिये अपनी सिफारिश की थी। और इस सदन में भी मान्यवर, कई बार इस बात की मांग हुई, इसलिये इसको बनाने की कोशिश की गई है और मैं यह भी समझता हूं कि चूंकि टीचिंग यूनिवर्सिटी को बनाने में पैसा बहुत खर्च होता है इसलिये शायद उन्होंने यह समझा कि एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बना दी जाय। यद्यपि इसका परिणाम यही होगा कि जैसे कि इंटरमीडियेट बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है तो उसके चार टुकड़े कर दिये जायं और वह चार सेंटर्स बन जायं उसी तरह से १३५–१३६ कालेजेज, आगरा यूनिवर्सिटी में एफिलियेटेड थे उसमें से ३६ और ३९,८५ के करीब इधर आ जायेंगे और ४९ के करीब उसके पास रह जायेंगे। बहरहाल, लोगों की मांग है, उसको पूरा किया गया। इसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इससे मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि लोगों का सेन्टीमेंट शान्त हो जाय और कुछ होना नहीं है और मेरा अपना खयाल है कि इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज का नम्बर बढ़ाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर नम्बर बढ़ाना ही है तो उसके पैटर्न में और उसका जो कन्सेप्शन है उसमें तब्दीली कीजिये। मान्यवर, कमलासिंह जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के मानें यह हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ-साथ रिसर्च का एक बड़ा व्यापक प्रबन्ध वहां होना चाहिये। यद्यपि इसके अन्दर किसी तरह की कोई सीमा इसकी नहीं है कि दो साल में हो, चार साल में हो, पर मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। मैं उनसे एक कदम और आगे जाना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट खोले जायं, यह कोई माने नहीं रखता है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये जहां पर स्पेशलाइजशन हो। जैसे कानपुर में अगर इंडस्ट्रीज की तरक्की करनी है और व्यवसायिक इकाइयां वहां बढ़ती जाती हैं तो अच्छा होता कि कानपुर के विश्वविद्यालय में जो कामर्शियल सब्जेक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था आप करते ताकि इंडस्ट्रियल और कामर्शियल एक्सपर्ट्स आपको मिल सकते। तो यह चीज ज्यादा अच्छी होती लेकिन वही पुरानी रूप रेखा चल रही है। बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने किया है वह हमारे सामने है और इसमें एक बात यह है कि करीब-करीब इसका पैटर्न वही है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। उसमें कोई खास तब्दीली नहीं है सिवाय एकाध कामा फुलस्टाप के।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता था कि अब तक चांसलर जो हैं वह गवर्नर होते रहे हैं यूनिवर्सिटीज के। यह क्या आवश्यक था कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज के भी चांसलर गवर्नर ही बनाये जाते? हम कुछ और एक्सपेरिमेंट इनमें कर सकते थे जिसमें गवर्नर के अलावा दूसरा यहां का चांसलर होता और फिर हम यह देखते कि जहां गवर्नर चांसलर होता है वहां क्या होता है और जहां गवर्नर चांसलर नहीं होता है वहां क्या होता है? अच्छा होता कि इस तरह भी हम कुछ कदम उठाते। वाइस चांसलर्स के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न हमने अपना लिया। वह एक यूनीक पैटर्न है। कमलासिंह जी ने एक बात कही। उन्होंने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर वगैरह की बात कही। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन यह

सही बात है कि कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि आउटस्टैंन्डिग के जो एजुकेशनिस्ट्स हैं या रिसर्च स्कालर्स हैं उनको वाइस चांसलर बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए तीन मेम्बर बैठते हैं। एक शिकायत उनको हुई कि वह रिटायर्ड जजेज क्यों हों, मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात नहीं है कि वह हाई कोर्ट के अन्दर हैं या नहीं हैं, कंट्रोल उनका है या नहीं है, सुपरविजन है या नहीं है, यह इसका मन्शा नहीं था, मंशा इसका यह था कि आम तौर से लोग यह समझते हैं कि चुनाव में कोई पक्षपात न हो, इसलिए कोशिश की गयी कि चूंकि जुडिशियरी एक बड़ी इन्डिपेंडेंट चीज है और मैं भी मानता हूं इस बात को, तो चीफ जस्टिस का जो नामिनी होगा वह सेलेक्शन में अपनी इन्डिपेंडेंट राय देगा और वह अपनी इन्डिपेंडेंट राय देगा तो कमला सिंह जी को उसमें फेवरिटिज्म और नोपोटिज्म लगाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चीफ जस्टिस के नामिनी की बात कही। (व्यवधान) मैंने अपनी राय माननीय ऊदल जी, कतई नहीं बदली है। मैं कतई जुडिशियरी की इन्डिपेंडेंस का हामी हूं। उसका एक सबूत वहां भी मैंने दिया जहां जुडिशियरी का झगड़ा था और एक सबूत यहां भी दे रहा हूं। एक आदमी उनका रख लिया ताकि वह इन्डिपेन्डेंट हो। चांसलर जो हेड हैं, उनका एक नुमाइन्दा है और एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का है। इसमें कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है क्योंकि एक पैटर्न चला आता है। लेकिन मैं चाहता था और जगहों को स्टडी करने के बाद नया पैटर्न आता। उससे पहले एक भिन्न तरीका था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ही दो ,तीन नाम भेज दिया करती थी। इसलिए मैं समझता हूं कि हूबहू डुप्लिकेट कापी कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें टाइम भी बच जायगा। मगर अच्छा होता यदि ऐसा हो गया होता।

एक बात उन्होंने कही जिस को मैं बड़ी इम्पार्टेन्स देता हूं और वह है, कोर्ट का फारमेशन। ५ हजार से २० हजार रुपये तक जो डोनेट करेंगे, उनके १० से अधिक मेम्बर नहीं होंगे। मगर जो २० हजार या उससे अधिक देगा, वह सभी लाइफ मेम्बर हो जायेंगे। तो मेरठ में तो मुझे कोई अन्देशा नहीं, क्योंकि वहां इतने पैसे वाले आदमी नहीं हैं। लेकिन कानपुर में जरूर—२० हजार रुपया देने वालों की तादाद काफी मिल जायगी। और इस के माने यह हुये कि कोर्ट में, हालांकि उसको बहुत ज्यादा पावर्स नहीं हैं, मगर जितनी पावर्स हैं, उसके अन्दर पूंजीपतियों का बाहुल्य हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जब क्लाजवाइज डिस्कशन हो, तो उन की भी एक तादाद फिक्स कर दीजिये। हालांकि उसमें एक दिक्कत पड़ेगी कि २० हजार की लालच में पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जायगा, मगर उस मोह को छोड़ दिया जाय। और ईमानदारी की बात यही है कि उनकी भी संख्या कहीं न कहीं फिक्स होनी चाहिये और उचित यही हो कि उनकी तादाद पांच या ६ के करीब कर दी जाय। इसमें ट्रेजरर का एक नया पद बना दिया गया है और कोई खास बात नहीं है। जो एफिलियेटेड कालेजेज हैं, उनके टीचर्स की कुछ सिक्योरिटी की बात इसमें ज्यादा है। इस माने में कि आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने उसको लिया है।

खास बात मुझे यह कहनी है माननीय शिक्षा मन्त्री तो नहीं हैं मगर डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हैं। शिक्षा मन्त्री ने बड़ी मेहरबानी की कि मेरठ में एक विश्वविद्यालय खोल दिया। इसको मैं पक्षपात की बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि वहां की यह मांग थी, और अच्छा ही किया जो वहां विश्वविद्यालय खोल दिया। कानपुर के लोगों की भी बड़ी मांग थी, वह भी ठीक है। मगर एक बात की तरफ मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरिश्चन्द्र कमीशन ने कहा था कि अगर कहीं सही माने में विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, तो बरेली में है और वैसे भी आगरे के बाद बरेली की इम्पार्टेंस कम नहीं है। मुझे ताज्जुब हुआ या यूं कहिये कि शराफत की वजह से हम चुप रहते हैं, वरना शिक्षा मन्त्री को चाहिये था कि पहले बरेली में खोलते, फिर मेरठ में खोलते। मगर खैर, मुझे इसमें भी कोई शिकायत नहीं है, अगर वह इस बात का आश्वासन दे दें....

श्री कमलासिंह यादव—

मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का कारण मैं आप से बताऊं। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया। डाक्टर सम्पूर्णानन्द, माननीय कमलापति त्रिपाठी और एक सचिव की बदौलत। वहां उनको डाक्ट्रेट की उपाधि दी गयी। अब मेरठ कैलाश प्रकाश का जिला है इस लिए यदि वहां यूनिवर्सिटी नहीं खुलती तो माननीय कैलाश प्रकाश जी को डाक्टरेट कैसे मिलेगी ?

श्री नवल किशोर—

माननीय कमलासिंह यादव की बात का मतलब यह है कि अपनी-अपनी जगह पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक बार सब को एजूकेशन मिनिस्टर बनना चाहिये।

बरेली एक सेन्ट्रल जगह है, और बरेली कालेज बहुत बड़ा कालेज है। लिहाजा मेरी मांग यह है कि माननीय शिक्षा मन्त्री या उप-शिक्षा मन्त्री इस बात का आश्वासन दे दें कि इस के बाद जो दूसरा विश्वविद्यालय खोलेंगे, वह बरेली के अन्दर खोल देंगे। माननीय उप-शिक्षा मन्त्री कह रहे हैं कि मैं यह कह दूं कि उस पर विचार करेंगे। बहरहाल मेरा तो कहना यही है कि आप उस को खोल दें। इस के अलावा इस बिल में और मुझे कोई खास बात नहीं कहनी है, क्योंकि यह आगरा युनिवर्सिटी के ऐक्ट की डुप्लिकेट कापी उठाकर रख दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी का आभारी हूं कि बड़े खूबसूरत तरीके से इस विधेयक का विरोध किया है, नाम समर्थन रखा है। आप का हर बात कहने का ढंग बहुत अच्छा है। वे जानते हैं भलीभांति कि विश्वविद्यालय सारे संसार के लिए जो शिक्षा का केन्द्र होता है, मेरठ और कानपुर में बनेगा। आगरे में पहले से ही मौजूद था, फर्क क्या पड़ेगा, ऐसे कालेजेज जिनका एफिलियेशन आगरा युनिवर्सिटी से है या लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, वे अब मेरठ या कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलियेट हो जायेंगे। फर्क केवल एक हो जायगा और वह यह कि जो पर्चे छप कर आगरे से या लखनऊ से जाया करते थे, केवल पोस्टल आर्डर बदल जायगा, वे पर्चे अब मेरठ और कानपुर से जाने शुरू हो जायेंगे। इम्तहान उसी प्रकार होंगे। एक्जामिनर्स का नामिनेशन उसी प्रकार से रहेगा। सिलेबस वही रहेगा। अगर थोड़ी बहुत किताबें चेंज होंगी तो वह भी लोकल जरूरियात के मुताबिक होंगी। कुछ लोगों को काम धंधा मिल जायगा, क्योंकि आज सियासत का नाम ही पेट भरना है और जितने लोगों का पेट भर पायेंगे, उतने ही ज्यादा सियासत में माहिर समझे जायेंगे। इम्तहान होने के बाद कालेजेज से कापियां सीधे एक्जामिनर्स के पास चली जाती हैं, जो जवाबात देखकर नम्बर देते हैं। और वे तमाम कापियां फिर टेबुलेशन के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती हैं। जो पहले आगरा पहुंचा करती थीं, वह अब मेरठ में या कानपुर में पहुंचना शुरू हो जायेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो खाली पोस्टल आर्डर में एक चेंज हुआ है और जो सदन का दो दिन का समय इस पर बहस में खर्च होगा, लाखों रुपया इमारतों के बनाने में खर्च होगा, इस से फायदा किसे होगा ? आम जनता को तो होने वाला है नहीं उस की परीक्षा के लिए आगरा से पर्चे चले जायें या कानपुर या मेरठ से चले जायें तो उस से अन्तर क्या पड़ता है ? अगर ईमानदारी से इस सरकार की यह राय है कि शिक्षा केन्द्र खोले जायं, विश्वविद्यालय बनाये जायं तो जैसा कि अभी सदन में माननीय नवल किशोर जी ने कहा और इधर के बैठने वाले कई सदस्यों ने कहा कि इस चीज को ध्यान में रखा जाय कि यह जो गरीब जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है उस का सदुपयोग हो। आप दूसरे देशों में जाते हैं, शिक्षा की कमेटियां बिठाते हैं, अगर आप को राधाकृष्णन कमीशन और हरिश्चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पसन्द नहीं है तो आप ऐसा कमीशन क्यों नहीं बनाते और उस को वह साधन नहीं देते कि वह बाहर के देशों में जायं और

*वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखें कि तरक्कीयाफ्ता देशों में किस तरह से शिक्षा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यही ध्येय न होना चाहिये कि कुछ अपने लोगों को साधन दिये जायं और उन के लिए पैसे का प्रबन्ध किया जाय ताकि वह आप के दल के स्वार्थों को पूरा कर सकें।

आप को याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर २० वर्ष पहले जब बम पड़े तो जापान एक तरह से तहस नहस हो गया था, वह बिलकुल बेकार कमजोर देश हो गया था, उस पर अमरीका का प्रभुत्व हो गया था, एक मृत जापान हो गया था। लेकिन जिस भारत ने अमरीका और अंग्रेजों को लड़ाई जीतने के लिए बड़ी-बड़ी खूंख्वार कौमों को मिटाने के लिए सहयोग दिया था वह आज उन के सामने कमजोर मुल्क की तरह अनाज के लिए हाथ फैलाये खड़ा है और जापान आज हर दिशा में आगे है। आप आज कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? जो पैसे के रूप में और ४८० के रूप में आप के उधर ही रह जाता है और तरह तरह का प्रचार कराया जा रहा है कि अमरीका इतना दे रहा है और अमरीका की तरफ से सड़कें बनायी जा रही हैं और जनता के पेट में अमरीका का अन्न डाला जा रहा है। अगर जरा भी दिमाग में सोचें तो यह एक ऐसी स्थिति है कि वह ज्यादा समय के लिए कभी भी शोभनीय नहीं हो सकती। क्या जरूरत है इन विश्वविद्यालयों की? लाखों रुपया जनता का बरबाद होगा, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को अपने जकड़े में रखने के लिए या नये आदमी जो पूंजीपति हैं उन को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए ताकि वह वक्त जरूरत काम आयें। आप अपने लोगों को नई पोस्ट्स देने जा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वह तो पहले से ही आप की झोली में हैं। बड़ा कष्ट होता है यह देखते हुये आप अपने दल के मफाद के लिए जनता पर अपना प्रभुत्व जमाये रखना चाहते हैं। लेकिन इस से प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। आप की पार्टी की और गुट की इस से कुछ दिनों के लिए और जिन्दगी बढ़ सकती है लेकिन जिस उद्देश्य और मन्शा का लेकर जनता ने आप पर अपनी कान्फिडेंस रखी है और आप को बहुमत में यहां भेजा है उसको आप इस तरह से अधिक दिनों तक कायम नहीं रख सकेंगे।

मैं अन्त में मन्त्रिमण्डल से कहूंगा कि हमारे धैर्य का, हमारी कमजोरी का आप नाजायज फायदा न उठावें और हमारे पैसे को, जनता के पैसे की उस पिटारी के धन को जो देश विदेश से झोली फैलाकर आप इकट्ठा कर के लाते हैं और जो कर्जा आप अपनी औलाद के सिर पर रोज बढ़ाते जा रहे हैं, उसका आप सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी ऐसे विधेयक को वापस ले लें, हमें ऐसे विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस मेरठ और कानपुर युनिवर्सिटीज बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस को दो सेक्शन में आप के सामने रखना चाहता हूं। कानपुर युनिवर्सिटी एक सेक्शन में और मेरठ युनिवर्सिटी एक सेक्शन में। कानपुर में युनिवर्सिटी का होना मैं मान सकता हूं। कानपुर में टैकनिकल इन्स्टीटयूट है, ऐग्रीकलचरल इन्स्टीटयूट है, शूगर टेक्नालाजी है, ये सब हैं। तो अगर वहां पर एक युनिवर्सिटी भी हो जाय, तो वहां पर एक कम्पलीट पिक्चर हो जाती है। मेरठ के आस पास सब से ज्यादा शूगर फैक्टरीज हैं पर शूगर टेक्नालाजी नहीं है। वहां पर टेक्सटाइल इन्स्टीटयूट नहीं हैं। इन्जीनियरिंग मेरठ सेक्शन में बढ़ता जा रहा है पर कोई इन्जीनियरिंग इन्स्टीटयूट नहीं खुल रहा है। हमारे ईस्टर्न जिलों में ज्यादा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सब से ज्यादा खेती है। पर वहां पर कोई एग्रीकलचरल इन्स्टीटयूट नहीं है। मेरठ में प्रेस्टिज युनिवर्सिटी आप कर दें पर अगर इस तरह से आप वहां पर करें तो इस तरह से तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कोष में बहुत रुपया है, उसे लगा दीजिये। मेरी गुस्ताखी अगर माफ की जाय तो मैं यह कहूंगा कि हमारी यू० पी० की एजुकेशन अनप्लान्ड है। यहां पर ३ लैंगुएज फार्मुला है। ये सब चीजें हो रही हैं। मैं यह समझता हूं कि आप की यू० पी० युनिवर्सिटीज कमीशन की रीडिंग बहुत अच्छी नहीं हैं। गोरखपुर युनिवर्सिटी में ही नहीं सब जगह एम्बेजिलमेंट

[श्री ए० सी० ग्राइस]

और मिसऐप्रोप्रियेशन है, टीचर्स की गड़बड़ी है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी की बाबत कई रिपोर्टों में कहा गया है कि वहां पर क्वालिटी आफ दि टीचर्स बहुत ही पुअर है। जब युनिवर्सिटीज में टीचर्स की कमी है, शिक्षा का ठीक से इन्तजाम नहीं हो रहा है तो आप के युनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा है? मैंने यह भी सुना है कि युनिवर्सिटी कोर्ट के रेजोल्यूशन के अनुसार लखनऊ युनिवर्सिटी से कानपुर मेडिकल कालेज हटाया जा रहा है। जब कानपुर में युनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं तो आप वहां के मेडिकल कालिज को भी उस में ही क्यों न रख दें। उसको कम्पलीट यूनिट बना दीजिये।

दूसरी बात यह है कि आप ने ६०लाख रुपया इन २ युनिवर्सिटीज में लगाने का प्राविजन किया है। जैसे मद्रास युनिवर्सिटी चल रही है उसी किस्म की युनिवर्सिटीज आप लखनऊ, कानपुर और मेरठ में चलायें। मद्रास युनिवर्सिटी से त्रिची तथा मदुरा के कालेजेज एफिलियेटड हैं और एम०-एस० सी० क्लासेज में सहकारिता के आधार पर यूनिटवाइज टीचर्स पढ़ाते हैं। जो एक्सपर्टस् हैं वे अपनी जगह रहते हैं और हर कालेज के स्टूडेंट्स वहां जा कर उन से पढ़ लेते हैं। इस में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है एक कालेज को छोड़ कर दूसरे कालेज में जाने में क्योंकि केमिस्ट्री एक में रहेगी, फिजिक्स दूसरे में रहेगी। तो जो मद्रास में हो रहा है वही यहां पर होना चाहिये। दूसरे युनिवर्सिटी टीचर्स का सेलरी तथा एसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स की सेलरी में बड़ा अन्तर है जिस से बड़ा अनहेल्दी एटमास्फियर फैल जाता है। इस को दूर करने के लिए दोनों को सेलरी ऐट पार मिलनी चाहिये।

सेलरी जोन जो है उन को भी कम्पेयर कर लीजिये। जहां उत्तर प्रदेश में टीचर्स को १२० से ३०० रुपये मिलते हैं वहां मध्य प्रदेश में २०० से ४०० रुपये मिलते हैं। डिग्री क्लासेज में मध्य प्रदेश में २७५ से ८०० रुपये मिलते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में डिग्री क्लासेज के लेक्चरार को २२५ से ४५० और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लेक्चरार को २५० से ५०० रुपये मिलते हैं जिस की वजह से एक्सपर्टस् यहां से बाहर चले जाते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रायः ३ साल से बोलने वालों की लिस्ट देख ली जाय कि ५०, ६० सदस्य हैं उन्हीं को बार-बार बुलवाया जाता है जब कि कोशिश यह करनी चाहिये २०० से २५० सदस्य यहां बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप की पार्टीज के नेता हैं वे जैसा-जैसा कहते हैं वैसा ही किया जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश सदस्य जरा इस बिल को पढ़ते कि विषय क्या है? इस को पढ़े बिना ही सरकार की तरफ से और उसके ऊंचे अधिकारियों ने इस सदन के अन्दर इस बिल को पेश कर दिया है। इस को जरा देखा जाय कि इसका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से कानपुर व मेरठ में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं? इस में पहले वाक्य में लिखा है कि कानपुर और मेरठ में इसलिए विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है कि आगरा युनिवर्सिटी का भार कम हो जाय। १३५ कालेजेज जो उस से सम्बद्ध हैं उस के भार को कम करने के लिए आप ये युनिवर्सिटीज खोल रहे हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि दुनिया के किस विद्वान, अर्थशास्त्री या भाषाशास्त्री ने इस तरह की अथारिटी दी है जिस के मुताबिक आप ये विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। इस एक वाक्य से ही प्रमाणित होता है कि आप की मंशा क्या है। विश्वविद्यालय का मकसद होना चाहिये कि हर क्षेत्र में शोध कार्य हो। समाज शास्त्र में,

विज्ञान के क्षेत्र में, इन्जीनियरिंग में, कृषि में, यानी जितने भी शास्त्र हैं, उन सब में शोध कार्य हो। इसी दृष्टि से विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिये लेकिन यहां तो अंग्रेजी जमाने से जो एक पुराना सड़ा गला तरीका शिक्षा में चला आ रहा है उसी पुरानी सड़ी गली शिक्षा पद्धति के तहत में आप ये विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट को ही चन्द क्लर्कों ने और मन्त्रिगण के चाटुकारों ने बैठ कर उसी का उल्था करके रख दिया है और केवल कानपुर और मेरठ का नाम इस में बदल दिया है। मन्त्रिगण के जो चापलूस व चाटुकार हैं उन के ऊपर भार वहन कर के वे विश्वविद्यालय के दफ्तर को चलाना चाहते हैं। भार वहन का दफ्तर खोलने से विश्वविद्यालय की मंशा नहीं पूरी होने वाली है। श्रीमन्, इस विधेयक को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि इस सरकार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिस के दिमाग में विश्व-विद्यालय की परिभाषा साफ तरीके से उतरी हो। माननीय मन्त्री जी को तो मैं जानता ही हूं लेकिन मन्त्री-जी के पीछे जो सलाह देने वाले बड़े-बड़े आफिसर हैं उनका दिमाग भी बिलकुल साफ नहीं है। पहले वाला जो विश्वविद्यालय एक्ट था वह बहुत अच्छा था लेकिन उस में भी संशोधन कर के आप ने उस में कूड़ा कर्कट भर दिया है और उसी तरह का यह विधेयक भी है।

जहां तक वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न है, गवर्नर जिसको चाहेगा उसे वाइस चांसलर बनायेगा। दुनिया के किसी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि जो गवर्नर का गुलाम हो उसे किसी युनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाय।

इसी तरह से कोर्ट जो है वह युनिवर्सिटी की सब से बड़ी संस्था है जिस की मीटिंग साल में एक दफा होती है। पहले जहां इमरजेंसी मीटिंग के लिए २५ आदमियों का होना आवश्यक था वहां आप ने उसे ३५ कर दिया है। तो वही सड़ा गला पुराना तरीका चला जा रहा है। इस से शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। कोई साहब उधर से खड़े हो कर कहते हैं कि नैनीताल में विश्वविद्यालय खुले, तो कोई इधर से खड़े होकर कहते हैं कि बरेली में खुले। युनिवर्सिटी कहां खुले, किस तरह से खुले, शिक्षा का प्रसार किस तरह से हो, इसके ऊपर मन्त्री महोदय ने कभी बैठ कर ठंढे दिल से सोचा? आज युनिवर्सिटीज से केवल क्लर्कों की फौज निकल रही है, क्या आप उसी तरह से कानपुर और मेरठ से भी क्लर्कों की फौज निकालना चाहते हैं? माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्दर उच्च शिक्षा का विकास करना चाहते हैं और विश्वविद्यालयों का विकास करना चाहते हैं तो आप एक शिक्षा परिषद् बनावें, जिस में उत्तर प्रदेश के चुने हुए विद्वान लोग हों। जिस तरह से विकास बोर्ड बना है उसी तरह का यह शिक्षा परिषद् के नाम से संगठन होगा। वह परिषद् इस बात को तय करे कि कहां-कहां विश्वविद्यालय खोले जायें। दूसरी बात यह कि आप रेजिडेंशियल युनिवर्सिटी खोलें। वरना जैसा कि मायर जी ने कहा—कभी आगरा का पर्चा कानपुर चला जायगा, कभी कानपुर का मेरठ चला जायगा। श्रीमन्, आज भी कानपुर में एम० ए० की पढ़ाई होती है, मेरठ में भी एम० ए० की पढ़ाई होती है और आज तक हम क्लर्क ही पैदा करते हैं।

पढ़ाई के सिलसिले में आप को इस तरह का प्राविधान करना चाहिये कि युनिवर्सिटी को अलग-अलग कैटगरीज बना दें। जैसे वाराणसी में आप ने संस्कृत युनिवर्सिटी बना दी है उसी तरह से कहीं कृषि युनिवर्सिटी हो, कहीं एटामिक इनर्जी और विज्ञान सम्बन्धी युनिवर्सिटी हो, कहीं समाजशास्त्र की युनिवर्सिटी हो तो कहीं लेबर सम्बन्धी विषय पढ़ाने की युनिवर्सिटी हो। साथ ही साथ रेजिडेंशियल युनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिये तभी जाकर इस प्रदेश में ऊंची शिक्षा का विकास हो सकता है, वरना क्लर्कों की फौज ही तैयार होती रहेगी और इस विधेयक के पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस हुकूमत से कोई नयी बात नहीं हो सकती है। हर बार प्रदेश की जनता से हुकूमत को उलटने की बात कही जाय तो कोई मतलब नहीं रखती है। मैं आप के द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पास न करें। मैं इस विधेयक का

[श्री काशीनाथ मिश्र]

विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में शिक्षा परिषद् को गठित कीजिये। उसके बारे में सदन में विधेयक आये जिस से शिक्षा परिषद् उच्च शिक्षा के बारे में विचार कर सके और योजना पेश करे सके।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय काशीनाथ जी मिश्र को यह योग्यता प्राप्त है कि वह गलत बात भी बड़े लहजे में कहा करते हैं। उन्होंने हम को चुनौती दी है, जो इधर बैठे हुये हैं या सदन में माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। उनकी विश्वविद्यालय की क्या कल्पना है, मालूम नहीं है। जिस कल्पना का उन को पता है उस में भी विदेशों में अब परिवर्तन हो गये हैं। माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो मेने संशोधन रखा है, उसका भी एक ही आक्षेप है कि जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं वे केवल एफिलियेटिंग खुल रहे हैं।

श्रीमन् मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक समय था जब हमारे प्रदेश में ७ या ८ प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और मुश्किल से २ प्रतिशत विश्वविद्यालयों की शिक्षा में जा पाते थे। इस लिए ३।४ विश्वविद्यालय खुले हुये थे उन में चन्द बड़े आदमियों के लड़के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन आज आप लोग देखें कि ५ लाख विद्यार्थी हाई स्कूल में और साढ़े तीन लाख विद्यार्थी इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं में बैठे हैं। यह आशा है कि ५० हजार या ८० हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में ऐडमिशन के लिए प्रार्थना-पत्र देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां ५ विश्वविद्यालय हैं और दो मन्त्री जी खोलने जा रहे हैं तो इन में कितने लड़के रिसर्च का काम कर पायेंगे? ज्यादा से ज्यादा १४ हजार विद्यार्थी काम से लग जायेंगे लेकिन इन की ५०--८० हजार की फौज निकलेगी, उन के लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? इसलिए मैं इन दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, और समाजवादी कल्पना में हैं, वे विश्वविद्यालय की पुरानी कल्पना को छोड़ दें। जितने डिग्री कालेजेज प्रत्येक जनपद में, तहसील में हैं, उन की शिक्षा के स्तर को ही ऊंचा किया जाय। आज प्रदेश के हर जिले में ४–६ डिग्री कालेजेज खुले हुये हैं, उन की हालत बहुत ही खराब है, लेकिन उन में कम से कम ४००–५०० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं, आज माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे गवर्नमेंट से कहें कि इन कालेजेज में ही पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल दी जाय, और इन्हीं को रिसर्च वगैरह की सारी सुविधायें दे दी जायं और जो विश्वविद्यालय हैं वे केन्द्रीय स्तर पर परीक्षाओं का स्तर रखें। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिनमें १,०००-१,२०० रुपये पाने वाले प्रोफेसर्स हैं और जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है उनके खोलने की क्या आवश्यकता है? आज विकेन्द्रीकरण का जमाना है, आज लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रश्न हमारे सामने हैं और यह प्रश्न भी तभी हल हो सकता है जब जितने हमारे डिग्री कालेजेज हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाय, उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाय और विश्वविद्यालयों से परीक्षायें हो जायं।

श्रीमन्, हमारे यहां केवल ५।७ विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जिनमें रिसर्च का काम किया जा सके। हमारे प्रदेश में जितने डिगी कालेजेज खुले हुये हैं और जो प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं उनमें ही शिक्षा का उच्च स्तर कायम किया जाय। आज क्या होता है? अध्यापकों की हड़ताल होती है, हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह केवल २००-३०० रुपये माहवार होती है। लेकिन जो विश्वविद्यालययों में अध्यापक पढ़ाते हैं उनकी १०००-१,२०० रुपये तनख्वाह होती है। एक समाजवादी कल्पना है जिसमें ८० हजार विद्यार्थियों को पढ़ाना है। ऐसी दशा में यह कहा जाय कि २–४ हजार विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिये हजारों और लाखों रुपया खर्च किया जाय तो मैं इसका विरोध करता हूं। प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में शैक्षिक यूनिवर्सिटीज खोले जाने का मैं विरोध करता हूं और एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटीज ही खोली जानी चाहिये। इसके अलावा जो हमारे यहां लोकल डिग्री कालेजेज हैं उनके शिक्षा के के स्तर को बढ़ाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने कानपुर यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोचा। लेकिन साथ ही इस बात का दुख है कि यह न तो जनता की मांग और न वक्त की जरूरत को ही पूरा करता है। अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा का ध्येय क्लर्कों को पैदा करना था। मैं पूछता हूं कि आजादी के बाद क्या ध्येय है? अगर समाजवाद लाना है तो उसके ध्येय औद्योगीकरण में मदद देने वाली शिक्षा होनी चाहिये। कानपुर में यूनिवर्सिटी अगर प्रिडामिनेंटली औद्योगिक यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। कानपुर में टेक्सटाइल, लेदर, आइरन, स्टील और दूसरे छोटे मोटे बहुत से उद्योग हैं और इसलिये कानपुर यूनिवर्सिटी में जोर प्रिडामिनेटली इसी बात पर होना चाहिये कि वहां से हजारों लाखों मजदूरों के लड़के शिक्षा लेकर, उद्योगों की ट्रेनिंग पाकर निकलें ताकि वे देश के औद्योगीकरण में सहायता दें। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अन्य देशों में जो यूनिवर्सिटियां खुली हैं और खुल रहीं हैं उनको जाकर देखें कि उनका क्या मकसद है? कानपुर में भी उसी तरह से लेदर और सभी दूसरी चीजों के लिये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होते जो लाखों मजदूरों के लड़कों को ट्रेनिंग देते।

आप बना क्या रहे हैं? आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेजेज एफिलियेटेड हैं। आप उनको हटाकर चाहते हैं कि कानपुर में भी एक दफ्तर खोल दिया जाय और उसको नाम दे दिया जाय कानपुर यूनिवर्सिटी का। सीधी बात कहो न कि इम्तिहान लेने का सेन्टर खोल रहे हैं। कानपुर वालों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? वहां का कोई मंत्री नहीं है, कोई उपमंत्री नहीं है सिवाय एक तारा अग्रवाल जी के तो क्या कानपुर में कोई अकलमंद आदमी ही नहीं है। सब रुपया वहां से लीजिये, कांग्रेस फंड से वहां से लीजिये, टैक्स वहां से लीजिये और करिये क्या यूनिवर्सिटी के नामसे वहां एकइम्तिहान लेने का दफतरखोल दीजिये। और दफतर भी किसके लिये? पूंजीपतियों के लिये। जो २० हजार रुपये देगा वह लाइफलांग मेम्बर होगा। कानपुर में २० हजार रुपया कौन देगा? पद्मपत सिंहानिया, जयपुरिया और रामरतन गुप्ता और यही उसके लाइफलांग मेम्बर होंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह भविष्यवाणी करता हूं कि यह यूनिवर्सिटी कानपुर के अन्दर पालिटिक्स के लिये अखाड़ा बनेगा।

मैं बताता हूं कि कानपुर में दो तीन फेमिलीज ऐसी हैं जो वहां की पूरी एजूकेशन को डामिनेट करती है और मुझे बहुत अफसोस है कि १७ साल के अन्दर सरकार यह नहीं कर पाई कि जो आज एजूकेशन को बिजिनेस बनाये हुये हैं और पैसा कमाने का धंधा बनाये हुये हैं उसको खत्म करके एजूकेशन का राष्ट्रीयकरण करें।

एजूकेशन का परपज देश के अन्दर शिक्षित नागरिकों को उत्पन्न कराकर देश को ऊंचा उठाना चाहिये। यह नहीं कि क्लर्क पैदा करने वाले और ऐसे लोग उससे निकलें जो उससे पैसा कमाने की फिक्र में रहें कानपुर के अन्दर इन लोगों के हाथ में ही एजुकेशनलन संस्थायें हैं और इन लोगों के हाथ में इस यूनिवर्सिटी का पूरा दफतर रहेग जो आप खोलने जा रहे हैं। ये पूंजीपति रहेंगे और ये लोग रहेंगे। इसलिये अगर आप उसको बाकायदा एजूकेशन का सेन्टर बनाना चाहते हैं तो टैक्नीकल एजूकेशन का सेन्टर बनाइये और अच्छे एजुकेशनिस्ट को वहां पर रखिये और उनके हाथ में ही इस यूनिवर्सिटी को रखिये वरना तो वही बात होगी जैसी कि आप समाजवाद को लाने के लिये कर रहे हैं और यही होगा जैसे यहां हो रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है, ५ इधर खड़े हैं, २ उधर खड़े हैं, ३ मंत्री पद के लिये खड़े हैं, १ व्हिप के लिये खड़ा है और एक प्रकार से अखाड़ा बना हुआ है और अखाड़ेबाजी चल रही है। यही अखाड़ेबाजी वहां पर चलेगी और काम धाम कुछ नहीं होगा और एक बिलकुल ढकोसलेबाजी वाली बात रह जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बहुत समय से इस इलाके की और बाहर की यह मांग रही है कि कानपुर और मेरठ में दोनों जगह विश्वविद्यालय खोले जायें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने भी अपने प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश की थी कि इन दोनों जगह पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हम इस देश में एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यह हमारे सामने समस्या है कि इस प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है कैसे उसको बढ़ाया जाय। वाइस चान्सलर कान्फ्रेन्स में जब आंकड़े इकट्ठे कराये गये तो यह प्रतीत हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे देश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में प्रति हजार २ विद्यार्थी होंगे। जनसंख्या के हिसाब से २ विद्यार्थी प्रति हजार होंगे, जब कि अमेरिका में २० हैं, रूस में १५ हैं और जापान में ९ हैं। एक तरफ तो हमारे सामने यह परिस्थिति खड़ी है कि दूसरे देशों के साथ चलना है उसमें हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुये हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने यह परिस्थिति है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी सेना पढ़े लिखे बेरोजगारों की सड़क पर, दफतरों में और रोजगार के दफतरों में फिरती है, उनको काम नहीं मिलता है तो इस परिस्थिति को हमें सामने रखकर वह योजना बनायें और इस देश को आगे ले जायें। विश्वविद्यालय का खोलना आवश्यक है। चूंकि शिक्षा की कमी है परन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि जो पहले विश्वविद्यालय खुले हुये हैं वह अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उनका रास्ता बदलना कठिन होगा। इस परिस्थिति को विचार में रखा जाये। इस विधेयक के खंडों पर आगे विवाद होगा तो मैं कुछ कहूंगा लेकिन मैं यह देखता हूं कि यह विधेयक भी पुराने विधेयकों के पैटर्न पर ही है। जब नये विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो नये उद्देश्य को सामने रखा जाय।

कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। नवलकिशोर जी ने 'कन्सेप्शन' शब्द का कई बार इस्तेमाल किया और अभी युसूफ साहब बोल रहे थे तो उन्होंने सोशलिज्म के बारे में कहा था। हमको नये विश्व विद्यालय खोलते समय इन परिस्थितियों को देखना चाहिये। मैंने अभी यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन का जिक्र किया और कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया। विश्वविद्यालयों में बहुत भीड़ है। इस बात पर गौर किया गया कि इसके कैसे कम किया जाय। इसको कम न करने का नतीजा यह हुआ है कि जो मैंने अभी आपके सामने रखा कि हमारे यहां पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है। यह उसका नतीजा है। उसके लिये हमको क्या करना होगा। एक आदर्श सामने रखकर कि हमें अपने देश में इस प्रकार के नागरिक बनाने हैं, ऐसा समाजवाद लाना है, चलना होगा जिससे विश्वविद्यालयों में भर्ती की समस्या कुछ सुलझे। यनिवर्सिटी की भर्ती के संबंध में मथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि---

"No university can throw open its door to every person who seeks admission ; Some restriction on numbers is unavoidable. The difficult question is to decide the point at which the line has to be drawn."

मैं दो सुझाव दूंगा इसके लिये। एक तो साधारण-सा है कि डिवीजन के बेसिस पर, नम्बरों की बेसिस पर, विश्वविद्यालयों में भरती की जाय। यह निश्चित कर दें, जैसा कि यू० पी० यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि किसी विश्वविद्यालय में ६००० से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे और उसके लिये एक बेसिस तो डिवीजन हो और दूसरा हो अनुशासन। जिन जिन बातों को हम अपने भावी नागरिकों में लाना चाहते हैं उनके आधार पर ही हम उनका चुनाव करें। जो उस आधार पर पास हो सकें वे ही यूनिवर्सिटी में भर्ती हो पायें। इस दिशा में हमको कार्य करना चाहिये। इससे हायर सेकेन्डरी स्टेज पर भी शिक्षा का स्तर कुछ ठीक होगा।

एक विशेष बात हमारी शिक्षा संस्थाओं में और हो गयी है और उसका जिक्र यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में है। आज शिक्षा संस्थाओं में काम बहुत कम होता है। हमारा बहुत-सा समय छुट्टी आदि में चला जाता है और कमीशन की रिपोर्ट में भी इसकी सिफा-

रिश की गयी है कि अपने काम के समय को बढ़ाना चाहिये। तीन घंटे अगर अन्य यूनिवर्सिटी काम करती हैं तो उनके भी तीन घंटे ही रहें यह नहीं होना चाहिये।

अब वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी। उसकी नियुक्ति ही यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने में सहायक होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह देखे कि ऐसे उपकुलपति नियुक्ति किये जायं कि जो न केवल एजूकेशनिस्ट ही आउट स्टैंडिंग हों वरन् साथ-साथ हमारे देश का जो भविष्य बनने वाला है, कैसा नागरिक बनाना है उसकी भी तस्वीर उनके सामने हो। श्रीमन्, विश्वविद्यालय तो और भी खुलेंगे, और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी इस दिशा में प्रगति होगी और इसके लिये यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन में कई आधार बनाये गये हैं, रीजनल, इकोनामिकल, कल्चरल, आदि किन्तु हमारे प्रदेश में इस आधार पर कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं सुझाव दूंगा और श्रीमन्, यहां सदन में भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुलें, जितने हमारे यहां डिवीजन हैं उतनी यूनिवर्सिटीज हों। ५ यूनिवर्सिटीज हम खोल चुके, और दो खोल रहे हैं। आगे अब किस का कहां का नम्बर आयेगा उसके लिये मेरा सुझाव है कि आगे रुहेलखंड में, फैजाबाद में और झांसी डिवीजन में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिये।

एक बात और कहूं कि यहां औद्योगिक शिक्षा का भी जिक्र हुआ। इससे मैं सहमत हूं कि शिक्षा सब एक नियंत्रण में होनी चाहिये। एक विश्वविद्यालय जहां खुल जाय, जैसे कानपुर का विश्वविद्यालय है तो वहां की सारी टेक्निकल एजूकेशन उससे ही संबद्ध होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से हमारे कार्य में सुविधा होगी और काम अच्छा होगा। इन बातों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

हमारी पार्टी के एक भी आदमी को बोलने का अवसर आपने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब माफ कीजिये। अब टाइम नहीं है।

श्री विजयसिंह—

५ मिनट तो जरूर दे दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

५ मिनट इधर भी दे दीजिये। महीना भर हो गया एक मिनट मुझे नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब आप बैठिये।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और इधर के तथा उधर के सभी सदस्यों का आभारी हूं। उस तरफ के लोग भी जो बोले हैं उन्होंने केवल स्वागत करने की बात कह कर इस प्रस्ताव का विरोध ही किया है। माननीया सुशीला रोहतगी ने तो यहां तक कहा कि लड़का पैदा होने पर खुशी मनानी चाहिये थी लेकिन वह लड़का निर्जीव है, क्या खुशी मनायी जाय ? मैं कहूंगा कि वह स्टिल बार्न है, मरा पैदा हुआ है। हमारे जगदीश शरण अग्रवाल जी ने कहा कि मेरठ के मंत्री जी हैं इसलिये मेरठ में विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। मतलब उनका यही था कि अगर बरेली से आज कोई मंत्री बना होता तो बरेली, रोहेलखंड में भी एक विश्वविद्यालय होता। आज चूंकि मंत्री महोदय मेरठ के हैं तो मेरठ में भी कोई विश्वविद्यालय कायम होना चाहिये, इसलिये यह विधेयक लाया जा रहा है। कारण आपने बताया कि आगरा यूनिवर्सिटी का भार कम करने के लिये यह यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं।

मंत्री महोदय को ध्यान होना चाहिये कि इन्टरमीडिएट बोर्ड है जिसमें साढ़े आठ लाख स्टूडेन्टस इम्तिहान देते हैं। उसकी तुलना में कितने स्टुडेन्टस डिग्री कालिज के होते हैं ?

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

परसेंटेज बहुत थोड़ा होता है और आप ऐफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज केवल एग्जामिनिंग बाडीज ही बिना रहे हैं। आपने ऐसा करते समय यू० पी० बोर्ड के, इंटरमिडिएट और हाई स्कूल एजूकेशन के बोर्ड के भार पर ध्यान नहीं दिया। केवल इसलिए कि मेरठ में विश्वविद्यालय खुल जया, इसी लए यह विधेयक लाये हैं।

और विधेयक से लाभ क्या होगा ? जिस काम को आप इस विधेयक से मेरठ में लेने जा रहे हैं उसको आगरा यूनिवर्सिटी पहले से कर रही थी। आपने और दो यूनिवर्सिटीज खोल कर एक खर्च का भार अपने ऊपर ले लिया जबकि उसी खर्च में पहले काम हो रहा था तो इससे क्या लाभ होगा ?

जिस ढंग से आप इस विधेयक लाये हैं उसकी सारे सदस्यों ने बुराइयां बतलायी हैं और सुझाव दिये हैं। वाइस चांसलर ऐसा होगा जो गवर्नर का गुलाम होगा और सदस्यों को भी रखने का आपका राजनीतिक लक्ष्य है। आपके ध्यान में अपने कुछ आदमी हैं जिनको आप वाइस चांसलर या सदस्य बनाना चाहते हैं जोकि बिला रोजगार के हैं। हमारे मंत्री जी का कहना था कि चूंकि राधाकृष्णन कमेटी या हरीशचन्द्र ग्राण्ट्स कमीशन के कुछ सुझाव हैं। इसलिए हम यह यूनिवर्सिटीज बनाने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अन्य सुझावों को पूरा कर दिया है ? आपको सुझाव दिया गया था कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो काशी का है उसमें रीडर्स ज्यादा होने चाहिये। क्या आपने उनके एप्वाइन्टमेन्ट किये हैं ? कितने किये हैं ? एक भी नहीं किया है। एक बात जो आप चाहते हैं उसके लिये उन कमीशनों की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन और जो सुझाव दिये हैं उनको एक भी मानने को तैयार नहीं है। राधाकृष्णन कमेटी कहती है कि अभी यूनिवर्सिटी बनाना बेकार है जैसी कि आगरे की है। वहां ४ क्लावर्स बैठ जाते हैं, उसके अतिरिक्त और आप क्या करते हैं ? एक पोस्ट आफिस सा बना लेते हैं। कौन सा वहां शोध कार्य होता है ? आपके माध्यम से हमने बताया था कि अगर आपको यही करना था तो रेजीडेंश्यल यूनिवर्सिटीज जो लखनऊ, इलाहाबाद और काशी जी की हैं उनके क्षेत्र को बढ़ा दीजिये ताकि शोधन कार्य और अन्य कार्य जो आप चाहते हैं वह हो सके। इस विधेयक से केवल आपका वही लक्ष्य पूरा होगा कि जिन आदमियों को आप उसमें लाना चाहते हैं वह आ सकेंगे।

इन सब बातों के होते हुए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर आप जनता का विश्वास रखते हैं तो इस विधेयक को वापस लें अथवा इसको प्रवर समिति में भेजें और जो जो इसमें कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को रखता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर बोलते हुए दोनों पक्षों के सदस्यों ने आम तौर से, विधेयक का जो वर्तमान स्वरूप है इस पर असंतोष जाहिर किया है। बहुत से लोगों ने सिमर्थन के परदे के पीछे इसका विरोध किया है। माननीया सुशीला जी ने भी स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह विधेयक आत्मारहित शरीर जैसा विधेयक है। दूसरे लोगों ने भी इसका वरोध किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यदि सदन में मौजूद रहते तो वे उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। सभी ने इस विधेयक के स्वरूप को असंतोषजनक बताया है। यह विश्वविद्यालय वास्तविक विश्वविद्यालयों के रूप में नहीं रह गये हैं।

मान्यवर, यह कहा गया कि जो एजूकेशन कमीशन बना था उस की सिफारिशों के आधार पर ही इस विधेयक की रूप रेखा तैयार की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि उस कमीशन की सिपारिशों के खिलाफ यह विधेयक आया है। जो प्राविधान इसमें किये गये हैं वे उन सिफारिशों के विपरीत है। इसीलिये हम कहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

दूसरा खतरा जो सबसे बड़ा इस विधेयक में है वह यह है कि जिस तरह से कानपुर के अन्दर उद्योगपतियों ने उद्योग के अन्दर इजारेदारी हासिल करली है, उसी प्रकार इस विधेयक के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी इजारेदारी हो जायेगी। यह एक बड़ा ही खतरनाक कदम होगा और इससे शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता चला जायगा। इससे आपको बचना चाहिये।

इस विधेयक को बनाते समय यातो अधिकारियों ने जानबूझ कर, सारे अधिकार अपने पास रखने की नीयत से इसको ऐसा बनाया है या जल्दी में इसको ड्राफ्ट कर दिया है। मान्यवर, एकेडेमिक कौन्सिल एक सब से महत्वपूर्ण संस्था होती है। उसका स्वरूप क्या होगा, इसके लिये विधेयक में है कि वह बाद में तय किया जायेगा। अध्यापकों के चयन का क्या तरीका होगा, यह भी बाद में तय किया जायगा। इस विधेयक के अन्दर किसी चीज की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। दो दो प्रमुख यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को आपने स्वीकार नहीं किया है। उससे आप बचना चाहते हैं। भावना आपकी केवल यह है कि जिस प्रकार से आप चाहें आप इन्हें बनायें और आप प्रभुत्व कायम रखें।

पिछले दो तीन वर्षों में जो विश्वविद्यालय बने हैं उनमें शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदय के मनोनीत सदस्यों को रखा गया है। इस तरह का जो अनडेमोक्रेटिक सेट अप आपने बनाया है यह बहुत गलत है। इसमें भी मोस्ट अनडेमोक्रेटिक-सेट अप आप बनाने जा रहे हैं। योग्य अध्यापकों तथा शिक्षाविदों को ज्यादा से ज्यादा सम्बद्ध करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे शिक्षा जगत् में गहरा असन्तोष पैदा होगा। आपको चाहिये था कि आप दूसरे विश्वविद्यालयों की खामियों से बजाय इसके कि कुछ सीखते, आप उन्हीं कमजोरियों की दल-दल में फंसते जा रहे हैं। यह सबसे खतरनाक चीज इस विधेयक में है। इसे आपको दूर करना चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि हमारे योजना आयोग ने निरन्तर कहा है, उसके द्वारा गठित शिक्षा समितियों ने कहा है, कि चूंकि हम अपने देश का औद्योगिक गठन करना चाहते हैं, टेक्निकल शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो टेक्निकल शिक्षा, प्रोफेशनल एजूकेशन का ज्यादा विकास करे और इसके लिए नये नये अनुसंधान किए जावें। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विश्वविद्यालयों का काम देश में अच्छे सुयोग्य नागरिक पैदा करना है और ऐसी शिक्षा की ज्यादा से ज्यादा संस्थायें होनी चाहियें जो शिक्षा के द्वारा हमारे सोशल लक्ष्य के, समाजवाद के लक्ष्य के, अनुरूप नागरिक पैदा कर सकें। कानपुर मजदूरों का केंद्र है। वहां जरूरत इस बात की थी कि कुछ ऐसी संस्थायें कायम होती जो टेक्निकल एजूकेशन, सोशल एजूकेशन और इंडस्ट्रियल विकास की तरफ प्रदेश को आगे बढ़ातीं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे देश की महिलाओं के लिए हम कोई होम साइंस का कालेज नहीं बना सके हैं।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री योग्य आदमी हैं और सुझावों पर वह गौर करते हैं। इससे सभी सहमत होंगे कि अगर विश्वविद्यालयों की स्थापना में देर हुई है तो २, ३ महीने का विलम्ब कोई ज्यादा अन्तर नहीं पैदा करेगा। इसलिए सरकार इस विधेयक को कमेटी में जाने दे। वहां आप कमीशनों की रिपोर्टों की, विश्वविद्यालयों से संबंधित बहुत सी समितियां बनी हैं? उनकी रिपोर्टों को और यहां के सुझावों को अपने सामने रख लीजिए। इन सब बातों पर गौर करके एक निश्चित स्वरूप के साथ जिसे माडल यूनिवर्सिटी कहते हैं उस तरह की यूनिवर्सिटी यहां कायम होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री इस पर गौर करते हुए इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में जाने देंगे ताकि यह विधेयक पुनः यहां एक अच्छे स्वरूप में आवे और जो अरसे से मांग है उसकी पूर्ति यह कर सके।

*श्री कैलाशप्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं कि इस विधेयक का सामान्यतः इस सदन में स्वागत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में यह आवश्यकता महसूस हुई है, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के हों, कि हमें अपनी शिक्षा का विस्तार करना है। इस बात पर कोई मतभेद विशेष रूप से यहां नहीं हुआ है कि विश्वविद्यालय स्थापित किए जावें। हां, यह अवश्य कहा गया है कि नये विश्वविद्यालय इस रूप में स्थापित करने से जैसा कि इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

व्यवस्था है, शिक्षा के स्तर में कोई बहुत उन्नति होने वाली नहीं है और सुझाव यह दिया गया है कि यदि विश्वविद्यालय हों तो उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का काम भी होना चाहिए जैसा कि यूनिटरी यूनिवर्सिटीज में होता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षा का स्तर विशेषकर अनुसंधान और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रत्येक स्थान पर देना मुश्किल है? क्योंकि उसमें साधन जितने कि आजकल के जमाने में स्नातकतोत्तर स्तर की शिक्षा देने के लिए और खास कर विज्ञान के क्षेत्र में या अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है, वह बहुत स्थानों पर जुटाना अभी संभव नहीं होगा। यह बात स्वीकार करने के बावजूद भी यह कहा गया है कि यह दोनों विश्वविद्यालय जो कि अब स्थापित किये जा रहे हैं, फिलहाल एफिलिएटिंग टाइप के होंगे। इसका कारण केवल एक यही है कि जैसा कि मैं प्रस्ताव उपस्थित करते समय भी कह चुका हूं कि अभी हमारे पास इतने साधन उपलब्ध नहीं है कि इन केंद्रों के ऊपर इन विश्वविद्यालयों में उसी तरीके की शिक्षा की व्यवस्था कर सकें जैसी कि अन्यत्र गोरखपुर, लखनऊ या इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों में है।

यहां यह बात कही गई कि यह बिना आत्मा का एक शरीर है। मैं कुछ हद तक इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि वास्तव में जीवित और बहुत उपयोगी इकाई यह होंगे जब इनमें पूर्णतः रक्त का संचार हो और जब इनमें आत्मा हो और इनका शरीर हो। परन्तु यह भी बात निर्विवाद है कि शरीर का निर्माण होगा, ढांचा होगा तभी तो उसके अन्दर आत्मा को रखा जा सकता है। जब तक हम इस तरीके के विश्वविद्यालय नहीं बनावें, क्योंकि टीचिंग तरीके के विश्वविद्यालय बनाना तो अपने साधनों के कारण संभव न हो और इस तरीके के एक ढांचे को, शरीर को रखे नहीं तो यदि आहिस्ता आहिस्ता करके आत्मा फूंकने का अवसर आगे आ भी सके तो उससे भी सदा के लिए वंचित रह सकते हैं। यही एक विचार इसमें रखा गया है और यही विचार हुआ कि इस तरीके से एक ढांचे को स्थापित कर दें, केंद्र स्थापित कर दें। कानपुर और मेरठ में और केन्द्रों के स्थापित करने के बाद इस विधेयक में ऐसी तो कोई पाबन्दी नहीं है कि जब समय आवे और जब साधन उपलब्ध हों तो हम टीचिंग का काम सीधे सीधे यहां न ले सकें। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में एक विचार ऐसा चल रहा है। वैसे तो मैं प्रातःकाल निवेदन कर चुका हूं कि एक कमीशन हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों की शिक्षा को जांचने के लिए बैठ चुका है, उसने कुछ संस्तुतियां की हैं जिनका अध्ययन हो रहा है और देश के स्तर पर भी एक कमीशन बहुत उच्चस्तर का बैठा हुआ है और वह शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शिक्षा का रूप बनाने के लिए है। आशा हम यही करते हैं कि सब पहलुओं पर ये कमीशन विचार करेंगे और उसके बाद संभवतया हमको भी इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। इसलिए उन माननीय सदस्यों ने या सदस्याओं ने जिन्होंने इस विधेयक में अपनी आकांक्षाओं का पूर्ण रूप नहीं देखा है, एक छोटा रूप देखा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन इतना ही कह देना चाहता हूं कि विकसित होने का, बढ़ने का यह एक बीज है, अंकुर है जिसकी हम आशा करते हैं कि अगर हम अच्छी तरह से इसकी सेवा और सुश्रुषा करेंगे, तो यह बढ़ेगा और विकसित होगा और जिस तरीके का एक वृक्ष हम चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षा है, वह उस रूप में स्थापित हो।

रुहेलखंड के माननीय मित्रों ने विशेषकर यह कहा कि मेरठ का विश्वविद्यालय इस वजह से पित हो रहा है कि शिक्षा मंत्री मेरठ के हैं और बरेली में इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वहां का कोई मंत्री नहीं है। मुझे तो ऐसी बातों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती और इसीलिए यह प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने थोड़ा सा पुराना इतिहास इन विश्वविद्यालयों के विषय में दे दिया था। राधाकृष्णन कमीशन जब आया था, तब शिक्षा मंत्री वह व्यक्ति नहीं था, जो मेरठ का हो। और इसके पश्चात् जितनी कमेटियां या कमीशन्स बने हैं, उनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन माननीय सदस्यों का यह मंशा नहीं है कि क्योंकि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र विशेष का रहने वाला है, इसलिए उस क्षेत्र

की विशेष मांग है, वह इसी वजह से पूरी न की जाय कि वह वहां कर रहने वाला है। मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत को कोई मानेगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि उस इतिहास को सामने रखते हुए जो प्रातःकाल दिया था, यह आशंका कि क्योंकि कोई किसी विशेष क्षेत्र का रहने वाला है, उसने अपने क्षेत्र की ओर से इस तरह का काम किया है, यह युक्ति यहां लगने वाली नहीं है।

एक बात और कही गई कि जो बटवारा हुआ है क्षेत्रों का यह सही नहीं है। मेरठ विश्वविद्यालय के लिए केवल मेरठ डिवीजन है, जबकि आगरा विश्वविद्यालय के लिए चार डिवीजन्स हैं और कानपुर के लिए दो डिवीजन्स हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी योजना के अन्तर्गत जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि तीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निर्णय किया गया था—मेरठ, कानपुर और कुमायूं। मेरठ, कानपुर का विधेयक आपके सामने पेश है। कुमायूं और उसके बाद रुहेलखंड की भी मांग होती है। कुमायूं से संबंधित विधेयक अभी उपस्थित नहीं है। किन्तु यह बात अवश्य है कि तीसरी पांचसाला योजना के अन्तर्गत कुमायूं में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कारण यह था कि वहां की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रों से भिन्न है। इसलिए वहां के विश्वविद्यालय का विचार चल ही रहा है। और उस विचार के चलते हुए यह उचित नहीं समझा गया कि इस तरीके का बटवारा कर दिया जाय कि फिर कोई बटवारे की आवश्यकता पड़े तो उसमें इधर उधर किया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने कालेज हैं, उनकी परिस्थिति देखी जाय, तो बटवारा संतुलन का आता है। इसी तरह से अगर बटवारा किया जायगा जिस तरीके से क्षेत्र विधेयक में, निर्धारित है तो आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ५१ की संख्या आती है, जबकि डिवीजन्स ४ हैं। किन्तु कालेजेज की संख्या ५१ ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अपना काम करती है, क्योंकि इस क्षेत्र में केंद्र की यूनिवर्सिटीज भी काम करती है। मेरठ विश्वविद्यालय में मेरठ डिवीजन में ४४ विद्यालय हैं और कानपुर के क्षेत्र में कानपुर और झांसी डिवीजन में ४० विद्यालय हैं। तो यदि डिवीजन के हिसाब से हम देखते हैं तो यह बात सही है कि एक यूनिवर्सिटी में एक डिवीजन, दूसरे में दो डिवीजन और तीसरी में चार डिवीजन्स हैं, पर यदि संस्थाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बटवारा करीब-करीब संतुलन का आता है, और मैं यह भी निवेदन कर चुका हूं कि क्यों यह चार डिवीजन्स रखे गये हैं ?

तीसरी बात यह कही गई, संभवतः कुछ माननीय सदस्यों के, जिन्होंने इस बटवारे की चर्चा की थी, उनके सामने कुछ इस तरह की बात हुई कि यदि कुछ विश्वविद्यालय के पास क्षेत्र कम है, तो उसको अधिक अनुदान दिया जायगा और जिनके पास क्षेत्र विस्तृत हो जायगा उनमें अनुदान कम पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। जब तक यह विश्वविद्यालय सम्बद्ध करने वाले हैं, तब तक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से अनुदान नहीं दिया जाता है, बल्कि सहायता या अनुदान संस्थाओं के दृष्टिकोण से दिया जाता है। अनुपालन अनुदान अथवा अनावर्तक अनुदान संस्थाओं को दिया जाता है। इसलिए वे संस्थायें जो कि किसी विशेष क्षेत्र में स्थित हैं, वे चाहे आगरे से संबंधित हैं, चाहे मेरठ से और चाहे कानपुर से यदि वे संस्थायें हैं, तो उन संस्थाओं को जो सहायता दी जाने वाली है, वह प्रत्येक दशा में दी जाने वाली है। एक विश्वविद्यालय बन जाने से और विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम हो जाने से कोई उनके अनुदान में, कोई उनके खर्चे में बड़ा भारी फर्क उस तरीके से पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यदि यह आशंका है कि क्षेत्रकम हो गया और सबको बराबर-बराबर धन दिया गया, तो बराबर देने में छोटे क्षेत्र को अधिक सहायता दी जा सकेगी, वह बात यहां लागू नहीं हो सकती। इसके पश्चात् यदि विश्वविद्यालय पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय बनता है, तो फिर जहां विश्वविद्यालय का केंद्र है, अथवा जो विश्वविद्यालय उन केंद्रों को कहीं और ले जाता है, वहां वह स्थापित होंगे, वहां खर्चा होगा, वह भी कोई क्षेत्र से बड़ा भारी संबंध रखने वाला नहीं है।

इसके अतिरिक्त विधेयक के विषय में कुछ प्रश्न यह उठाये गये हैं, जो कि उसके व्योरे से संबंधित हैं। एक प्रश्न यह उठाया कि जो विधेयक रखा गया है, उसमें इस बात की आशंका है कि उद्योगपति और पूंजीपति उनके ऊपर आधिपत्य जमा लेंगे। मैं समझता हूं यदि विधेयक को अन्दर से देखा जाय, और चाहे इसमें धारा एक छोटी हो और उस धारा में नम्बर बहुत

[श्री कैलाशप्रकाश]

हो, तो जब कोई एक संस्था बनेगी, तो धारा में और लिखने में चाहे छोटी प्रतीत होती हो, और नम्बर में संख्या से अधिक है, तो वह अधिक रहेगी संख्या। इसी तरह की व्यवस्था आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य जानते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय की जो बाडीज हैं, चाहे वह सीनेट हो, जनरल बाडी हो, या एक्जीक्यूटिव कौंसिल हो, वहां कोई इस तरीके के आधिपत्य की आशंका नहीं है। यदि कोई प्रतिनिधित्व किसी बात को दे दिया गया है, तो उस पर इस बात की आशंका होना कि उनका आधिपत्य हो जायगा, ऐसी बात से ही नहीं है। किन्तु एक बात तो माननी होगी और आप सब चाहेंगे कि आखिर शिक्षा का भी एक मन्तव्य है और वह यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी जब समाज में जाय तो समाज के जो विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों में वह उपयोगी हो सके। विभिन्न अंगों में व्यवसाय और उद्योग भी सम्मिलित है और बहुत से यह जो सामाजिक कर्त्तव्य हैं, वह भी सम्मिलित हैं और यह विचार किया जाता है कि यदि उस लक्ष्य को पूरा करना है कि जो इन विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी निकलें, वे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तो यह भी उचित प्रतीत होता है कि जिनको विभिन्न क्षेत्रों का तजुर्बा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं को जानते हैं, उनका भी परामर्श और उनका भी सहयोग नीतियों के निर्धारित करने में उपलब्ध हो। इसलिए जो यह विश्वविद्यालय की संस्थायें बनाई जाती हैं, इनमें ऐसे तथ्यों का भी प्रतिनिधित्व परामर्श देने के लिए हो कि वह जिस लक्ष्य पर हम पहुंचाना चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या नहीं और किस तरह से उस तक पहुंच सकते हैं इसके लिए उन की राय लेना उचित होगा, और विद्यार्थियों को उस लक्ष्य के साथ तैयार करने में भी वह उचित प्रतीत होता है। यह मैं बता चुका हूं और केवल ऐसे तत्वों का आधिपत्य इन विश्वविद्यालयों की संस्थाओं पर नहीं होना चाहिए और जो व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है उससे इस बात की कोई संभावना नहीं है।

उपकुलपति की नामजदगी और नियुक्ति के बारे में कहा गया। इसमें संदेह नहीं कि किसी भी विश्वविद्यालय की उन्नति होना और वहां की शिक्षा का स्तर उठना, वहां की अनुशासन की उचित व्यवस्था होना यह सब चीजें उपकुलपति पर आश्रित हैं। यह उन की नियुक्ति का मसला केवल आज नया पेश नहीं है बल्कि अगर मुझे सही याद है तो पिछले दस पंद्रह साल में इस पद की नियुक्ति के विषय पर बराबर चर्चा होती रही है। जो विश्वविद्यालय हमारे हैं उनकी कमेटियां भी बैठी हैं और जो पहले से उस पर विचार करती रही हैं और इस बात का प्रयास किया गया है कि कोई तरीका निकाला जाय जिससे उनकी नियुक्त ऐसी हो जो वांछनीय हो और जिससे उन विश्वविद्यालयों की उन्नति हो सके। इस परामर्श के फलस्वरूप जिस तरीके की यह कमेटी बनाई जाती है और जिस के बनाने के लिए इस विधेयक में भी व्यवस्था उसी तरह से की गई है, मैं यह नहीं कहता कि वही अच्छी है और उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन अगर कोई कमी है तो उसको इससे अभी अलग नहीं किया जा सकता और अगर कोई उसका दूसरा अच्छा विकल्प हो सकता है तो उस के बारे में सोचा जा सकता है। यह केवल इन दो विश्वविद्यालयों की बात नहीं है बल्कि वह सोचने की बात उन विश्वविद्यालयों के लिए भी होगी जहां शिक्षा दी जाती है, जो यूनिटरी विश्वविद्यालय हैं, जहां पर साधारण तरीके से विद्यार्थी पढ़ते हैं क्योंकि वह वहां एक स्तर को कायम करते हैं। जो तरीका और विधान इन विश्वविद्यालयों में रखा गया है वही विधान इन विश्वविद्यालयों के लिए हमने फिलहाल रखा है और इसके अलावा अगर कोई अच्छा तरीका नियुक्ति का निकल सका तो उस पर विचार हो सकता है। अगर होगा तो वह सभी विश्वविद्यालयों के लिए होगा और वह यहां भी बदला जा सकता है। लेकिन केवल उसके लिए अब और देर लगाना आवश्यक नहीं मालूम होता।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि माननीय सदस्यों के जो विचार यहां व्यक्त हुए हैं उनको देखते हुए यदि जरा माननीय सदस्य सोचें तो इस को प्रवर समिति में भेजना उचित नहीं प्रतीत होता और मैं निवेदन कर दूं कि यदि यह प्रवरि समिति में जाता है तो उस में कुछ समय वहां अवश्य लगेगा, चाहे थोड़ा-थोड़ा समय ही रखें। माननीय सदस्य चाहेंगे कि तीसरी योजना में

जो काम हमने निर्धारित किए हैं उन को हम कर डालें, यह अंतिम वर्ष है योजना का। पिछले साल भी संकट काल के कारण यह स्थगित कर दिया गया था। अब इस वर्ष में यह आ सका है और आशा है कि अगर यह अब पारित हो जायगा तो तीसरी योजना के कार्यकाल में ही हम इस दिशा में पूरी तौर पर अग्रसर हो सकेंगे और उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसलिए इसको इस समय प्रवर समिति में भेजने से कोई लाभ न होगा और दूसरी तरफ जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है उसको हम इस तरह से निर्धारित समय में पूरा कर सकेंगे। इन चीजों को दृष्टि में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को माननीय सदस्य वापस ले लें और सुझाव जो दिए गये हैं, जब इस विधेयक पर ब्योरेवार विचार किया जायगा, उस समय जो कुछ संशोधन होंगे, जो कुछ सुझाव होंगे उन सब पर विचार व्यक्ति किया जा सकता है और उनको इस समय देखा जा सकता है। इसलिए इस समय उनके संबंध में मुझे सदन का समय लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा परित किया गया है, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवदन १ मास के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय, जो अपना प्रतिवेदन २ महीने के अन्दर उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चायल, जिला इलाहाबाद में स्थापित नर्वदा आश्रम को साबुन आदि बनाने हेतु दिये गय राजकीय अनुदान के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस जनहित के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। यह नर्वदा आश्रम इलाहाबाद जिले में तहसील चायल में ग्राम सभा बसुहार में स्थापित किया गया है। मान्यवर, यह एक ऐसा स्थान है जो आश्रम के नाम से चलता है जिसको प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा ग्राम उद्योग के नाम पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुदान दिए गये, और ऋण भी दिए गये जिसमें हजारों लाखों रुपये व्यय हुए। संस्था के अधिकारी और संरक्षक हमारे प्रदेश के भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती कमला बहुगुणा जी हैं। इलाहाबाद में यह आश्रम ऐसे प्रभावशाली तथा साम्यवादी तथा अधिनायकवादी पुरुषों का अड्डा बना हुआ है। यह आश्रम १९५५ में स्थापित हुआ और तब से अब तक प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकारों द्वारा हजारों, लाखों रुपयों का ऋण तथा अनुदान दिया गया जैसा कि प्रश्नों द्वारा मालूम हुआ था सन् १९६१ में केवल १७,००० रु० इनको दिया गया है। पर सन् १९५५ से लेकर आजतक

[श्री नाथूराम शिक्षक]

कोई हिसाब का पता नहीं है। जिन कार्यों के लिए रुपया ऋण अथवा अनुदान के रूप में दिया गया वह उन कार्यों में नहीं लगा, उसका उनमें उपयोग नहीं किया गया। मान्यवर, साबुन बनाने के लिए इस आश्रम को अनुदान और ऋण के रूप में हजारों रुपया दिया गया। एक बार 'कमला साबुन' की बट्टी बनाकर रख दी गयी पर उसके बाद वहां पर इसका कोई कारोबार नहीं हुआ। यह वहां की स्थिति है। मान्यवर, इस आश्रम को विभिन्न कार्यों के नामों से जैसे साबुन बनाने, खादी बनाने, दियासलाई बनाने, खेती के औजार आदि के लिए ऋण और अनुदान दिए गये, लेकिन उसके हिसाब का कोई पता नहीं चला और आज तक कोई आडिट नहीं कराया गया। इस स्थान पर भवन बनाने के लिए कई बार रुपया लिया गया लेकिन सन् ५५ से आज तक केवल डेढ़ ईंट की दीवार खड़ी की गयी है, कच्चा गारा लगाकर और जो छाजन पड़ी है वह मांग-मांग कर प्रतिवर्ष लगाई जाती है और प्रतिवर्ष उसके नाम पर रुपया लिया जाता है सरकार से। इसी प्रकार से आरा मशीन लगाने के लिए १२ हजार रुपये लिये गये। मैंने स्वयं खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं मशीन दिखाई नहीं दी। संभवतः श्रीमान् बहुगुणा जी के बाक्स में डिबिया बना कर रखी हुई हो। इस आश्रम में लकड़ी के चर्खों की ट्रेनिंग देने के लिए ढाई, तीन सौ आदमियों को एकत्रित किया गया था और प्रति व्यक्ति ट्रेनिंग देने के लिए ३ रुपये लिए गये। लेकिन न चर्खों का पता चला और न रुपये के हिसाब का पता चला जो लिया गया। अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग का सेंटर स्थापित किया गया और १०० आदमियों को ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था की गई और फी व्यक्ति ३० रुपये लिये गये। लेकिन उसका भी कोई हिसाब नहीं है। न चर्खों का पता, न रुपये का हिसाब।

आश्रम की जमीन १५ बीघे श्रीमती कमला बहुगुणा के नाम से रजिस्टर्ड है। २ बीघा जमीन उस आश्रम से २०० रुपये लेकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड कराई गयी। इस आश्रम की सदस्यता के लिए १०१ रुपये प्रति व्यक्ति लिया गया लेकिन उसका भी कोई हिसाब नहीं। आस-पास की जनता पर नाजायज दबाव डाल कर दो वर्ष तक गल्ला वसूली अनिवार्य रूप से की गयी, उसके हिसाब का भी कोई पता नहीं। अतएव मेरी मांग है कि मेरे द्वारा लगाये गये जो आरोप हैं उनकी जांच कराई जाय और इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में वे इस प्रकार की कार्यवाही न कर सकें और उनसे वसूली की भी कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके विरुद्ध यही बातें नहीं हैं। ओसा कालेज, मंझनपुर में ऊषा सोप के लिए लगभग लाखों रुपया मिला है जिसका हिसाब आज तक नहीं देखा गया। हेनोता में माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए ऋण तथा अनुदान लिए गये। वहां रुपया कमाने के लिए और अनेक व्यक्तियों को प्रश्रय देने के लिए उनके ये अड्डे हैं। इलाहाबाद जिले में जितने भी मजदूर यूनियन हैं वहां भी इस बात की शिकायत है कि न जाने कितना रुपया उन्होंने खाया है। अतएव मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि आप इसकी जांच करायें, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो किसी के दबाव और धमकी में न आ सकें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं है उसके पीछे व्यक्तिगत आरोप इस तरह के लगाये जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

इसे तो अध्यक्ष महोदय अलाउ कर चुके हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

उपाध्यक्ष महोदय, जब से मैंने इस प्रश्न को उठाया है तब से मेरे विरुद्ध बराबर धमकी दी जा रही है और मेरी जान व माल को खतरा है, मैं सदन को इस बात की सूचना देता हूं।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई बातें इस सदन के समक्ष पेश कीं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में कोई स्कूल चल रहा है उसमें रुपये का दुरुपयोग हुआ है, कई और संस्थायें चल रही हैं जिनमें रुपये का दुरुपयोग हुआ। श्रीमन्, इस समय मेरे सामने प्रश्न केवल राजकीय अनुदान और ऋण के बारे में है कि उसका कहां तक उपयोग या दुरुपयोग हुआ है और मैं उसी की तैयारी करके आया हूं। इसलिये मैं केवल उसी आधार पर माननीय सदन को सूचना दे सकूंगा। अन्य बातों की मुझे कोई जानकारी नहीं है और न मैं इस स्थिति में हूं कि उसके बारे में "हां" कहूं या "ना" कहूं। मुझे तो चायल, जिला इलाहाबाद में स्थापित नर्वदा आश्रम को साबुन आदि बनाने के लिये गत तीन वर्षों में दिये गये राजकीय अनुदान के संबंध में श्री नाथूराम शिक्षक के दिनांक २५ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के विषय में स्पष्टीकरण देना है कि उसका कहां तक उपयोग या दुरुपयोग हुआ है।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह कहा था कि सन् ५५ के अन्दर उस आश्रम को कुछ रुपया मिला था जिसका दुरुपयोग हुआ। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं माननीय सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि यह संस्था ४ सितम्बर, १९५७ को रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुई। इसके पहले उसे कोई ऋण या अनुदान दिया गया इसके बारे में विभाग ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है और न इसकी आवश्यकता है.....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जरा सा मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है "साबुन आदि बनाने के लिये" तो साबुन के अलावा और भी चीजें हैं जिनमें सरकारी अनुदान का दुरुपयोग हुआ है, इसीलिये श्री नाथूराम शिक्षक जी ने "आदि" शब्द लिख दिया है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यहां प्रश्न केवल नर्वदा आश्रम की साबुन बनाने आदि के लिये दिये गये अनुदान व ऋण के संबंध में है, इसलिये मैं उसी के बारे में कहूंगा। और किसी चीज के बारे में कुछ कहने की पोजीशन में मैं नहीं हूं।

मैं कहा रहा था कि यह संस्था सन् १९५७ में रजिस्टर्ड हुई। इसकी कुल पूंजी १०,६०० रु० है। यह पूंजी जनता से दान के रूप में मिली और वह पूंजी जमा है। संस्था के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है। इसका कोई अपना प्राविधान भी नहीं है। इसके पदाधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैः—

१—श्रीमती कमला बहुगुणा	..	संस्थापक, सदस्य तथा अध्यक्ष
२—श्री हरवेश नजफ	..	उपाध्यक्ष,
३—श्री त्रिलोक सिंह	..	मंत्री (आजीवन)
४—श्री टीकम सिंह	..	सहायक मंत्री,
५—श्री राम बल्लभ शर्मा	..	कोषाध्यक्ष,
६—श्री हबीब अहमद	..	सदस्य
७—श्री निसार अहमद	..	,,
८—श्री गनपत सिंह	..	,,
९—श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव	..	,,
१०—श्री केसरी सिंह	..	,,
११—श्री प्रेमानन्द सरस्वती	..	,,
१२—श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव	..	,,
१३—श्री मोहम्मद अहमद	..	,,
१४—श्री जवाहर लाल सिंह	..	,,

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

श्रीमन्, श्री त्रिलोकसिंह इस संस्था के आजीवन मंत्री है। इस संस्था के बाईलाज के मुताबिक वे आजीवन मंत्री रहेंगे। सन् १९५७ के बाद से इसका कोई चुनाव नहीं हुआ है। ५ साल के बाद इसका चुनाव होना चाहिये, लेकिन कम से कम हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि उसके बाद कोई चुनाव हुआ। सन् १९६१ में साबुन बनाने के लिये और अखाद्य तेल के लिये जो अनुदान दिया गया वह इस प्रकार है।

साबुन बनाने के लिये जो ऋण दिया गया उसका पहला भुगतान २० अप्रैल, १९६२ को हुआ, जिसमें भवन निर्माण के लिये १२५० रु०, कुआं बनाने के लिये १,००० रु० और कार्य पूंजी के लिये २,००० रु० दिया गया। अनुदान दिया गया भवन निर्माण के लिये १२५० रुपये और कुयें के लिये १००० रुपया दिया गया। यह साबुन के काम के लिये दिया गया। तेल पेरने के लिये, शेड तथा गोदाम के लिये १५०० रुपया ऋण और १५०० रुपया अनुदान दिया गया। तेल घानी के लिये ३०० रुपया ऋण और ३०० रुपया अनुदान दिया गया। बैल के लिये २०० रुपया ऋण और ६०० रुपया अनुदान दिया गया। कार्यपूंजी के लिये ३००० रुपया, ऋण दिया गया और कोई अनुदान नहीं दिया गया। इसी तरह से १०२५० रुपया ऋण और ६१५० रुपया अनुदान दिया गया। इसके बाद इनको न कोई अनुदान दिया जाय और न कोई ऋण दिया गया। आरा मशीन के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया। मैंने जैसा अर्ज किया, इसके सिवाय उनको और कोई रुपया नहीं दिया गया।

इसमें जो मेरे पास सूचना है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो ऋण दिया गया था उसमें से ९६९३ रुपये ४५ पैसे का सदुपयोग हुआ है ५५६ रुपये ५५ पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। जो अनुदान दिया गया था उसमें से ५५९३ रुपये ४५ पैसे का सदुपयोग हुआ और ५५६ रुपये ५५ पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह रुपया शेड और गोदाम बनाने के लिये खर्च करना चाहिये था जो नहीं किया है। इसकी मांग की जा रही है और रुपया वापस लिया जायगा।

ऋण की अदायगी मार्च १९६४ से शुरू हुई क्योंकि यह ऋण अप्रैल १९६२ में दिया गया था और दो साल तक मांगा नहीं जाता है, इसलिये ६४ से पहले रुपया मांग नहीं सकते थे। अब उनके ऊपर रुपया वाजिब हुआ है। ब्योरा यह है कि ३२९१ रुपये ६७ पैसे, सूद १२५ रुपये तथा पीनल इन्टरेस्ट १७ रुपये ९२ पैसे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि चन्दे में इन्होंने १०१ रुपया लोगों से लिये, उनके बाइलाज में दिया है कि जो १२ रुपये वार्षिक चन्दा देगा वह साधारण सदस्य होगा, १०१ रुपये देने वाला आजीवन सदस्य और ५०१ रुपये देने वाला संरक्षक कहलायेगा।

श्रीमन्, १९६२ से पहले यह संस्था उत्पादन करती थी जबकि उस समय उनको कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया गया था। १९६०-६१ में ७५ मन २४ सेर तेल का उत्पादन किया जिसका मूल्य ७७१२ रुपये है, १९६१-६२ में ९१ मन ६ सेर तेल का उत्पादन किया जिसका मूल्य ९११५ रुपये है। अब इस संस्था ने अखाद्य तेल का उत्पादन अप्रैल, १९६४ से बन्द कर दिया है और साबुन का उत्पादन जनवरी १९६५ से बन्द कर दिया है। इस संस्था द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसका मूल्य इस प्रकार है। १९६२-६३ में ५९,३५२ रुपये ६२ पैसे तथा ६३-६४ में ५७,९४८ रुपये ५४ पैसे। इनका ब्रेक अप इस प्रकार है १९६२-६३ में ३०,६६७ रुपये ५० पैसे का तेल, ३९४९ रु० ४४ पैसे का साबुन २४७३५ रुपये ६८ पैसे की खादी, ६३-६४ में ४१३७० का तेल, ५५७५ रुपये ६८ पैसे का साबुन तथा ११,००८ रुपये ८६ पैसे की खादी। खादी बोर्ड के कर्ज का इस तरह से उपयोग किया। माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

जिस समय ऋण दिया गया था उस समय ऋण लेने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस आश्रम का आडिट कितनी बार कराया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसका आडिट नहीं हुआ ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

नर्वदा आश्रम के संबंध में बहुत गलतफहमी फैल सकती है, इसलिये इसके आडिट की आवश्यकता है और उस संस्था की क्या वास्तविक आर्थिक स्थिति इसकी है इसकी जांच कराने तथा आडिट कराने की कृपा क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती । मैं इसका पूरा प्रयत्न करूंगा कि इस जानकारी को हासिल करूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जब इनका रोजगार चल रहा था और लाभ हो रहा था तो इनका रोजगार ठप्प कैसे हो गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसा कहा कि और रोजगारों से हमारा संबंध नहीं है और न उनकी मुझे जानकारी है । तेल और साबुन का प्रश्न था और उनकी जानकारी मैंने की है और उनका उत्तर मैंने आपके समक्ष दे दिया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

यह संस्था जो खादी बोर्ड के अन्तर्गत चल रही है और जिसकी संस्थापिका श्रीमती कमला बहुगुणा जी हैं, मैं बोर्ड के उन नियमों को जानना चाहता हूं कि जिनके अन्तर्गत इनका नामांकन होता है या चुनाव होता है या वे वहां पर किस तरह से रखी गयीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह बिलकुल अलग से सोसाइटी है जिसका १८६० के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत रजिस्ट्रेशन हुआ है । उसके बाईलाज हैं और इसी के अन्तर्गत वे अपना कार्यक्रम चलाते हैं । खादी बोर्ड से उनका कोई कार्यक्रम नहीं चलता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

जब साबुन और तेल के काम में लाभ हो रहा था तो काम इन्होंने एकदम कैसे बन्द कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आश्रम वाले जवाब दे सकते हैं, मंत्री जी क्या बतायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं जरा स्पष्ट कर दूं । मैंने कभी नहीं कहा कि उन्हें लाभ हुआ । मैंने कहा कि उत्पादन हुआ । फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

माननीय शिक्षक जी ने कहा था कि केंद्रीय सरकार से भी इनको अनुदान मिला । क्या मंत्री जी ने यह जानने की कोशिश कि केंद्र से कितना अनुदान इनको मिला है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने सबसे पहले निवेदन किया था कि यह प्रश्न राजकीय अनुदान के संबंध में है, इसलिये केंद्रीय सरकार से क्या अनुदान इनको मिला या नहीं मिला इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

जब इस संस्था को दिये गये कर्ज और अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में कुछ आरोप आये और जिनके आधार पर आपने जांच करायी तो इसकी जांच करते वक्त क्या इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष से भी आपने कोई पूछतांछ की कि जो कर्जा और अनुदान लिया गया था उसका उपयोग कैसे किया गया और उस संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या वे सरकार के कर्जे को वापस करने की स्थिति में है, इसकी जांच कराई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने कहा था कि इसमें दुरुपयोग नहीं हुआ..... ।

श्री उपाध्यक्ष—

वे यह पूछते है कि जो उपयोग नहीं हुआ उसके लिये क्या आपने उसके अध्यक्ष से भी पूछताछ की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें अधिकांश धन का सदुपयोग हुआ है । बहुत थोड़ा सा रह गया है जिसका नहीं हुआ है । उसके लिये नोटिस दे दिया गया है । पर्सनली अफसर उनसे मिला भी है । कितना मिला है यह सूचना नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी संस्था और भी है जिसको राजकीय अनुदान इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से असेम्बली में सवाल हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कैसे हो सकता है । इसका पहले नोटिस होना था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अनुदान दिया गया था इस अनुदान के बारे में वहां की अध्यक्ष और कमेटी ने सरकार को लिखकर भेजा है कि इसका इस्तेमाल इसलिये नहीं हो पा रहा है कि रा मैटीरियल उपलब्ध नहीं हो रहा है और उसके लिये सरकार से मांग की थी कि सरकार उसको उपलब्ध कराये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो नोटिस दिया गया है उसका उत्तर नहीं आया है । यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री नाथूराम शिक्षक—

मंत्री महोदय की ओर से जो उत्तर आया है उसके ऊपर में इतना ही कह सकता हूं कि वहां पर कुछ भी नहीं है तो मंत्री जी उस आश्रम की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे या किसी निर्भीक व्यक्ति से करायेंगे और उसको सदन के समक्ष रखेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सी० आई० डी० की इन्कवायरी वहां होती है जहां कोई गुप्त बात होती है । यहां पर साबुन बना है, तेल बना है । इसकी जांच सी० आई०डी० नहीं करती ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कहा कि जब रुपया दिया जाता है तो वहां जो विभाग के अधिकारी होते हैं वह उसकी जांच कर लेते हैं । डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज अफसर और डिप्टी डाइरेक्टर, इंडस्ट्रीज ने इसकी जांच की ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने आरोप लगाये हैं उनकी जांच कराने के बाद सदन के समक्ष रखेंगे ? और सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि सी० आई० डी० से यह जांच नहीं हो सकती है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी को पता है कि बहुगुणा जी को सरकार से रिक्शा चलाने के लिये कोई अनुदान या ऋण दिया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने निवेदन कर दिया और उत्तर भी दे दिया कि इतना अनुदान और ऋण उनको दिया गया था, इस इस काम के लिये । इसके अलावा और किस चीज के लिये कितना रुपया दिया गया इसका मुझे पता कुछ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२१ अप्रैल, १९६५ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर]

सन् १९५५ में ग्राम सभा विजईपुर, विकास क्षेत्र विजईपुर, जिला फतेहपुर में खरजा निर्माण हेतु दिये गये अनुदान का विवरण

योजना का नाम जिसके अन्तर्गत मांग की गई	स्वीकृत अनुदान	अनुदान गृहीता का नाम	धनराशि जो दी गई	दिनांक	कितना लम्बा खरजा निर्माण हुआ
	रु०		रु०		
१—श्री रामहित के द्वार से प्रारम्भ होकर श्री रघुनन्दन सिंह के द्वार से गांव के बाहर पूर्व की ओर ७७० फुट लम्बा ९ फुट चौड़ा खरंजा।	१,५७०	श्री राम गोपाल त्रिपाठी, प्रधान	३०० १,०००	१०–२–६५ १७–३–५६	यह खरंजा दो टुकड़ों में बनवाया जा चुका है जिसकी लम्बाई १९६ फिट और चौड़ाई ९ फीट है।
२—रावण के पास से होकर मेहतर मुहाल होकर कालिका मन्दिर को और गांव के बाहर तक ८५० फिट लम्बा और ९ फीट चौड़ा खरंजा।	८४५.००	श्री रामगोपाल त्रिपाठी, प्रधान	३००.००	१०–२–५६	रावण के पास से श्री राजकुमार श्रीवास्तव के दरवाजे तक जिसकी लम्बाई २९३ फिट तथा चौड़ाई ९ फीट है बन चुका है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर)

क्रम-संख्या	सीड स्टोर का नाम	क्रम संख्या	सीड स्टोर का नाम
१	मेजरगंज	१७	सेमरी
२	उत्तरपारा	१८	करहिया
३	मुंशीगंज	१९	पहाड़गढ़
४	रूपामऊ	२०	ऊंचाहार
५	हरचन्दपुर	२१	उमरन
६	गोपालगंज	२२	परशदपुर
७	मलिक मऊ चौबारा	२३	जायस
८	अटोरा बुजुर्ग	२४	फुरसतगंज
९	जगतपुर	२५	नसेराबाद
१०	नौरा	२६	शिवगढ़
११	कटार	२७	हडौर
१२	एहार	२८	बछरावां
१३	लालपुर	२९	राजामऊ
१४	अरैनी	३०	इदौली
१५	लालगंज	३१	कड़ा
१६	बेहटाकलां	३२	कुन्दनगंज
३३	तिलोई		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर)

क्षेत्र विकास अधिकारियों की सूची जो हाई स्कूल पास या दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा कोर्स पास या हिन्दी साहित्य विशारद पास हैं

क्रमांक	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम तथा वर्तमान नियुक्ति स्थान	शैक्षिक योग्यता	वैभागिक पदोन्नति हेतु चुनाव के फलस्वरूप नियमित रूप से नियुक्त किए गए	स्थानापन्न रूप से नियुक्त किये गये
१	२	३	४	५
	सर्वश्री			
१	पौहारी पांडेय, सिवराही (देवरिया)	हाई स्कूल पास हैं	जी हां	—
२	घुनमुन मिश्रा, भटनी (देवरिया) ..	"	"	—
३	विभूति राय, भुलुओनी (देवरिया) ..	"	"	—
४	राम प्रसाद, मुहम्मदपुर (आजमगढ़)	"	"	—
५	जय दत्त बालाकोटी, एकेश्वर (गढ़वाल)	"	"	—
६	बासुदेव सिंह चौहान, हरख (बाराबंकी)	"	"	—
७	राम लखन तिवारी, कालाकांकर (प्रतापगढ़)।	"	"	—
८	हरिदास पांडेय, सिकरारा (जौनपुर) ..	"	"	—
९	मन्नू लाल चतुर्वेदी, सरीला (हमीरपुर)	"	"	—
१०	कमाल सिंह, अलाऊ (मैनपुरी) ..	"	"	—
११	इन्द्रपाल सिंह चौहान, नौझील (मथुरा)	"	"	—
१२	श्री राम सिंह, कोड़ीराम (गोरखपुर)	"	"	जी हां
१३	गजेश्वर सिंह, बेलघाट, (गोरखपुर) ..	"	"	"
१४	चन्द्रभान सिंह, पिपराइच (बहराइच)	"	—	"
१५	आशा पाल सिंह, डुमरियागंज (बस्ती)	"	—	"
१६	हरद्वारधर दूबे, नाथनगर (बस्ती) ..	"	—	"
१७	चन्द्रपाल सिंह, नौगढ़ (बस्ती) ..	"	—	"
१८	राम प्रधार सिंह, इटवां (बस्ती) ..	"	—	"
१९	राम प्रवध पांडेय, बिशुनपुरा (देवरिया)	"	—	"
२०	राम चन्द्र दुबे, गौरीबाजार (देवरिया)	"	—	"

क्रमांक	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम तथा वर्तमान नियुक्ति स्थान	शैक्षिक योग्यता	वैभागिक पदोन्नति हेतु चुनाव के फलस्वरूप नियमित रूप से नियुक्त किए गए	स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए
१	२	३	४	५
	सर्वश्री			
२१	भोलानाथ तिवारी, नेवुआनौरंगिया (देवरिया)	हाई स्कूल पास हैं	—	जी हां
२२	राम प्रताप तिवारी, फूलपुर (आजमगढ़)	"	—	"
२३	राम अधार सिंह, सरसवां (इलाहाबाद)	"	—	"
२४	महादेव प्रसाद उपाध्याय, धाता (फतेहपुर)	"	—	"
२५	केशव सिंह, विधुन (कानपुर) ..	"	—	"
२६	एम० एच० सिद्दीकी, सरवन खेड़ा (कानपुर)	"	—	"
२७	हीरालाल सन्त, भरथना (इटावा)	"	—	"
२८	हरि प्रसाद सिंह, भाग्यनगर (इटावा)	"	—	"
२९	आर० वी० सिंह, ऐरवा कटरा (इटावा)	"	—	"
३०	एस० के० मिश्रा, सोरिख (फर्रुखाबाद)	"	—	"
३१	एम० डी० कण्डपाल, पौरी गढ़वाल ..	"	—	"
३२	टी० डी० चन्दौला, थलीसेना (गढ़वाल)	"	—	"
३३	आर० डी० काला, भिलंगना (टेहरी-गढ़वाल)	"	—	"
३४	एस० डी० अधिकारी, गरुण बैजनाथ (अल्मोड़ा)	"	—	"
३५	कौशल किशोर मेहरोत्रा, बिसौली, (बदायूं)	"	—	
३६	ए० एन० शर्मा, रजपुरा (बदायूं) ..	"	—	"
३७	जयमंगल प्रसाद, कुरुवर (सुल्तानपुर) ..	"	—	"
३८	कुवर नाथ सिंह, बल्दीराय (सुल्तानपुर)	"	—	"
३९	संकटा प्रसाद सिंह, झंझरी (गोंडा) ..	"	—	"
४०	श्रीराम श्रीवास्तव, तरबगंज (गोंडा)	"	—	"
४१	उमा शंकर श्रीवास्तव, गौरा (प्रतापगढ़)	"	—	"
४२	राय रामनाथ शर्मा, रेहरा बाजार (गोंडा)	"	—	"

१	२	३	४	५
	सर्वश्री			
४३	सूर्य नारायण सिंह, पिन्डरा, (वाराणसी)	हाई स्कूल पाल हैं	—	जी हां,
४४	भगवान राय शर्मा, चोरापुर, (वाराणसी)	,,	—	,,
४५	राम मूर्ति सिंह, हरदुआ, (वाराणसी)	,,	—	,,
४६	शिवचन्द यादव, डोभी, (जौनपुर) ..	,,	—	,,
४७	रामानन्द शाही, महराजगंज, (जौनपुर)	,,	—	,,
४८	रमाशंकरा राय, नगवाँ (मिर्जापुर) ..	,,	—	,,
४९	उदय प्रताप पांडेय, दुबहड़, (बलिया)	,,	—	,,
५०	विजयानन्द जोशी, दिगतड़, (पिथौरागढ़)	,,	जी हां	,,
५१	मुहम्मद सादिक सिद्दीकी, बड़ागांव (झांसी)	,,	—	,,
५२	रामायण गिरि, तेजपुर (हमीरपुर) ..	,,	—	,,
५३	सोमनाथ मलिक, कमासिन (बांदा) ..	,,	—	,,
५४	अजीत सिंह, बिसन्डा (बांदा) ..	,,	—	,,
५५	एन० एस० चौहान, मरहरा, (एटा)	,,	—	,,
५६	कुशीर अली खां, बेहजम (खीरी) ..	,,	—	,,
५७	इस्लाम अहमद खां, निघासन (खीरी)	,,	—	,,
५८	नन्द किशोर श्रीवास्तव, नकहा (खीरी)	,,	—	,,
५९	एम० एम० पांडेय, सकरन (सीतापुर)	,,	—	,,
६०	श्रीमती उर्मिला देवी, काकोरी (लखनऊ)	,,	—	,,
६१	बी० पी० दुबे, मियागंज (उन्नाव)	,,	—	,,
६२	माता बदल चौरसिया, सताव (रायबरेली)	,,	,,	,,
६३	श्रीमती सुशीला सिंह, रजपुरा (मेरठ)	,,	—	,,
६४	बी० एन० गौड़, दनकौर (बुलन्दशहर)	,,	—	,,
६५	ब्रह्म सिंह राणा, बिसरल (बुलन्दशहर)	,,	—	,,
६६	श्रीमती विमला देवी शर्मा, लखावटी, (बुलन्दशहर)।	,,	—	,,
६७	महाबीरसिंह, बुलन्दशहर ..	,,	—	,,
६८	श्याम करन मिश्रा, सजनी (गोरखपुर)	,, दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा पास हैं	—	,,
६९	रोजन अली खां, सहजनवां (गोरखपुर)	,,	—	,,
७०	राम रतन दुबे, खेसरहा (बस्ती) ..	,,	—	,,
७१	शिव पूजन सिंह, बेतालपुर, (देवरिया)	,,	—	,,

१	२	३	४	५
	सर्वश्री			
७२	रामधारी सिंह, फतेहपुर मड़राव (आजमगढ़)	दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा पास हैं	—	जी हां
७३	बी० डी० तिवाड़ी, जाखनीधार (टेहरी-गढ़वाल)	,,	—	,,
७४	इश्तियाक बेग, चाजलेट (मुरादाबाद)	,,	—	,,
७५	कमला प्रसाद सिंह, पयागपुर (बहराइच)	,,	—	,,
७६	एम० डी० भट्ट, ढांगू (गढ़वाल) ..	,,	—	,,
७७	सुरेन्द्र नाथ तिवारी, रिहसिया (बहराइच)	,,	—	,,
७८	भूप नारायण सिंह, सुजानगंज (जौनपुर)	,,	—	,,
७९	नाथ बख्श सिंह, मनिहारी (गाजीपुर)	,,	—	,,
८०	महराज सिंह, बेलहारी (बलिया) ..	,,	—	,,
८१	हरीदत्त भट्ट, कनाली छीना (पिथौरागढ़)	,, हिन्दी विशारद	—	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

१९६२–६३ व १९६३–६४ विकास क्षेत्र ठेकमा तथा मोहम्मदपुर, जिला आजमगढ़

विकास क्षेत्र	मद	१९६२–६३ सरकार से प्राप्त अनुदान	१९६२–६३ सरकार से प्राप्त अनुदान	१९६३–६४ कितना कार्य हुआ: स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	कुल अनुदान का भुगतान	कितनी धनराशि वापस की गई	विशेष विवरण
१ ठेकमा	कृषि ..	—	४,०००.००	३३	७	२६	३३,७६.००	—	अनुदान ग्रहीताओं को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया है।
	पशुपालन ..	—	१,०००.००	५	—	५	७५०.००	—	एक सिंचाई कूप के लिए यह धनराशि पर्याप्त न थी अतः वापस कर दी गई है।
	सिंचाई ..	—	२,०००.००	११	११	—	१,९६६.२५	३३.७५	" "
	जन-स्वास्थ्य ..	—	२,०००.००	१	१	—	२,०००.००	—	गांव सभाओं को वितरित किया गया।
	शिक्षा ..	—	५,००.००	१	—	१	५,००.००	—	कार्य प्रगति पर है।
	समाज शिक्षा ..	—	१,०००.००	१	—	१	१,०००.००	—	कार्य प्रगति पर है।
	यातायात ..	—	३,०००.००	—	—	—	३,०००.००	—	गवां सभाओं को वितरित किया गया।
	ग्रामीण कला एवं उद्योग	—	७,००.००	२	—	२	७००.००	—	अनुदान ग्रहीताओं को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया है।
	योग ..	—	१४,२००.००	५४	१९	३५	१३,२९२.२५	३३.७५	

२ मोहम्मदपुरे कृषि	..	शून्य	४,०००.००	२३	२३	—	४,०००.००	—	
पशुपालन	..	—	१,०००.००	५	४	१	७५०.००	—	निर्माण कार्य जारी है।
सिंचाई	..	—	—	—	—	—	—	—	
जन-स्वास्थ्य	..	—	२,०००.००	१	१	—	२,०००.००	—	
शिक्षा	..	—	५,००.००	१	—	१	५,००.००	—	निर्माण कार्य जारी है।
समाज शिक्षा	..	—	१,०००.००	१	—	१	१०००.००	—	निर्माण कार्य जारी है।
यातायात	..	—	३,०००.०००	—	—	—	३,०००.००	—	३००० रु० गांव सभाओं को वितरित किया गया।,
ग्रामीण एवं कला उद्योग		—	७,०००.०	३	२	१	७००.००	—	मशीन खरीदने की व्यवस्था हो रही है।
योग	..	—	१२,२००.००	३४	३०	४	११,९५०.००	—	
सम्पूर्ण योग	..	—	२६,४००.००	८८	४९	३९	२५,२४२.२५	३३.७५	

आर० एल० साह,
सहायक विकास आयुक्त (लेखा),
कृते आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर।)

उन कामों की सूची जो देवरिया जिले में चतुर्थ चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित थे

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम		काम का नाम
१	देवरिया	..	१—कच्ची गूलें २० मील
			२—गांव ऊंचा करना (८)
			३—४ रेगुलेटर लगाना
			४—देवरिया–बाई–पास रोड १ मील
			५—मदारीपुर बैकुण्ठपुर रोड ४ मील
२	बनकटा	..	१—मझौली पैरवा रोड ६ मील
			२—८ मील नाली निर्माण
			३—८ मील कच्ची गूलें
			४—चितरैरो ताल ड्रेन ४.४ मील
			५—गौरी ताल ड्रेन ०.५ मील
३	भागलपुर	..	१—नालियां ४ मील
			२—गांव ऊंचा करना ११
			३—कच्ची गूलें १८ मील
			४—नालियां ६ मील
४	फजिलनगर	..	१—कच्ची गूलें २० मील
			२—गांव ऊंचा करना ८
			३—सोंदा नदी ड्रेन १२ मील
			४—फजिलनगर ड्रेन ३.५ मील
			५—पांडे नाथ ड्रेन ७.५ मील
५	मोती चक	..	१—गांव ऊंचा करना (१०)

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

परिशिष्ट 'अ'

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	कार्य आरम्भ न होने का कारण
१	खटकुइयां—कसिया रोड ४ मील	प्लान तथा एस्टीमेट बन रहे हैं।
२	पडरौना-मौसा छप्पर रोड ३ मील	बनाने के लिए जिला परिषद् को सौंपी गई है।
३	लक्ष्मीगंज हारपुर रोड १—५ मील	भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हो रही है।
४	कंचनपुर–वधीच घाट रोड १—४ मील	भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हो रही है।
५	हरिन्डा–डुमरी रोड २—५ मील	इन सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि
६	बैतालपुर–बैजनाथपुर रोड २ मील	इस नाम की सी० सी० ट्रेक बन चुकी है। इनके बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
७	रामकोला–कसिया रोड ३ मील	भूमि प्राप्ति की कार्यवाही हो रही है।
८	भटनी–तुलसीवारा रोड ३ मील	भूमि प्राप्ति की कार्यवाही हो रही है।
९	पदरौना–कसिया–तमकोही रोड ८ मील	प्लान तथा स्टीमेट बन रहे हैं।
१०	तमकोई सिसवा नाहर रोड २ मील	निर्माण के लिए जिला परिषद् को सौंपी गई है।
११	पडरौना–किनारपट्टी रोड ४ मील	" "
१२	रुद्रपुर–गाजपुर रोड ५ मील	" "
१३	भुसैला–भागलपुर रोड ४ मील	प्लान तथा स्टीमेट बन रहे हैं।
१४	भटनी–घाटी रोड १० मील	" "

परिशिष्ट 'ब'

१	देवरिया हाटा सड़क ३ मील (हाथ ब्लाक)।	२—४ मील तक काम आरम्भ हो गया है।
२	देवरिया–हाटा सड़क ३—१ मील (बैतालपुर ब्लाक)।	लगभग २—६ मील बन चुकी है।
३	देवरिया–हाटा सड़क (देशाई देवरिया ब्लाक) ५ मील।	४–४ मील तक काम आरम्भ हो गया है।
४	कप्तानगंज–पिपराइच रोड ४ मील	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है।
५	कप्तानगंज–नौरंगिया रोड ५ मील (रामकोला ब्लाक)।	" "

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	काम की स्थिति
६	९ मील (नौआ-नारंगी)	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है ।
७	मझौली–सलेमपुर रोड ३ मील	२—५ मील तक काम आरम्भ है।
८	गौरीबाजार–रुद्रपुर–बरहज रोड ८—२ मील।	५–६ मील तक काम आरम्भ है
९	भटनी–बेलवा–अफगनवा रोड ८ मील	५—४ मील तक काम आरम्भ है।
१०	मझौली–महरौनी रोड ५ मील	३–६ मील लगभग सड़क बन चुकी है।
११	तमकोही–कासियाबाद रोड १० मील (तमकोही ब्लाक)।	पूरी सड़क पर काम आरम्भ है।
१२	तम्कोही कसिया बाद रोड ५ मील (कसिया ब्लाक)।	" "
१३	कंचनपुर–बघौच घाट रोड ८ मील	काम आरम्भ कर दिया गया है।
१४	देवरिया सलेमपुर रोड १०—४ मील	" "
१५	११० गांवों का ऊंचा करना	लगभग ७.६३ लाख रु० का काम हो चुका है।
१६	छितौनी बांध	लगभग २.४३ लाख रुपये का काम हो चुका है।
१७	छितौनी बांध के बचाव की योजना	लगभग १२.१६ लाख रुपए व्यय हो चुके हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८७ पर)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओले से हुई क्षति का विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम	प्रभावित गांवों की कुल संख्या	प्रभावित क्षेत्र एकड़ में	क्षेत्र जिनमें ५० पैसे से कम क्षति हुई	क्षेत्र जिनमें ५० पैसे से ऊपर क्षति हुई	मृत्यु	
						मनुष्य	पशु
१	२	३	४	५	६	७	८
१	देहरादून ..	७११	४४,३११	४४,३११	—	—	—
२	सहारनपुर ..	५२७	१,१०,६४०	१,१०,३३५	३०५	—	—
३	मुजफ्फरनगर	३८७	२६,३३७	२१,५३३	४,८०४	—	८१
४	बुलन्दशहर ..	३३९	३६,७७०	३३,५६७	३,१९४	—	—
५	मेरठ ..	७२६	२,१९,६२७	२,०३,६५०	१५,९७७	२	४
६	अलीगढ़ ..	३८१	६०,८६९	६०,८६९	—	—	—
७	मथुरा ..	१७०	३,७५०	३,७५०	—	—	—
८	आगरा ..	४५९	८४,४८९	८४,४८९	—	—	—
९	एटा ..	५४५	५५,३६०	५५,३६०	—	—	—
१०	बरेली ..	३३७	५३,९८७	१५,५१९	३८,४६८	२	—
११	बिजनौर ..	४३२	१,५२,२६५	१,५१,७३१	५३४	—	४९
१२	बदायूं ..	६४३	१,७०,९९१	१,६७,५१५	३,४७६	—	—
१३	मुरादाबाद ..	३४९	३६,१२२	१०,३६४	२५,७५८	३	—
१४	शाहजहांपुर ..	१,०४३	१,७९,४८४	९१,९८४	८७,५००	—	२
१५	पीलीभीत ..	४५७	६६,३५२	६५,८०८	५४४	—	—
१६	रामपुर ..	१११	४,२००	४,२००	—	—	—
१७	इटावा ..	१६६	७,६२८	—	—	—	—
१८	फतेहपुर ..	६५	२४६	२४६	—	—	—

१	२		३	४	५	६	७	८
१९	इलाहाबाद	..	४,३१५	८,५४,५०३	—	—	१	—
२०	बांदा	..	१९०	२२,८५९	११,१२०	११,७३९	२	२
२१	हमीरपुर	..	२२	२५०	—	—	—	—
२२	झांसी	..	७५	४,५९८	२,२४९	२,३४९	—	४५बकरी २ गाय, १८ मुर्गी
२३	जालौन	..	४४	१,७३०	—	—	—	—
२४	वाराणसी	..	३,७२७	३,२६,०६२	३,२६,०६२	—	—	—
२५	मिर्जापुर	..	२,२६१	६९,९८०	६९,९८०	—	—	१
२६	जौनपुर	..	१,३४०	—	—	—	—	—
२७	गाजीपुर	..	३,४१०	१,५५,९६७	१,५५,७७९	१८८	—	३
२८	बलिया	..	७२५	२८,०४२	२८,०४२	—	—	—
२९	गोरखपुर	..	३,४१७	—	—	—	—	—
३०	आजमगढ़	..	३,७१५	१,५०,२६०	—	—	—	—
३१	देवरिया	..	३,८०८	१,९४,५१३	—	—	—	—
३२	नैनीताल	..	२७३	१४,२६३	१२,८६४	१,३९९	—	—
३३	अल्मोड़ा	..	७७	१५३	—	—	—	—
३४	गढ़वाल	..	९ पट्टी	—	—	—	—	—
३५	लखनऊ	..	२१२	२०,०९७	२०,०९७	—	—	—
३६	उन्नाव	..	४९८	२५१८४	३,७९४	१,३९०	—	—
३७	रायबरेली	..	१	५४	—	—	—	—
३८	सीतापुर	..	१२९	१९,९३९	१९,९३९	—	—	—
३९	हरदोई	..	२५८	६४,[illegible]७१	६१,८५५	२,४१६	—	—
४०	बहराइच	..	४००	१५,९६८	१५,९६८	—	—	—
४१	प्रतापगढ़	..	१,०८२	३३,२९२	३३,२९२	—	—	—
४२	बाराबंकी	..	९१०	१,१५,१०४	१,१५,१०४	—	—	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४१ एल० ए०—१९६५—८६२।